राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 3] बारहवीं विधान सभा के तीसरे सत्र का पचपनवां दिवस [संख्या : 12

मंगलवार

29 मार्च, 2005

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से इस सदन में नियमों का सरेआम उल्लंघन किया जा रहा है, परम्पराओं की परवाह नहीं की जा रही है, इस सदन की गरिमा का कोई ध्यान नहीं है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और आसन सत्ता पक्ष के साथ खुलेआम पक्षपात कर रहे हैं, यह व्यवस्था देखते हुए... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये किसकी अनुमति से बोल रहे हैं? ये कौन से नियमों में बोल रहे हैं? (व्यवधान) ये कौन से नियमों में बोल रहे हैं। प्रश्नकाल में प्रश्न आ सकते हैं। (व्यवधान) न व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : हमने नोटिस दिया है। आसन के ऊपर से हमारा विश्वास मिट गया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री सुशील कटारा।

श्री जुबेर खान : ... इसलिए आपसे निवेदन है कि यह सदन की कार्यवाही सत्तापक्ष आपके + + + ...(व्यवधान) इसका हम घोर विरोध करते हैं और इस तरह से, जिस तरह से राजस्थान में मोहन लाल सुखाडियाजी, महामहिम उपराष्ट्रपति भैरोंसिंह शेखावतजी, हरिदेव जोशीजी के समय की जो परम्परा डली हुई हैं उनका सरेआम उल्लंघन किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री सुशील कटारा।

तारांकित प्रश्नोत्तर

डूंगरपुर के विद्यालयों में रिक्त पद

188. श्री सुशील कटारा (चौरासी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र चौरासी में कितने प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित है? उक्त विद्यालयों में वर्तमान में अध्यापकों एवं अन्य संवर्गो के कितने-कितने पद कहां-कहां रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर बालिका माध्यमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार पंचायत समिति बिछिवाड़ा जिला डूंगरपूर में पंचायत समिति मुख्यालय पर बालिका माध्यमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि पंचायत समिति सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान विषय के अध्यापकों के पद पिछले 3 वर्षों से रिक्त हैं? यदि हां. तो क्या सरकार उक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री वासुदेव देवनानी) : (1) विधान सभा क्षेत्र चौरासी में 234 राजकीय प्राथमिक, 76 राजकीय उच्च प्राथमिक, 21 राजकीय माध्यमिक तथा 13 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। उक्त विद्यालयों में वर्तमान में अध्यापकों एवं अन्य संवर्गो के रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) विद्यालय क्रमोन्नति के समय बालिका विद्यालयों को प्राथमिकता देने पर सरकार कृत संकल्पित है। वर्ष 2005-06 के लिये बजट घोषणानुसार 500 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव है।

(श्री वासुदेव देवनानी)

जनप्रतिनिधियों की मांग, उपलब्ध सुविधा, भौगोलिक स्थिति, कक्षा-8 की छात्रा संख्या आदि को मद्देनजर रखते हुए गुणावगुण के आधार पर प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर बालिका माध्यमिक विद्यालय खोलने पर प्राथमिकता से विचार किया जायेगा।

(3) पंचायत समिति बिछिवाड़ा जिला डूंगरपुर में पंचायत समिति मुख्यालय पर पूर्व से राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय संचालित है।

(4) जी नहीं । अपितु रा.उ.मा.वि. सीमलबाड़ा में व्याख्याता जीव विज्ञान 10.10.2004 से तथा व्याख्याता रसायन शास्त्र का पद 12.9.2003 से रिक्त है तथा व्याख्याता भौतिक शास्त्र का पद वर्तमान में भरा हुआ है। उक्त रिक्त पदों को भरने हेतु विभागीय चयन समिति की बैठक आयोजित करवाई जा रही है। चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर ही रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव हो सकेगा। (व्यवधान)

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट –1 देखें)

श्री जुबेर खान : हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे प्रतिपक्ष के पास क्या है? हम अपने मुद्दे उठा नहीं सकते, प्रतिपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया जाता, हमारे मुद्दों को उठाने नहीं दिया जाता और आसन से यह कहा जाता है कि + + + यह बहुत गलत परम्परा डल रही है। हम इसका घोर विरोध करते हैं और इस तरह से सदन, क्या आसन यह उचित समझता है... (व्यवधान) डैडलाक किस तरह से खतम किया जाए, आपने कभी किसी को बुलाकर बात नहीं की । न सदन के नेता, न सत्ता पक्ष के लोग यह कोशिश कर रहे हैं कि इस सदन की गरिमा बनी रहे इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप परम्पराओं से आइये, आप नियमों से चलिये, आप इस कुर्सी की रक्षा करिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री जुबेर खान : XXX

श्री अमरा राम (धोद) : XXX

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न होने दें। प्रश्न के बाद में भी इस तरह की कोई बात हो तो आप कहें जरूर लेकिन प्रश्नकाल में प्रश्न लेने दें। प्रश्नकाल का समय है। (व्यवधान) पहले प्रश्न होंगे। (व्यवधान)

श्री अमरा राम (धोद) : XXX

श्री जुबेर खान : XXX

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

श्री अध्यक्ष : धोद से आने वाले माननीय सदस्य, यह प्रश्नकाल है, मैं नियमों से चल रही हूं। प्रश्नकाल का समय है, प्रश्न होने दीजिये। प्रश्न होने दीजिये। आप कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री अमरा राम (धोद) : XXX

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

श्री जुबेर खान : XXX

श्री सुशील कटारा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सीमलवाड़ा के रिक्त पदों में जीव विज्ञान तथा रसायन शास्त्र के पद काफी समय से रिक्त हैं, मैं जानना चाहूंगा कि पिछले 3-4 वर्षों से यह पद रिक्त हैं तो कब तक भरे जायेंगे?

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

श्री अमरा राम (धोद) : XXX

श्री वासुदेव देवनानी : दो साल से पद रिक्त हैं, उन रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार ने कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है। (व्यवधान)

श्री अमरा राम (धोद) : XXX

श्री जुबेर खान : XXX

श्री वासुदेव देवनानी : ... बहुत जल्दी हम पोस्टिंग देने वाले हैं। 500 पदों को हम भरने जा रहे हैं। (व्यवधान) प्रमोशन दिये जा चुके हैं जिनको हम जून तक भर देंगे। (व्यवधान) 3500 फर्स्ट ग्रेड के पद भरने जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा (गुढ़ा) : XXX

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

श्री जुबेर खान : XXX

श्री बंशीलाल खटीक : XXX

श्री सुशील कटारा : मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में काफी समय से शारीरिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं, ये कब तक भरे जायेंगे? (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा : XXX

श्री बंशीलाल खटीक : XXX

सदस्य का निलम्बन

श्री संयम लोढ़ा, सदस्य, विधान सभा को शेष सत्र से निलम्बित करने का प्रस्ताव

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य संयम लोढ़ा ने ... (व्यवधान) नियमों और परम्पराओं का नाश कर दिया है इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इनको शेष सत्र के लिए निलम्बित किया जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय मुख्य सचेतक ने रखा है वह सही रखा है। यह सदन नियमों से चलता है, परम्पराओं से चलता है। इस सदन की शानदार परम्परा रही है। आज इस सदन के अन्दर जिस तरह का प्रदर्शन अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने किया है यह एक तरह से सदन की परम्पराओं को कलंकित करने का काम किया है। (व्यवधान) मैं इसका समर्थन करता हूं। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतक का प्रस्ताव है, उस पर वोट कराइये और इनको निलम्बित करिये। आसन का अपमान नहीं चलेगा सदन में। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : XXX

श्री रणवीर सिंह गुढा : XXX

श्री हरिमोहन शर्मा : XXX

मोहम्मद माहिर आजाद : XXX

श्री जुबेर खान : XXX

श्री हरिमोहन शर्मा : XXX

मोहम्मद माहिर आजाद : XXX

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

श्री बंशीलाल खटीक : XXX

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

मोहम्मद माहिर आजाद : XXX

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण। नगर से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्यगण, आप सदन को शान्तिपूर्वक चलाना चाहते हैं कि नहीं? (व्यवधान) मैं प्रतिपक्ष को यह निवेदन करना चाहती हूं, कई बार मैंने आपको अपनी बात कहने के लिए सत्ता पक्ष की नाराजगी भी मोल ली है। (व्यवधान) आप बीच में नहीं बोलेंगे। प्लीज, बीच में नहीं बोलेंगे। आप मुझे सुनेंगे पहले। उसके बाद आपको कुछ कहना हो तो खड़े होकर कहेंगे, बैठे-बैठे कोई नहीं बोलेगा। मैंने कई बार यह महसूस करते हुए कि मैं खुद प्रतिपक्ष में रही हूं और प्रतिपक्ष के पास कहने के अलावा कुछ नहीं है, बोलने के अलावा कुछ नहीं होता है। मैंने इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको पूरा मौका देने की कोशिश की है। कई बार मुझे सत्ता पक्ष की नाराजगी भी मोल लेनी पड़ी है लेकिन इस बात को महसूस करते हुए कि प्रतिपक्ष को अपनी बात कहने का मौका होना चाहिये। लेकिन आप जन समस्याओं से दूर होकर और बार-बार वैल में आकर के, आपके पास मौका था, कल आप बजट के ऊपर अपना भाषण

(श्री अध्यक्ष)

देते, सरकार की कमियों को उजागर करते, बजट में जो कुछ कमियां थीं, उन्हें दर्शाते, बताते। वह करने की बजाय वैल में आकर के, नारे लगाकर जबकि मैं कह चुकी थी आपको कि मैं इस बात की जानकारी कर रही हूं सरकार से, जानकारी प्राप्त करने का मतलब ही यही होता है कि सरकार उसका प्रसंज्ञान ले और लेकर के अपना वक्तव्य दे। जबकि कटारियाजी खड़े हो चुके थे, गृह मंत्रीजी खड़े हो चुके थे, अपनी बात कहने के लिए लेकिन आपने सुनना ही नहीं चाहा और एक ही बात के ऊपर रट लगाकर के आपने कहा, मैंने यह कहा था आपसे, जिसमें कि सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, आप दुबारा जीतकर आये हैं, आपसे मैं यह उम्मीद नहीं करती थी कि आप नियमों को बला-ए-ताक में रखकर के और इस प्रकार से यहां पर प्रदर्शन करेंगे, आपसे यह उम्मीद नहीं रखती थी, मैं। (व्यवधान) प्लीज, प्लीज, प्लीज। नगर से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करिये। (व्यवधान) आप मुझे मेरी बात कहने दीजिये। (व्यवधान) अंकित नहीं हो।

डा. सी. पी. जोशी : XXX

श्री देवीशंकर भूतड़ा : XXX

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो, अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : XXX

श्री रणवीर सिंह गुढा : XXX

श्री बंशीलाल खटीक : XXX

डा. सी. पी. जोशी : XXX

श्री नरपत सिंह राजवी : XXX

श्री वासुदेव देवनानी : XXX

डा. सी. पी. जोशी : XXX

श्री सांवर लाल : XXX

अनेक माननीय सदस्य : XXX

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : XXX

श्री मदन राठौड़ : XXX

श्री रणवीर सिंह गुढा : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री संयम लोढ़ा : XXX

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

श्री रणवीर सिंह गुढा : XXX

अनेक माननीय सदस्य : XXX

श्री रणवीर सिंह गुढा : XXX

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

श्री बंशीलाल खटीक : XXX

श्री रणवीर सिंह गुढा : XXX

श्री मदन राठौड़ : XXX

श्री रणवीर सिंह गुढा : XXX

श्री मदन राठौड़ : XXX

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री हरिमोहन शर्मा : XXX

श्री मदन राठौड़ : XXX

श्री हरिमोहन शर्मा : XXX

श्री अध्यक्ष : माननीय, माननीय सदस्यगण।

श्री रणवीर सिंह गुढा : XXX

श्री दुर्गाप्रसाद : XXX

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

श्री बंशीलाल खटीक : XXX

श्री रणवीर सिंह गुढा : XXX

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा ।

श्री रणवीर सिंह गुढा : XXX (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण। माननीय सदस्यगण, आप आसन को नहीं सुनना चाहते हैं? आप आसन की अवहेलना ही करते रहेंगे? माननीय सदस्यगण, मुझे कहते हुए बड़ी तकलीफ भी हो रही है, अफसोस भी हो रहा है कि आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि अध्यक्ष खड़ा हो, अपनी बात कह रहा हो और बीच में ही वरिष्ठ सदस्य खड़ा हो करके अपनी बात कहने लग जाय, मुझे बड़ा अफसोस है।

श्री सी.पी. जोशी : XXX

श्री अध्यक्ष : मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का ।

डा. सी. पी. जोशी : XXX

श्री संयम लोढ़ा : XXX

श्री रमेश खींची : XXX

श्री जोगाराम पटेल : XXX

श्री सांवर लाल : XXX

श्री बृजकिशोर शर्मा : XXX

श्री जुबेर खान : XXX

श्री सांवर लाल : XXX

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : XXX

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री जुबेर खान : XXX

श्री हीरालाल रैगर : XXX

श्री रणवीर सिंह गुढा : XXX

श्री देवीशंकर भूतड़ा : XXX

डा. सी.पी. जोशी : XXX

श्री सांवर लाल : XXX

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

श्री वासुदेव देवनानी : XXX

मोहम्मद माहिर आजाद : XXX

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

मोहम्मद माहिर आजाद : XXX

श्री जोगाराम पटेल : XXX

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

श्री कैलाश त्रिवेदी : XXX

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

मोहम्मद माहिर आजाद : XXX

डा. श्रीगोपाल बाहेती : XXX

डा. सी. पी. जोशी : XXX

डा. श्रीगोपाल बाहेती : XXX

श्री भागीरथ चौधरी : XXX

श्री मदन राठौड़ : XXX

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

डा. श्रीगोपाल बाहेती : XXX

श्री कैलाश त्रिवेदी : XXX

श्री जोगाराम पटेल : XXX

डा. श्रीगोपाल बाहेती : XXX

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

डा. श्रीगोपाल बाहेती : XXX

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

श्री कन्हैया लाल मीणा : XXX

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

श्री रणवीर सिंह गुढा : XXX

श्री भागीरथ चौधरी : XXX

डा. श्रीगोपाल बाहेती : XXX

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

डा. श्रीगोपाल बाहेती : XXX

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : XXX

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

श्री रामकिशोर मीणा : XXX

डा. दिगम्बर सिंह : XXX

श्री भागीरथ चौधरी : XXX

श्री मदन राठौड़ : XXX

श्री कालूलाल गुर्जर : XXX

डा. दिगम्बर सिंह : XXX

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : XXX

श्री अध्यक्ष : गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य, हर बात पर खड़े होना आवश्यक नहीं है। हर बात पर खड़े होना आवश्यक नहीं है, कृपया स्थान ग्रहण करें। कृपया स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करें।

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : XXX

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) माननीय सदस्यगण। माननीय सदस्यगण, अब मेरे यह समझ में नहीं आ रहा है कि आसन को, जब कोई आसन की अवहेलना करे, आसन की माने ही नहीं, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, आपको मैं मौका देती, जब मैं बैठती अपनी बात कहकर के, आपको मेरे खिलाफ या (व्यवधान) अब आप फिर बोल रहे हैं, बिलकुल गलत बात है यह।

डा. सी. पी. जोशी : XXX

श्री अध्यक्ष : I will not tolerate you. मैं इसको टालरेट नहीं करूंगी, गलत बात है यह। यह क्या तरीका है, यह कोई तरीका नहीं है...

डा. सी. पी. जोशी : XXX

श्री अध्यक्ष : यह क्या तरीका है?

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

डा. सी. पी. जोशी : XXX

श्री अध्यक्ष : नहीं, आपके कहने से कुछ नहीं होगा, कह चुकी हूं आपको मैं। आपका अंकित नहीं होगा।

डा. सी. पी. जोशी : XXX

श्री भवानी सिंह राजावत : XXX

श्री अध्यक्ष : मेरे खिलाफ आप अविश्वास प्रस्ताव लाये हैं, बोलियेगा खूब, जो कहना है, कहियेगा...

डा. सी. पी. जोशी : XXX

श्री अध्यक्ष : आपको जो बोलना है, कहियेगा आप।

डा. सी. पी. जोशी : XXX

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

डा. सी. पी. जोशी : XXX

श्री अध्यक्ष : मैं अभी कार्यवाही वृत्तान्त देख कर बताऊंगी कि मैंने क्या कहा और क्या नहीं कहा।

डा. सी. पी. जोशी : XXX

श्री अध्यक्ष : इस सदन का समय आप ही अकेले नहीं लेंगे। आप अकेले नहीं लेंगे सदन का समय और भी माननीय सदस्य हैं। आप अकेले बोलते ही चले जा रहे हैं। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : XXX

श्री ओम बिरला : XXX

डा. सी. पी. जोशी : XXX

श्री ओम बिरला : XXX

श्री जुबेर खान : XXX

श्री अध्यक्ष : आपको तो कुछ कहना है नहीं। आप बजट पर कुछ बहस करना चाहते हैं नहीं और आपको इस तरह सदन का समय गंवाना है।

श्री संयम लोढ़ा : XXX

डा. सी. पी. जोशी : XXX

श्री अध्यक्ष : बहुत कुछ कह लिया आपने। अब आप विराज जाएं। आपने बहुत कुछं कह लिया अब आप स्थान ग्रहण करें।

डा. सी. पी. जोशी : XXX

श्री ओम बिरला : XXX

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करिये। स्थान ग्रहण करें। बहुत कुछ कह लिया आपने। मुझे भी कहने दीजिये। अब आप अपना स्थान ग्रहण करें।

डा. सी. पी. जोशी : XXX

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें अब।

डा. सी. पी. जोशी : XXX

श्री अध्यक्ष : मैंने क्या कहा है, कार्यवाही वृत्तान्त पढ़कर सुनाऊंगी अभी।

डा. सी. पी. जोशी : XXX

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

श्री रामनारायण डूडी : XXX

श्री नन्दलाल बंशीवाल : XXX

श्री रामनारायण डूडी : XXX

डा. सी. पी. जोशी : XXX

श्री नन्दलाल बंशीवाल : XXX

श्री रामनारायण डूडी : XXX

श्री संयम लोढ़ा : XXX

श्री नन्दलाल बंशीवाल : XXX

श्री रामनारायण डूडी : XXX

श्री नन्दलाल बंशीवाल : XXX

श्री रामनारायण डूडी : XXX

श्री संयम लोढ़ा : XXX

श्री हरिमोहन शर्मा : XXX

श्री संयम लोढ़ा : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री संयम लोढ़ा : XXX

श्री जुबेर खान : XXX

श्री नन्दलाल बंशीवाल : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री रामनारायण डूडी : XXX

श्री जुबेर खान : XXX

डा. भंवर लाल राजपुरोहित : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री जुबेर खान : XXX

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

श्री जुबेर खान : XXX

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

श्री रामप्रताप कासनिया : XXX

श्री जुबेर खान : XXX

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : XXX

श्री रामप्रताप कासनिया : XXX

श्री जुबेर खान : XXX

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : XXX

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही आधा घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 11:38 बजे आधा घंटे के लिए स्थगित हुई)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर तथा अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए आगे देखें)

(12.08 बजे)

पुन : समवेत होने पर

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिये स्थगित की जाती है।
(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 12.08 बजे 12.38 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

(12.38 बजे)

पुन : समवेत होने पर

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिये स्थगित की जाती है।
(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 12.39 बजे 13.09 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

(13.09 बजे)

पुन : समवेत होने पर

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

सदस्य का निलम्बन

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, हमारा एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्षजी खड़ी थीं तब आप भी खड़े हो गये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं इजाजत लेकर के...

मोहम्मद माहिर आजाद : कहां ली इजाजत, आप खड़े हो गये।

श्री अध्यक्ष : बैठे-बैठे नहीं बोलें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपकी इजाजत हो तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान के इतिहास में और हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली बार यहां पर जिस प्रकार की घोर अव्यवस्था और जिस प्रकार का आचरण किया गया वह ऐसा निन्दनीय है कि हम नहीं चाहते हैं कि पंजाब हरियाणा की तरह यहां प्रतिपक्ष को बिलकुल... उनकी आवांज को रोक दिया जाए या प्रतिपक्ष अपनी बात भी नहीं कह सके। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जानते हैं कि आपने जितनी सरहृदयता और जितनी उदारतापूर्वक प्रतिपक्ष को आउट-आफ वे जाकर नियमों के विपरीत भी और जिस प्रकार का व्यवहार...

मोहम्मद माहिर आजाद : आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, इनको अलाउ किया है क्या? मुख्य सचेतक महोदय, कहना क्या चाह रहे हो आप? (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : आप क्या कहना चाह रहे हैं? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरा एक प्रस्ताव विचाराधीन है, वह कहना चाह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें, नगर से आने वाले माननीय सदस्य।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्षजी कोई व्यवस्था दे रही थीं अपनी।

श्री अध्यक्ष : मुख्य सचेतक महोदय, कृपया आप भी एक बार विराजें। (व्यवधान)

इन्होंने, अध्यक्ष को एक नोटिस भेजा है और जो नोटिस भेजा है उस पर मैंने इन्हें बोलने की अनुमति प्रदान की है। इसलिये आप कृपया शान्तिपूर्वक सुनें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोशिश की गयी कि जिस प्रकार का आचरण यह चाहते हैं कि प्रतिपक्ष अपने मुद्दे रखे और सरकार उसका जवाब दे। सरकार हमेशा तत्पर है, कल भी हमारे गृह मंत्रीजी ने तत्काल खड़े होकर आपसे निवेदन किया कि आप समय निश्चित करें हम सोजत की घटना पर अपना वक्तव्य देना चाहते हैं। सरकार की ओर से कहा गया कि ओलावृष्टि पर जो कुछ भी नुकसान हुआ है उसके लिये सरकार वक्तव्य देना चाहती है। आप समय निर्धारित करिये। और भी जो प्रस्ताव, स्थगत प्रस्ताव उनके जरिये, उन सब पर चर्चा कराने के लिये आसन से हमने निवेदन किया है। आज तक सरकार पर हमला होता रहा है लेकिन सरकार पर हमला हो, यह प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी है कि वह हमला करे और हमको जागरूक रखे। लेकिन कोई मुद्दे हैं नहीं, तो हमको छोड़कर आसन पर जिम्न प्रकार का हमला किया जा रहा है दो दिन से, अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा अपमान और कुछ नहीं हो सकता है। मैंने पार्लियार्मेंट की और विभिन्न विधान सभाओं की और राजस्थान की विधान सभा की अध्यक्ष व्यवस्थाएं, कौल एण्ड शकधर. प्रक्रिया के नियम, सब पढ़ने का प्रयास किया कि कहीं कभी ऐसा हुआ है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, पहले कहीं पर भी इस प्रकार का नहीं हुआ। क्योंकि आसन से प्रतिपक्ष प्रोटेक्शन चाहता है, आसन उनको प्रोटेक्शन देता है और आसन के बिना प्रतिपक्ष का कुछ है नहीं। लेकिन अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हुए, अध्यक्ष महोदय, यह आपका मामला नहीं है। आप फिर भी यह कह रही हैं कि नहीं, नहीं मुझे हटा दीजिए, फलाना कर दीजिए। आपका मन काफी दु:खी है, हमको पता है, अध्यक्ष महोदय।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, यह गलत बात कर रहे हैं। अब किसको कहा है यह कि मुझे हटा दीजिए, किसको कहा है। आप अपने प्रस्ताव पर बोलें। अध्यक्ष की तरफ से, आप अध्यक्ष के स्पोक्स-पर्सन थोड़े ही हैं। अध्यक्षजी को क्या

(मोहम्मद माहिर आजाद)

कहना है, वह अध्यक्षजी कह देंगी, आप तो अपनी बात कहिये। यह किसको कहा है, आपको कहा क्या, अध्यक्ष ने कि मुझे हटा दीजिए। (व्यवधान) आप अपने प्रस्ताव पर बोलिये, आप अध्यक्ष की तरफ नहीं बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नगर से आने वाले माननीय सदस्य, आप बीच में व्यवधान नहीं डालें।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, ये प्रस्ताव पर बोलें।

श्री अध्यक्ष : नहीं, मैंने कहा। मैंने कहा, मैं आपसे कह रही हूं, आप लोग चाहें तो मुझे हटा सकते हैं लेकिन इस आसन की गरिमा को बनाये रखने की जिम्मेदारी सदन की है और यदि आसन की गरिमा को इसी प्रकार से ठेस पहुंचती रही, तो मैं समझती हूं कि जो स्वस्थ परम्पराएं राजस्थान की विधान सभा ने डाली थीं वह सारी स्वम्थ परम्पराएं नष्ट हो जाएंगी। इसलिये मैंने कहा था कि यदि आप नहीं चाहते कि मैं यहां रहूं तो मुझे हटा दीजिए यहां से।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, शायद जो प्रतिनिधि के रूप में आपके चैम्बर में बैठे, उनके सामने यह सब बातें हुई, उनकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आसन, व्यक्तिगत रूप से आप दु:खी हो सकती हैं, पर आसन व्यक्ति नहीं होता है। यह आसन यदि अपमानित हो जाए यानि यहां पर इस प्रकार का मौका आया कि एक दलित महिला के साथ बलात्कार हो गया और एक माननीय सदस्य ने केवल वह लिखकार लाये उनकी भावनाओं के अनुरूप मुख्य मंत्री की सब बेटियां हैं, एक बेटी के साथ बलात्कार हो गया, एक अपनी तख्ती लटका कर आये, उसके ऊपर, पूर्व सरकार में कई माननीय सदस्य उस समय उपस्थित थे उनको इस सदन से निलम्बित किया गया, उनको इस सदन से हटाया गया।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं किया गया।

श्री महीपाल सिंह यादव : नहीं किया गया।

श्री हरिमोहन शर्मा : नहीं किया, नहीं किया।

मोहम्मद माहिर आजाद : निलम्बित नहीं किया गया, कोई निलम्बन नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : कृपया व्यवधान नहीं डालें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य देवी सिंहजी भाटी एक तख्ती लटकाकर लाये थे 81-85 वाले काल में, उस समय उनकी तख्ती पर लिखा था कि मुख्य मंत्री की बेटी के साथ बलात्कार । इस पर उनको सदन से निकाला गया था।

श्री हरिमोहन शर्मा : नहीं निकाला गया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : निकाला गया था। बाद में वापस लिया। निकाला, बाद में वापस लिया। निकाला, बाद में वापस लिया।

श्री जुबेर खान : लेकिन गृह मंत्री महोदय, स्पीकर महोदय ने उनसे तीन बार कहा था कि माननीय सदस्य, आप यह तख्ती हटा दीजिए। रिकार्ड में है यह। स्पीकर महोदय ने उनसे 3 बार कहा था कि कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य यह तख्ती आप हटा दीजिए और हटाने के बजाय वे कुर्सी पर खड़े होकर यह यूं कर दी थी। यह भी ध्यान में रखियेगा।

श्री जोगेश्वर गर्ग : कल आपको आसन से 30 बार कहा गया, आपने माना क्या, अपने स्थान पर जाने का।

श्री अध्यक्ष : आप बीच में व्यवधान नहीं डालें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन साक्षी है और इसके कई माननीय सदस्य साक्षी हैं कि इस सदन ने, जिन्होंने उदण्डता की है उनको उदारतापूर्वक माफ भी किया है। इसलिये यह कहना कि नहीं निकाला, निकाला है।

श्री अध्यक्ष : क्षमा मांगने पर माफ किया है, ऐसे नहीं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : हां। लेकिन यह आपराधिक भाव तो कम से कम मन में आये कि मैंने अपराध किया है। अध्यक्ष महोदय, एक अपराधी यह कहे कि मैं तो करूंगा और मैंने कोई अपराध नहीं किया है। यदि मान लो मदन दिलावरजी को बाहर

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

निकाला, हमारे जगदीप धनखड़जी को बाहर निकाला और जगदीप धनखड़जी ने अश्रुपूर्ण, आप सब जानते हैं, साक्षी हैं कि इस सदन की कितनी गरिमा होती है, उन्होंने माफी भी मांगी। फूट-फूटकर रोये कि हमने इस सदन की गरिमा को भंग किया है। वह उस समय गरिमामय भी थी। उस समय उसकी फोटो भी मेरे पास है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह सब सरकार और प्रतिपक्ष के प्रति आज तक यह व्यवहार होता रहा है लेकिन पहली बार आसन के प्रति इस प्रकार का व्यवहार किया गया। इससे यह सारा सदन इतना दु:खी है, अध्यक्ष महोदय, यह सारा सदन इतना दु:खी है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। आज इस सदन में रहने के लायक, प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्य भी इससे सहमत हैं कि जिस प्रकार....

श्री हरिमोहन शर्मा : प्रतिपक्ष का कोई सदस्य सहमत नहीं है। प्रतिपक्ष का कोई सदस्य सहमत नहीं है। आप प्रतिपक्ष की तरफ से मत बोलिये। आप अपनी तरफ से बोलिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं जानता हूं कि यहां पर सब एकमतता दिखाएंगे। आपकी मीटिंग में यह बात हुई कि एकाध मैम्बर, वह इस सारे सदन पर इतना हावी हैं कि हमारे प्रतिपक्ष के जो अधिकार हैं, एम.एल.ए. के नाते अधिकार हैं...

श्री अध्यक्ष : आप तो अपनी बात कहिये, आपको प्रतिपक्ष की बात करने की क्या आवश्यकता है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यहां भले ही नहीं कहें लेकिन यह मन के दु:ख की बात सबकी है और यदि नहीं है तो इससे ज्यादा शर्मनाक, इसका मतलब इनका मन भी मर गया। यदि मान लो आपकी आत्मा यह गवाही नहीं देती है, कई माननीय सदस्य तो आज यहां होते हुए भी इसलिये यहां पर नहीं हैं कि उनकी आत्मा रो रही है। आप अपनी सीटों पर आगे-पीछे देख लो कि जिनकी आत्मा बोलती है वह इस सदन में ऐसी बेशर्मी.... (व्यबधान) आप तो + + + हैं, आपको तो क्या कहा जाए।

श्री अध्यक्ष : बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य, आवश्यक नहीं है बीच में खड़े होना।

श्री महीपाल सिंह यादव : ये अन्तर्यामी हैं क्या? हमारी आत्मा रो रही है, ये अन्तर्यामी हैं क्या?

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं। प्रक्रिया के नियम 292 के अन्तर्गत प्रस्ताव। आज दिनांक 29 मार्च, 2005 को सदन की कार्यवाही प्रारम्भ हुई तथा प्रश्नकाल प्रारम्भ होते ही प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य श्री संयम लोढ़ा व अन्य माननीय सदस्य हा-हुल्ला करने लगे और सदन की कार्यवाही में लगातार व्यवधान उत्पन्न करने लगे और कार्यवाही को बाधित करते रहे। आसन के निर्देशों की बार-बार अवहेलना की। माननीय सदस्य श्री संयम लोढ़ा आसन के विरुद्ध एक अपमानजनक पर्दा हाउस में लाये जिस पर लिखा हुआ था- "स्पीकर अपनी दादागीरी चलाओ" उसका सदन में प्रदर्शन किया। उनका यह कृत्य आसन के विरुद्ध घोर अवमानना व सदन की गरिमा को गिराने वाला है। श्री संयम लोढ़ा द्वारा आसन के आदेशों की अवहेलना करना रोज की आदत बन गयी है। उनका यह कृत्य संसदीय परम्पराओं के विपरीत है।

अतः मैं प्रक्रिया के नियम 292 के तहत यह प्रस्ताव करता हूं कि माननीय सदस्य श्री संयम लोढ़ा का उक्त आचरण सदन की गरिमा को गिराने वाला एवं संसदीय परम्पराओं के प्रतिकूल है, उनके इस कृत्य के लिए विधान सभा की इस सत्र की शेष अवधि के लिए सदस्यता निलम्बित की जाए।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, सरकारी मुख्य सचेतक महोदय ने जो 292 का हवाला दिया है, मैं उस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। 292 आपके लिए है। इसके अन्दर कोई मोशन, रिजोल्यूशन नहीं लाया जा सकता है।

292. Suspension of Member :- (1) The Speaker may, if he deems it necessary, name a member who disregards the authority of the Chair or abuses the rules of the House by persistently and wilfully obstructing the business thereof.

(2) If a Member is so named by the Speaker, he shall forthwith put the question that the Member (naming him) be suspended from the service of the House for a period not exceeding the remaineder of the session.

Provided that the House may, at any time on a motion being made resolve that such suspension be terminated.

(श्री जुबेर खान)

आप, इसके तहत स्पीकर को अधिकार है कि किसी मैम्बर को नामजद करके सदन के बाहर निकलवायें। आप इसके तहत मोशन नहीं ला सकते। आप मोशन लाकर उसको टरमिनेट करवा सकते हो, स्पीकर ने जो वहां आदेश दिया है। आगे भी लिखा है-

(3) A Member suspended under this rule shall forthwith withdraw from the precincts of the House.

यह जो इस रूल के अन्दर मोशन लाये हैं, यह सरासर गलत है। किसी मैम्बर को अधिकार नहीं है मोशन लाने का। यह सिर्फ चेयर को अधिकार है और अगर चेयर समझती है कि कोई सदस्य सीमाओं से बाहर जा रहा है तो उसको नामजद करे। इसलिए यह मोशन को रिजेक्ट किया जाए। यह नियमों के अन्तर्गत नहीं आता है।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी आपसे यही निवेदन है कि सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने आसन की कोई अवहेलना नहीं की है। आप इनको कहते कि आप इस पर्दे को हटा लीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य उस पर्दे को हटा लेते । आपने एक बार भी नहीं कहा। आपने तो सीधा मार्शल को कह दिया कि आप जो भी है, इसको जाकर छीन लाइये। अगर आसन एक बार भी निर्देश देता और माननीय सदस्य उस पर हठधर्मिता करते तब तो आसन की अवहेलना होती। इसलिए आसन की कोई अवहेलना नहीं की गयी। बता दीजिए आप, एक बार भी अगर कहा हो और मार्शल आया तो भी उन्होंने वह पर्दा मार्शल को ले जाने दिया। उसको रोकने की कोशिश नहीं की। इसलिए सरकारी मुख्य सचेतक का यह कहना कि माननीय सदस्य ने आसन की अवहेलना की है, यह बिलकुल गलत है। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने आसन की कभी अवहेलना नहीं की है। कांग्रेस के किसी भी सदस्य का मन्तव्य आसन की अवहेलना करना कदापि नहीं रहा है। अध्यक्ष महोदय, अगर आप जरा सा भी इशारा करते तो वह .... (व्यवधान)

श्री ओ.पी. महेन्द्रा : यह आसन की अवहेलना नहीं है? आप आज पर्दा लेकर आये हैं तो कल वे भी लेकर आएंगे। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : इस प्रस्ताव को रिजेक्ट किया जाना चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा था कि अभी प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय ने राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 292 का उल्लेख किया। इन्होंने इसका खण्ड-1 तो पढ़ दिया पर खण्ड-2, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसमें लिखा है- "परन्तु सदन किसी भी समय, प्रस्ताव किये जाने पर, संकल्प कर सकेगा कि ऐसा निलम्बन समाप्त किया जाये।" इसका मतलब सदन के अन्दर जो प्रस्ताव मुख्य सचेतकजी ने रखा है, वह प्रस्ताव सदन में विचारार्थ है और उस पर अभी निर्णय सदन को लेना है इसलिए यह जो प्रस्ताव रखा है, यह प्रस्ताव बिलकुल विधि-सम्मत है और प्रक्रियाओं और नियमों के अनुरूप है।

श्री जुबेर खान : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, आप इसको अधूरा मत पढ़िये। आपका हिन्दी में पढ़ता हूं। एक मिनट सुन लीजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हां-हां, मैं बताता हूं।

श्री जुबेर खान : क्योंकि महत्वपूर्ण है। आप कानून के तो, सदन को पूरा अधिकार है 292 का उल्लेख करने का, क्योंकि आपने 292 का हवाला दिया है। आपने 292 का हवाला दिया है इसलिए सदन को पूरा अधिकार है 292 का उल्लेख करने का इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, 292 में है-

"292. सदस्य का निलम्बन- (1) यदि अध्यक्ष आवश्यक समझे तो वह उस सदस्य का नाम ले सकेगा जो अध्यक्ष पीठ के प्राधिकार की उपेक्षा करे या जो हठपूर्वक और जान-बूझकर सदन के कार्य में बाधा डालकर सदन के नियमों का दुरुपयोग करे।" अध्यक्ष उसका नाम पुकार सकेगा।

"(2) किसी सदस्य का अध्यक्ष द्वारा इस तरह नाम लिया जाये तो वह तुरन्त प्रश्न रखेगा कि सदस्य (उसका नाम लेकर) उसका नाम लेकर, स्पीकर लेंगे। को सत्र के अवशिष्ट काल तक सदन की सेवा से निलम्बित किय जाये।" फिर जो आपने मंत्री महोदय ने जो कहा है वह-

"परन्तु सदन किसी भी समय, प्रस्ताव किये जाने पर, संकल्प कर सकेगा कि ऐसा निलम्बन समाप्त किया जावे।" ठीक है। आपको समाप्त करने का अधिकार है। आपको इसका कोई अधिकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष : बैठिये अब, समझ ली मैंने आपकी बात। आप क्या कहेंगे?

डा. सी. पी. जोशी : आप कहें तो नहीं बोलें? सुनेंगे तब ही तो पता चलेगा कि क्या बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, बोलिये आप। बोलिये, कह रही हूं न बोलिये। वे कोई नई बात लाएंगे, शांति से सुनिये।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव सरकारी मुख्य सचेतकजी ने रखा है उसको सही परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। कल हाउस एडजोर्न किया गया था चेयर के द्वारा। आज क्वेश्चन आवर शुरू हुआ था। अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन आवर को रेगुलेट करने का काम अध्यक्ष का है। अध्यक्ष ही क्वेश्चन आवर को रेगुलेट करता है। अध्यक्ष महोदय, यह जो रूल कोट किया गया है, उस रूल के पार्ट-2 में हमारे चीफ-व्हिप ने जो बात कही है कि स्पीकर किसी चीज को परसिस्टेंटली वह एब्यूज करे, आपके आर्डर को, आपकी किसी चीज को, तब अधिकार बनता है कि उसको नेम करके आप बाहर निकाले। उसका दूसरा पार्ट है। जब निकाल दिया बाहर तो मोशन द्वारा उसको ले सकते हैं, यह इसका पार्ट है। जो माननीय संसदीय मंत्रीजी ने आधा पार्ट पढ़कर सुनाया है। स्पीकर को ही नेम करके बाहर निकालने का अधिकार है। अध्यक्ष महोदय, अब आप याद करिये, क्वेश्चन आवर चल रहा था, कल से प्रतिपक्ष एजीटेट था। प्रतिपक्ष किस बात पर एजीटेट था, यह आपको मालूम है। अध्यक्ष महोदय, मैं उन बातों को याद दिलाना नहीं चाहता हूं। आपके चैम्बर में भी बात की, उनको भी मैं याद दिलाना नहीं चाहता हूं। लेकिन मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं कि मैं या मेरी पार्टी का या सदन के किसी भी सदस्य का यह मत नहीं हो सकता है कि अध्यक्ष की अवहेलना की जाए। अध्यक्ष की आज्ञा को सर्वोपरि मानना सबका धर्म है लेकिन प्रतिपक्ष को अपने राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेस्ट करना पडता है। एजीटेट करना पडता है। अध्यक्ष की आई को कैच करना पड़ता है। कभी-कभी अध्यक्ष की आई को कैच करने की आवश्यकता पड़ती है तब जाकर अध्यक्ष अपनी रूलिंग को बदलता है। यह परम्परा सदन की वर्षों से रही है। आप भी नौ बार सदस्य रहे हैं। कितनी बार विपक्ष में बैठे हैं। आपने भी कितनी बार एजीटेट किया है। कितनी बार एजीटेट करने के बाद चेयर में बैठने वालों ने उनको अलाउ नहीं किया, फिर आपने अपने हिसाब से आई कैच किया और यह व्यवस्था की गयी है। आज जो माननीय सदस्य मंत्री बने हुए

(डा. सी.पी. जोशी)

हैं, यह भी अपोजीशन में बैठे हुए थे। कितने इश्यूज पर इन्होंने एजीटेट किया है। इन्होंने अब सदन में क्या किया है यह सब चीजें सबको मालूम हैं। कोई भी घटना जिससे सदन की अवमानना हो, किसी भी सदस्य को उसको एप्रीशिएट नहीं करना चाहिए। मैं भी इस पक्ष का हूं कि एप्रीशिएट नहीं करना चाहिए लेकिन उस प्रस्ताव को लाकर प्रतिपक्ष की भावना को कुंठित किया जाए, प्रतिपक्ष की आवाज को दबाया जाए, इसलिए यह प्रस्ताव लाया जाए तो यह तो न तो कानून के अन्तर्गत है, माननीय अध्यक्ष महोदय, और न प्रतिपक्ष की भावनाओं को ठीक ढंग से करने के लिए है।

अध्यक्ष महोदय, आप सब जानते हैं कि सदन में तीन आदमी सबसे इम्पोर्टेण्ट हैं। एक आप जो अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। एक लीडर आफ द हाउस । यहां पर लीडर आफ द हाउस है, उस हाउस का मैं भी मैम्बर हूं। सिरोही के माननीय सदस्य भी मैम्बर हैं। यह माननीय मुख्य मंत्रीजी यहां पर नहीं हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी यहां पर लीडर आफ द हाउस होने के कारण मुख्य मंत्री हैं। बाहर जब हम जाकर बैठते हैं और मुख्य मंत्रीजी से बात करते हैं, तो वह मुख्य मंत्री है क्योंकि एक पार्टी को रिप्रजेंट करते हैं। उस पार्टी का बहुमत है इसलिए वे वहां पर मुख्य मंत्री हैं। लेकिन इस हाउस के अन्दर, माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर मुख्य मंत्री नाम का कोई पद नहीं है। यहां पर केवल मात्र पद लिखा हुआ है- लीडर आफ द हाउस। लीडर आफ द हाउस एक सबसे बड़ा आर्गन है। लीडर आफ द अपोजीशन दूसरा आर्गन है और स्पीकर तीसरा आर्गन है। अध्यक्ष महोदय, अब आप बताइये कि कल कन्फ्रंट्रेशन हो रहा था एक अधिकार के लिए कि प्रतिपक्ष का नेता बोलेगा या नहीं बोलें। स्थगन प्रस्ताव पर आपने व्यवस्था दी, उस व्यवस्था के बाद में जो प्रतिपक्ष के नेता थे उनको कहीं पर जाना था। वे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते थे कि सोजत की घटना पर मैं बात करना चाहता हूं। मंत्रीजी उस पर जवाब देना चाहते थे। यह एक इश्यू हो सकता है कि मंत्रीजी जवाब देना चाहते थे। सरकार तैयार थी। सी.एल.पी. लीडर को नहीं बोलना चाहिए? लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको यह भी नहीं भूलना पड़ेगा कि यह भी सदन की परम्परा रही है कि सी.एल.पी. लीडर या लीडर आफ द अपोजीशन जब बोलते हैं, तो उनको हर समय बोलने का मौका मिलता है और वह भी स्थिति बनी हुई थी। जब हमारे लीडर आफ अपोजीशन ने बोलने की कोशिश की थी तो इसलिए कन्फ्रंट्रेशन हुआ, कन्फ्रंट्रेशन होने के बाद आप भावना में आकर, आपने भी बात कही कि सदन में दादागीरी है? हमारे सदस्यों ने नारे

(डा. सी.पी. जोशी)

लगाये। नारे डिजायरेबल हो सकते हैं, नहीं डिजायरेबल हो सकते हैं, मैं उसकी मैरिट में नहीं जाता लेकिन उसके बाद यह बात स्टार्ट हुई कि दादागीरी नहीं चलेगी।

आपने कहा दादागीरी तो उनकी नहीं चलेगी, दादागिरी मेरी चलेगी। हमने हाइली फील किया है, अध्यक्ष महोदय, हम विरोध में बैठे हुए हैं। बोलने का हमारा अधिकार है। आप कुर्सी पर बैठकर कहें दादागीरी मेरी चलेगी, आपकी भावना हो सकती है। आपने उस कांटेक्स्ट में कहा होगा। लेकिन हमारी भावना हर्ट हुई कि अध्यक्ष, जिससे हम प्रोटक्शन चाहते हैं, यदि वह यह फील करता है कि दादागिरी मेरी चलेगी तो हमारे पास आप्शन कहां? कहां पर जायें लोकतंत्र में बात करने के लिये। लोकतंत्र में यह सदन ही सर्वोपरि है, जहां हम अपनी बात कह सकते हैं। इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने आज 11 बजे ही यहां पर एक एजीटेट किया। जब अध्यक्ष का और अपोजिशन का कन्फ्रन्टेशन हो, हमारे लीडर आफ अपोजिशन को बोलने नहीं दें, तब धर्म किसका बनता है अध्यक्ष महोदय? What is the role of the Leader of the House? वह लीडर आफ द हाउस का धर्म बनता था कि कल नेगोशियेट करते। आगे आकर बात करते, हमारे सदस्यों से पूछते कि क्या बात हो गयी? कैसे इन चीजों पर आये? अगर 50 साल के इतिहास में, लोकतंत्र के इतिहास में हरदम इनीशियेट करके ऐसे मामले को खतम करने की कोशिश की है। हमें खुशी होती, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि लीडर आफ द हाउस की तरफ से, माननीय मुख्य मंत्रीजी इस मामले को खतम करने की कोशिश करतीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप उस सारी बात को सही बताने की कोशिश कर रहे हैं जो आज सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने की।

डा. सी. पी. जोशी : आप बाद में बोल लेना अपनी बात। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, आप यही कहना चाहते हैं? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : आपकी बात बाद में बोल लेना न। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यही गरिमा बनाना चाहते हैं? इस तरह से गरिमा बनेगी? बात करते हैं आप। (व्यवधान) हद करते हैं आप।

डा. सी. पी. जोशी : आप अपनी बात बोल लेना। हमने इनकी पूरी बात सुनी है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्षजी ने अलाउ किया है, खड़े हो जाते हैं बीच में (व्यवधान)

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर) : यह लोकतंत्र है, विक्टोरिया का शासन नहीं है, अध्यक्षजी ने अलाउ किया है। यह कोई विक्टोरिया का शासन है, क्या?

डा. सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, उनका धर्म पूरा हो गया। उनको मुख्य मंत्रीजी से नम्बर लेने थे, नम्बर मिल गये उनको। वह इन्टरवीन कर सकते हैं, उनको नम्बर मिल गये। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सी.पी. जोशी साहब बड़े विद्वान हैं। आप यह सही मानते हैं कि माननीय संयम लोढ़ा जो बैनर लेकर जाये, हाउस में, उसके ऊपर बोलिये आप।... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बताओ, मैं क्या बोलूं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, आप कृपया... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : प्रश्न यह है कि बैनर लाये हैं, उनको निलम्बित किया जाये?

डा. सी.पी. जोशी : अब, अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी खुद खड़े हो गये, इनको भी निलम्बित किया जाये, क्या मुख्य मंत्रीजी से रिक्वेस्ट करूं कि मंत्रीजी को ड्राप किया जाये, मैं तो नहीं कर सकता। यह मुख्य मंत्रीजी का प्रिविलेज है कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को न माने, उसको मंत्री बनाये या नहीं बनाये, यह मुख्य मंत्रीजी का प्रिविलेज है। मैं तो यह नहीं कहता कि आपको निकाला गया है। मैं तो कहता हूं आपको मंत्री बनायें, मुख्य मंत्री बनाया जाये। ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आप तो यह बताइये माननीय सदस्य ने जो किया, वह सही है क्या? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : आपने पूरी बात सुन ली मेरी? (व्यवधान) तो सुन तो लो फिर बोलना। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आप क्या बोल रहे हैं?...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : फिर आप बोलना । माननीय अध्यक्ष महोदय, उस कान्टेक्स्ट में आज 11 बजे जब क्वेश्चन आवर था, जिसमें एजीटेशन हुआ, जिसमें हमने अपनी बात कही, अध्यक्ष महोदय, उस समय आपको यह अधिकार था कि आप सदस्य के किसी कृत्य को कण्डेम करते, आप उसको नेम करते, आप मार्शल को इंस्ट्रक्शन देते, बाहर निकलने की बात करते, आपके आदेश के बाद माननीय सदस्य यदि उसकी अवहेलना करते तो निश्चित तौर पर सरकारी चीफ व्हिप ने जो प्रस्ताव रखा, वह सही परिप्रेक्ष्य में बात होती। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, वह घटनाक्रम तो नहीं हुआ। आज जिस घटनाक्रम में हम जिस मूल मुद्दे पर हैं, अध्यक्ष महोदय,...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्षजी ने कल भी यह कहा था कि आप सदन से बाहर चले जायें। उनके आदेश की पालना हुई क्या? अध्यक्षजी ने आज भी कहा।

मोहम्मद माहिर आजाद : क्या कहा? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : नाम से पुकारा, टोका, उनके आदेश की पालना हुई क्या? मार्शल को भेजा और यह अप्रिय स्थिति न बने, यह हमने कोशिश की। दिल्ली में जिस प्रकार आचरण किया, बाहर निकाल दिया। हम भी कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। हम आपका पूरा सम्मान करते हुए कि प्रतिपक्ष यहां पर सम्मानित तरीके से अपनी बात कहे, इसके लिये हमने कड़वे घूंट पीये हैं और मैं आपको, बताऊं माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हरिसिंह (महुआ) जो सरकारी मुख्य सचेतक थे, 19 मार्च, 2002 को माहिर आजाद और जगत सिंह दायमा ने नाथूसिंहजी गुर्जर के खिलाफ यह लाये और इतना ही नहीं महेश जोशी, सरकारी उप मुख्य सचेतक ने 2 अप्रैल, 1999 को मदन दिलावर को परसादीलाल मीणा के कारण सात दिवस के लिये बाहर निकाला।

एक माननीय सदस्य : यह बार-बार व्यवधान करते हैं, इनके लिये कोई कानून नहीं हैं क्या? कोई नियम नहीं है क्या? 2008 में आपको बाहर कर देंगे हम।

श्री अध्यक्ष : मैं कह दूंगी सब, अब बिराजें आप। माननीय मुख्य सचेतक महोदय, मैं बता दूंगी, कब-कब निकाला। आपकी बात सुन ली। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : वह तो खड़े हो गये, मैं कहां बोला हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : तो आप तो बैठ गये थे न बाद में।

डा. सी. पी. जोशी : वह खड़े हो गये तो मैं क्या करूंगा?... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जानते हैं, फ्लोर मेरे हाथ में है, तो माननीय चीफ व्हिप की ड्यूटी बनती है। नियम और कानून का प्रस्ताव ला रहे हैं। यह इनका धर्म नहीं बनता जब फ्लोर मेरे पास है तो खड़े होकर नहीं बोलना चाहिये। यह नियमों की अवहेलना नहीं हुई? इनको बाहर निकालने का प्रस्ताव कौन रखेगा? हम तो रख सकते नहीं। हमारी मैजोरिटी है नहीं । मैजोरिटी इनके पास है इसलिये यह फैसला करेंगे कि कौनसा व्यवहार ठीक है, कौनसा व्यवहार क्या है, यह फैसला यह करेंगे, अध्यक्ष महोदय। और आप देखिये, अध्यक्ष महोदय, कि फ्लोर मेरे पास है और आपकी परमिशन से बोल रहा हूं मैं, नियम का उल्लंघन यह कर रहे हैं। अब इनको बाहर निकालने का प्रस्ताव कौन लायेगा, अध्यक्ष महोदय?

अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि 11 बजे जो क्वेश्चन आवर था, उस क्वेश्चन आवर में केवल मात्र इस रूल के अन्तर्गत आपको अधिकार है, आप मुझे बता दें, हम भी सदन में थे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं आपको नियम याद दिला दूं। वह 291 है। रूल 291 है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य सचेतक महोदय, बिराजो अब आप। आपने अपनी बात कह दी, आपने अपना प्रस्ताव दे दिया। अब वह कुछ कह रहे हैं, मुझे कह लेने दो, मैं दे दूंगी व्यवस्था।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह रूल 291 है।

श्री अध्यक्ष : वह ठीक है।

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं फिर ध्यान आकर्षित कर दूं इस बात पर,

If the Speaker may direct any member, whose conduct is in his opinion, grossly disorderly, to withdraw immediately from the House and any member so ordered to withdraw shall do so forthwith.

अध्यक्ष महोदय, क्या आपने 11 बजे सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य को नेम किया था, क्या आपने उनको आदेश दिया था, क्या आपने कहा था उनको बाहर निकल जाये, क्या आपके आदेश की अवहेलना की गयी थी? आपके आदेश की अवहेलना की होती तो निश्चित तौर पर यह प्रस्ताव आना चाहिये, मैं कह देता हूं। लेकिन साथ में मैं यह कहना चाहता हूं, मैं उन लोगों में नहीं हूं, मैं इस बात को भी कहता हूं कि परम्परा रही है। सदन की परम्परा रही है कि ऐसा कृत्य नहीं होना चाहिये। मैं उन लोगों में भी नहीं हूं जो इस बात को एप्रीशियेट करना चाहते हैं, लेकिन जिस कान्टेक्स्ट में यह प्रस्ताव लाया जा रहा है, उसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूं। मैं कहना चाहता हूं यदि आपने इस प्रस्ताव के आधार पर, बहुमत के आधार पर यह निर्णय कर दिया तो प्रतिपक्ष चुप नहीं बैठेगा। लोकतंत्र में अपने अधिकार के लिये पूरा प्रयास करेगा, यह बात समझने की आवश्यकता है। यदि आप समझते हैं कि हमारा गला घोंटकर, सदस्य को बाहर निकालकर, हम हाउस चला लेंगे तो ऐसी परम्परा में, अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं इसमें पार्टी नहीं बनें। आप नौ बार विधान सभा सदस्य रही हैं। इस सदन की गरिमा रही हैं। आपको कम से कम यह कहना चाहिये। आपको यह भी कहना चाहिये कि जो माननीय लीडर आफ द हाउस के एडवाइजर हैं, मुझे पता नहीं कौन एडवाइजर हैं, क्या उनका धर्म नहीं बनता कि लीडर आफ द हाउस को कहते, इस सम्बन्ध में कोई बात नहीं। मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि सदन की गरिमा दोनों तरफ से बनती है। यदि हमारे सदस्य ने कोई कृत्य किया जो डिजायरेबल नहीं है, मैं क्षमाप्रार्थी हूं, मैं उन लोगों में नहीं हूं जो इन चीजों को आगे बढ़ाने में बात करें, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे अपेक्षा करता हूं कि लीडर आफ द हाउस ने अपने धर्म का निर्वहन नहीं किया, इनीशियेट नहीं किया, डेडलाक खतम करने के लिये नहीं किया तो निश्चित तौर पर इस सम्बन्ध में भी हम सबको चिन्ता व्यक्त करनी चाहिये। नहीं तो आने वाले समय में लोकतंत्र कमजोर हो जायेगा। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहते हैं मेहरबानी करके आप इसके सही कान्टैक्स्ट में बात करें। आज हमारे लीडर हाउस में नहीं हैं। लीडर यहां पर हाउस में होते तो जो प्रस्ताव रहता, हम सब उस सम्बन्ध में बात करते।

श्री अध्यक्ष : आप कोई लीडर से कम हो क्या?

डा. सी.पी. जोशी : आफिशियल नहीं हैं। यही, अध्यक्ष महोदय, तकलीफ है। आप क्वालिफाई कर देते हैं। मैं उससे कम हूं या नहीं हूं। यह अधिकार तो आप बाद में कहते। मेहरबानी करके पहले मत किया करें आप। हमारी और कोई शिकायत आपसे नहीं है। आप हर आदमी जो बोलता है उसको क्वालिफाई कर देते हैं। एडजेक्टिव लगा देते हैं। एड्जेक्टिव लगा देते हैं। मेहरबानी करके आपका अधिकार है, आप सुनने के बाद फैसला करें। लेकिन बीच-बीच में आप जो क्वालिफाई करते हैं, वह हमको हर्ट करता है। अध्यक्ष महोदय, हम आपसे आशा करते हैं, आपका अधिकार है, परम्पराएं बनी हैं, क्या यह परम्परा बनाये रखने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है कि कल से लगाकर आज तक लीडर आफ द हाउस को, जो इनीशियेटिव लेना है, उस इनीशियेटिव लेने में कहीं कमी रही है, उस कमी को दूर करना आवश्यक है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इस प्रस्ताव से सदन की गरिमा और परम्परा नहीं बढ़ेगी। सदन की परम्परा और गरिमा इस बात में बढ़ेगी लीडर आफ द हाउस खड़े होकर कहें कि जो कुछ भी हुआ है, इस सम्बन्ध में ऐसी बात नहीं हो, हम भी हमारे लीडर आज नहीं है, हमारे चीफ व्हिप के माध्यम से आपसे कहना चाहते हैं ऐसी परम्पराएं सदन में बनें जिससे हमारी गरिमा बढ़े। ऐसा कोई गलत कृत्य हुआ जिससे आपको लगता है कि ठेस पहुंची है तो हम इसके लिये माफी मांगने के लिये तैयार हैं। लेकिन हम यह भी कहना चाहते हैं, अध्यक्ष महोदय, कि लीडर आफ द हाउस ने यदि अपनी परम्परा का निर्वहन नहीं किया तो आपका धर्म बनता है, आप मेहरबानी करके उनको पोलाइटली, यह राजस्थान की परम्परा है, जो नैसेसिटी है, उस सम्बन्ध में भी आप बात करें। नहीं तो माननीय मुख्य मंत्रीजी जिस बैकग्राउण्ड से आई हैं, राजा-महाराजा के बैक-ग्राउण्ड से आई हैं, इनके आस-पास जो कोटरी इकट्ठी हो गयी है, इनके पास जो कोरियर इकट्ठे हो गये हैं, वह इन परम्पराओं को कमजोर कर देंगे और राजस्थान में लोकतंत्र कमजोर हो जायेगा। इस लोकतंत्र को कमजोर होने में आप भागीदार नहीं बनिये और आप दुबारा इस बात को कहें कि लीडर आफ द हाउस को हम पूरा अधिकार देते हैं, हमारे लीडर कल आ जावें, बैठकर फैसला कर लें और सदन की कार्यवाही चले, हमें कोई तकलीफ नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

डा. एन. एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : आप कोई नई बात कहेंगे? ...(व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : हां मैं नई बात बोल रहा हूं। (व्यवधान) आप बैठिये। आप बैठिये। आप यह एक्सपैक्ट कैसे करती हैं कि मैं रिपीट करूंगा, यह जो बोला गया है।

श्री अध्यक्ष : चलिये बोलिये।

डा. एन. एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य को बहुत अच्छी तरह से सुना है और इनके जो सचेतक हैं, उनको भी सुना है। आपका ध्यान मैं रूल 272 एवं रूल 273 एवं 291 व 292 की तरफ दिलाना चाहता हूं।

श्री रामप्रताप कासनिया : आप पूरी किताब ही बता दो।

डा. एन. एस. गुर्जर : हां, पूरी किताब ही बोल रहा हूं। आपके समझ में आयेगी अभी 1-2 बार और सदन में आयेंगे तब। अध्यक्ष महोदय, कई चीजें ऐसी होती हैं कि आदमी की हाइट पांच फीट होती है और सात फीट की बात कही जाती है तो दो फीट... (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : तीन बार तो हम आ गये, अभी तक समझ में कुछ नहीं आया।

डा. एन. एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय- "सकल पदारथ है जग माही, करमहीन नर पावत नाहीं।"

इसमें मेरा क्या दोष है? कोई पांच बार भी आ जाए, नहीं समझ में आये तो इसमें मेरा दोष थोड़े ही है?

श्री रामप्रताप कासनिया : मेरी किताब में जो लिखा हुआ है वह इनमें कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल ज्ञान है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया व्यवधान नहीं डालें, शांतिपूर्वक सुनें। कृपया शांत रहें।

डा. एन. एस. गुर्जर : आप बहुत विद्वान हैं इसलिए मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, यू आर वैरी इंटेलीजेंट पर्सन। मैं आपसे कई बार कई बातें सीखता हूं।

अध्यक्ष महोदय, 272 का सब रूल 9 है, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा. The Rules to be observed while speaking.

(डा. एन.एस. गुर्जर)

इसका जो 9 है, इसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : 273 पढ़िये आप, 273 में है ... (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, 269 पढ़ रहा हूं। 269 का सब रूल 9 है "(IX) shall not obstruct proceedings ..."

आप जरा सुनिये एक मिनट।

श्री महीपाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य को कर्महीन कहा है, यह कार्यवाही से निकालना चाहिये।

डा. एन. एस. गुर्जर : नहीं, उनको नहीं कहा। मैंने उनके बारे में नहीं कहा। (व्यवधान)

श्री महीपाल सिंह यादव : आपने इनसे कहा है।

डा. एन.एस. गुर्जर : आई विथड्रा। उनके बारे में नहीं कहा। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : कर्महीन तो हूं, इसमें संदेह ही नहीं है। यह तो मुझे पता है, कर्महीन तो हूं।

श्री हरिमोहन शर्मा : नहीं, वह तो इन्होंने कहा है "सकल पदारथ है जग माही करमहीन नर पावत नाहीं"।

श्री रामप्रताप कासनिया : हां तो इसलिए नहीं अज्ञानता है।

श्री हरिमोहन शर्मा : वह तो मंत्रिमण्डल में यह सारे पद होते हुए भी आपको नहीं मिला ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बीच में नहीं बोलें।

श्री रामप्रताप कासनिया : मैं इसका अर्थ समझता हूं अज्ञानता के कारण नहीं समझ पाता।

डा. एन.एस. गुर्जर : अगर आपको उत्तेजित कर रहे हैं आप क्यों हो रहे हो, आपको कहा ही नहीं मैंने।

श्री अध्यक्ष : कृपया बीच में नहीं बोलें। हालांकि उन्होंने भी जो कुछ कहा वह यहां के संदर्भ में रेलेवेंट नहीं था।

डा. एन. एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन कर दूं कि एक चौपाई थी... (व्यवधान) एक मिनट, मुझे कहने दीजिए, आप विराजिए न। मैं स्पष्ट कर देता हूं बैठिये, मैं विथड्रा कर रहा हूं मैंने जो कहा है, बैठ जाइये आप।

श्री महीपाल सिंह यादव : नहीं, एक बात और बता दूं...

श्री अध्यक्ष : बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य, कृपया विराजिए। स्थान ग्रहण करें।

डा. एन. एस. गुर्जर : मैंने विथड्रा कर दिया, आप बैठ जाइये। (व्यवधान)

श्री महीपाल सिंह यादव : इतिहास में गुर्जर विद्वान माली पहलवान हुआ ही नहीं, आप क्या कह रहे हो? क्या कहना चाहते हो?

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें, बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य।

डा. एन.एस. गुर्जर : आप बिराज जाएं, बहुत विद्वान आदमी हैं आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप आक्षेप न लगाएं, अपनी बात कहें। आप रूल्स की बात करें।

डा. एन. एस. गुर्जर : (व्यवधान) नहीं, यह कार्यवाही में रहना चाहिये। बैठिये आप।

अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं मैंने माननीय सदस्य के बारे में नहीं कहा है, एक चौपाई थी वह कही है लेकिन फिर भी मैं मेरे शब्द वापस लेता हूं अगर यह खुद के बारे में समझते हैं, इनको हर्ट फील होता है आई विथड्रा।

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो स्वीकार लिया है कि निर्दलीय हूं इसलिये कर्महीन में तो कोई कमी ही नहीं हैं।

डा. एन.एस. गुर्जर : आपके लिए नहीं कहा मैंने। मैंने एक चौपाई पढ़ी थी। जनरल बात थी एक।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान नियम 269 के सब रूल 9 की तरफ दिलाना चाहूंगा जिसमें कहा गया है कि :-

269. Rules to be observed by Members while present in the House.

(ix) Shall not obstruct proceedings, hiss or interrupt and shall avoid making running commentaries when speeches are being made in the House. आब्स्ट्रैक्ट नहीं करेगा हाउस को। एक कोई भी माननीय सदस्य सदन में खड़ा होकर के पूरे हाउस की प्रोसीडिंग को अपने हाथ में नहीं ले सकेगा, उसको आब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकेगा। नम्बर एक। दूसरा, 272 का (10) है, इसमें लिखा है

(x) Reflect upon the conduct of the Speaker except on a substantive motion for his removal.

श्री अध्यक्ष : सब बात आ गयी इसमें।

डा. एन.एस. गुर्जर : एक मिनट सुनिये तो सही, पूरी बात सुनिये। लेट मी कम्प्लीट। कोई भी आपके खिलाफ अविश्वास लाने का अधिकार है प्रतिपक्ष को। कई बार सदन में लाया भी गया है।

श्री अध्यक्ष : वह तो ले भी आये।

डा. एन.एस. गुर्जर : इनको अधिकार है पूरा, यह लायें, मैं इसमें कोई इनको कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन आपके बारे में कोई रिमार्क करना, आपकी आज्ञा का पालन नहीं करना... (व्यवधान)...

एक मिनट सुनिये। जब आप बोल रहे थे तो मैं चुपचाप सुन रहा था। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में आप खड़ी होती हैं, इस बार मैं एक नयी परम्परा देख रहा हूं कि अध्यक्ष महोदय खड़े हैं, हम भी कई वर्षों तक प्रतिपक्ष में रहे हैं, अध्यक्ष के खड़े होते ही हम तुरन्त बैठ जाते थे, आसन पांवों पर खड़ा होता है और कई माननीय सदस्य खड़े

(डा. एन.एस. गुर्जर)

रहते हैं। यहां तक ही नहीं, उसके बाद तो हद हो गयी कि अध्यक्ष के खिलाफ कल जो सदन में नोरबाजी हुई है, यह पहली बार हुआ है कि अध्यक्ष के खिलाफ सदन के अन्दर नारेबाजी की जाए और नाम लेकर नारेबाजी की जाए। इससे ज्यादा दुर्भाग्य और क्या होगा इस सदन का।

अध्यक्ष महोदय, उसके बाद आज लिख कर के बैनर लगा कर अध्यक्ष महोदय के विरुद्ध और सदन के अन्दर इस तरह से प्रदर्शन करें, इससे ज्यादा अध्यक्ष महोदय के खिलाफ और क्या हो सकता है। आब्स्ट्रैक्ट... (व्यवधान) तगारामजी, एक मिनट विराजो। अध्यक्ष महोदय, यह रूल में प्रोविजन है कि अध्यक्ष महोदय के खिलाफ बोलना, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना तक अपराध माना जाता है। जिसमें उनके ऊपर आक्षेप करना, उनके ऊपर चार्ज लगाना, उनको जान-बूझकर अपमानित करना, टीका-टिप्पणी करना, यह मैं समझता हूं कि इस सदन की परम्पराओं के, इस सदन की जो उच्च परम्पराएं पड़ी हैं, रूल्स हैं या सदन की गरिमा है और स्वयं सदस्यों की गरिमा है उसके भी यह विरुद्ध है। इसलिये. अध्यक्ष महोदय, 291 और 292 दो रूल्स हैं, आज तक सदन में 291 में तो अध्यक्ष को यह अधिकार है कि कोई भी सदस्य उस समय बात नहीं माने तो तुरन्त आई विल नेम यू, इतना ही कहना बहुत है। सदस्यों की गरिमा के लिए और अध्यक्ष की गरिमा के लिए यह रूल इसलिए बनाया गया है कि यह नहीं कहा जाता नाम लेकर के कि माननीय सदस्य, आप बाहर जाइये। यह नहीं कहा जाता, केवल इतना कहा जाता, माननीय सदस्य, आई नेम यू, इसमें ही माननीय सदस्य अगर अपनी गरिमा समझते हैं तो खड़े होकर बाहर चले जाते हैं। मैं भी इस सदन में कम से कम दल साल तक प्रतिपक्ष में रहा हूं और मैं पार्लियामेंट में भी रहा हूं, कई बार हमारी परिस्थितियां ऐसी होती थीं कि हम उत्तेजित हो जाते थे और अध्यक्ष महोदय हमारे सदस्य की तरफ देख कर के कह देते कि आई नेम यू। माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत वहां होते थे, उस सदस्य को इशारा करते थे कि बाहर जाइये और सदस्य खड़ा होकर बाहर चला जाता था।

अध्यक्ष महोदय, हमारी भी गरिमा है। मैं उदाहरण नहीं देना चाहता, एक बार जब माननीय तिवाड़ीजी अध्यक्ष थे मेरे और उनके गरमा-गर्मी हो गयी थी, उन्होंने मुझे आई नेम यू तक नहीं कहा केवल मेरी तरफ देखा और देखने के उपरान्त जब मैं जाने

(डा. एन.एस. गुर्जर)

लगा तो उन्होंने कहा, नहीं, मैंने आपका नाम नहीं लिया है। इतनी उच्च परम्परा, अध्यक्ष महोदय, इसलिये 291 केवल उस दशा में है कि अगर वह माननीय सदस्य आज्ञा का पालन नहीं कर रहा हो तो आप नेम कर सकते हैं और वह बाहर जा सकता है। लेकिन 292 है यह मोशन से सम्बन्धित है। इस सदन में कई बार मुख्य सचेतक महोदय प्रस्ताव लाये हैं इसी नियम के तहत। इस पूरी पुस्तक को मैंने पढ़ा है, कोई दूसरा नियम नहीं है जिसमें लिखा हो कि मुख्य सचेतक प्रस्ताव लायेंगे किसी सदस्य को हटाने का। किसी रूल में नहीं है लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि सदन में कई बार कई सदस्यों के विरुद्ध मुख्य सचेतक, चाहे आपकी सरकार रही हो या हमारी हो, यहां पर प्रस्ताव आये हैं और प्रस्ताव आने के बाद उस सदस्य को जो सदन की शेष बैठकें हैं उनके लिए भी निकाला गया है और यहां तक प्रोविजन है कि पूरे पांच साल तक के लिए भी माननीय सदस्य को सदन से प्रस्ताव के ऊपर निकाला जा सकता है।

इसलिए, अध्यक्ष महोदया, अध्यक्ष महोदय को केवल एक दिन के लिए अधिकार है कि उस समय बिना किसी प्रस्ताव के बाहर निकाल दे, यह 291 में प्रोविजन है So far as 292 is concerned.

इसके अन्दर प्रस्ताव के माध्यम से सदस्य को एक दिन से ज्यादा पांच दिन के लिए, सात दिन के लिए, शेष सैशन के लिए, एक साल के लिए, दो साल के लिए और or remaining period of the Assembly,

उसके लिए भी बाहर निकाला जा सकता है।

इसलिये अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव आया है यह पूरी तरह से नियमों के अनुकूल है और इस पर आप गम्भीरता से विचार करिए। मेरा मंतव्य भी यह कतई नहीं है अध्यक्ष महोदय, कि हम किसी को बाहर निकालें या किसी के विरुद्ध कार्यवाही करें। मैं किसी इंडिविज्युअल बात में नहीं जाना चाहता हूं। मेरा मंतव्य केवल यह है कि सदन के जो रूल्स हैं उनका इंटरप्रिटेशन हम कैसे करें। मैंने उनका हवाला दिया। मेरा इंटरप्रिटेशन यह है कि सदन की उच्च परम्परा कैसे बने और नए जो माननीय सदस्य आए हैं वह किस तरह से इस सदन में व्यवहार करें। जो पुराने सदस्य हैं उनसे ही वह सीखेंगे व्यवहार करना। इसलिए, जिस माननीय सदस्य ने यहां यह काम किया है,

(डा. एन.एस. गुर्जर)

अध्यक्ष महोदय की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, मैं यदि ऐसा काम करता तो अध्यक्ष महोदय, मैं खड़ा होकर खुद आपसे माफी मांगता, क्षमा याचना करता और कहता कि भविष्य में मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। मैं खुद खड़ा होकर मांगता।

इसलिये माननीय सदस्य से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह खुद यहां, गरिमा उनकी बढेगी, खुद खड़े हो जाएं और खुद ही खड़े होकर कहें कि मेरा जो कंडक्ट है आज उत्तेजना में मैंने गलती कर दी । (व्यवधान)

श्री महीपाल सिंह यादव : यह आप फैसला करोगे क्या?

डा. एन.एस. गुर्जर : एक मिनट आप बिराजिए। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं...

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : यह फैसला आप करवा रहे हो क्या? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : इसलिए जो प्रस्ताव आया है आप प्रस्ताव पर विचार करिए, प्रस्ताव को सदन में रखिए और कार्यवाही करिए।

श्री महीपाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आसन जब पैरों पर था तो माननीय सदस्य ने यह कहा कि बैठ जाइये।

श्री अध्यक्ष : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने सारी बात कह दी (व्यवधान) अब आप शांत रहें, स्थान पर बैठें।

डा. एन. एस. गुर्जर : क्योंकि आपको ध्यान ही नहीं रहता।

श्री महीपाल सिंह यादव : आपने खुद अध्यक्ष को कहा है।

डा. एन. एस. गुर्जर : मैंने नहीं कहा है। यह गलत है।

श्री अध्यक्ष : आप आसन की अवहेलना कर रहे हैं। आप दोनों सदस्य आसन की अवहेलना कर रहे हैं। मैं इस विषय में काफी कुछ सुन चुकी हूं। अब मैं निवेदन करना चाहूंगी, कौन बोलेंगे अब?

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : प्रतिपक्ष के उप नेता। रामनारायणजी मीणा सदन के उप नेता हैं प्रतिपक्ष के।

श्री अध्यक्ष : तो आज आप नेता के बजाए बोल रहे हैं क्या?

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, निर्दलियों की तरफ से मैं भी बोलना चाहूंगा।

डा. एन. एस. गुर्जर : मैं एक निवेदन आपकी इच्छा से, माननीय सी.पी. जोशी ने एक बात कही जब आपने कहा कि आप लीडर आफ अपोजिशन हैं क्या? तो उन्होंने कहा आफिशियल नहीं। इसका मतलब डी-फैक्टो लीडर आप अपोजिशन अपने आपको समझते हैं, वह तय कर लें अपनी पार्टी में यह हैं कि वो हैं।

श्री अध्यक्ष : चलिए, चलिए, हां बोलिए।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा। सुबह क्वश्चन आवर में मैं नहीं आ पाया था लेकिन यह घटना कल से चल रही है और आप तो इस सदन की सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं और यह सदन गौरवान्वित है आपको इस अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे देखकर। मैं इस पर नहीं कहना चाहता अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपसे एक ही अनुरोध करना चाहूंगा कि आपको अध्यक्ष के नाते जो आप काम करती हैं, इस सदन का जो संचालन करती हैं उसके बारे में किसी को कोई वह नहीं है कि आप कोई सदन का संचालन करने में किसी तरह का कोई विथून हो लेकिन एक बात मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, आपके लिए दोनों पक्ष बराबर हैं। सत्ता पक्ष की सदस्य के रूप में भले ही आपने चुनाव जीता हो लेकिन सदन के सदस्य के नाते और अध्यक्ष के पद पर विराजमान होने के बाद कोई भी सौतेला आपकी निगाह में नहीं है।

ऐसी स्थिति में, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं रूल्स एण्ड प्रोसीजर की बात नहीं करना चाहूंगा और यह भी सही है कि आज हमारे विपक्ष के नेता महोदय यहां विराजमान नहीं हैं लेकिन साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि सदन में नेता हो या नेता प्रतिपक्ष हो, सदन जब आहूत होता है, चलता है तो हर सदस्य सदन का अपना अधिकार रखता है और उसकी रक्षा करने का उत्तरदायित्व आप पर भी बनता है।

(श्री रामनारायण मीणा)

मानतीय अध्यक्ष महोदय, कल की घटना के बाद जहां तक मैं समझ सका हूं सदन के नेता को बुलाकर के बात करनी चाहिए थी और अध्यक्ष महोदय, आप भी दोनों पक्ष को बुलाकर बात करते। ऐसा होता आया है आज ही नहीं कितनी मर्तबा होता आया है कि आपके चैम्बर में जाकर के सबने बात की है। किसी अवरोध का निपटारा हुआ है। मैं चूंकि काफी ज्यादा समय लेने की बात नहीं करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात को कितना ही लम्बा किया जा सकता है, कोई भी सदस्य बोल सकता है, किसी भी तरह की बात की जा सकती है, लेकिन चूंकि दोनों पक्ष आपके हैं। मेरा तो आपसे अनुरोध है माननीय अध्यक्ष महोदय, कि आप विराजमान होकर के इस सदन में और सत्ता पक्ष के नेता और प्रतिपक्ष के नेता को बुलाकर के बैठकर के बात करें। यदि आपने एक नई परिपाटी डाली, आप सदन की अध्यक्ष बनी हैं और आपकी प्रताड़ना हमारे लिए काफी है। यदि सत्ता पक्ष के माननीय मुख्य सचेतक महोदय प्रस्ताव लाए और यदि उसको बहुमत के बल के आधार पर आपने पास होने की अनुमति दी या वोटिंग करवाई तो एक नई परम्परा आपके टाइम में नहीं पड़नी चाहिये और यदि यह पड़ना शुरू हुई तो कल से ऐसी बातें होना शुरू हो जाएंगी और हम तो अध्यक्ष महोदय, इस सदन को चलाना चाहते हैं। राजस्थान की समस्याओं को इस सदन के माध्यम से आपके सामने रखना चाहते हैं, सत्ता पक्ष के माध्यम से रखना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया शांत रहें।

श्री रामनारायण मीणा : मैं आपसे अनुरोध करूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के टोंक से आने वाले सदस्य मुख्य सचेतक हैं, मैं तो आपसे भी अनुरोध करूंगा माननीय मुख्य सचेतक महोदय, आप भी पराये नहीं हो हमारे लिए और हम भी आपके लिए पराये नहीं हैं। कृपा करके आप भी थोड़ा पोलाइट होइए और आपका तो हृदय इतना कठोर नहीं था। आज कैसे हो गया, आप केवल मुंह से बोलते हो, मन से आप साफ रहते हो। कृपा करके आज हमारे प्रति, इस सदन के प्रति आप भी ध्यान दीजिएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपसे अर्ज करूंगा कि आप दोनों पक्ष को समान मानते हुए और हमें यह मौका नहीं दें अध्यक्ष महोदय, कि हम भी हमारे अधिकार के रूप में कोई ऐसी बातें कहे जिससे राजस्थान विधान सभा के इतिहास में कोई नई चीज पैदा हो। हम तो यह बात करना चाहते हैं आपसे और मेरा तो आपसे यही अनुरोध है

(श्री रामनारायण मीणा)

कि इस बात को, आज जो बात हुई है "भूली ताहि बिसार दे आगे की सुधि लेहि" यदि उस कल की घटना में और सोजत का घटनाक्रम नहीं था, अध्यक्ष महोदय, आज जिस तरह से सरसों का हो रहा है औरों का हो रहा है, कोई भी सदस्य, किसान भाई यदि इस बात पर आता है और कोई बात गरमी में हो जाती है तो उस बात को आपको तो भूलना चाहिये और आप तो गांव से आयी हुई हो और सदन की सबसे पुरानी सदस्य हो उस नाते मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अध्यक्ष महोदय, इस बात पर आप पुनर्विचार ही नहीं और आप तो माता ह्रदय हैं। अध्यक्ष महोदय, इस मां के हृदय को प्रदर्शित कीजिएगा और ऐसा कोई काम नहीं हो सदन में जिसके मामले में पक्ष और विपक्ष में टकराव हो और इस कुर्सी को दोनों पक्षों के बारे में कुछ कहने का मौका मिले।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री रामनारायण मीणा : आप मां का हृदय बनाए रखकर के इस सदन का संचालन करें और कोई बात हो गयी हो, गरमी मे हो जाती है, जैसा माननीय सी.पी. जोशी साहब ने कहा वह कानून की बात थी और इन्होंने सही कहा था, माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने अधिकार के प्रति बात कही थी लेकिन आप तो वात्सल्य का हृदय रखकर अध्यक्ष की गरिमा को बनाए रखने का काम करेंगे। मुझे यही कहना है, अध्यक्ष महोदय, और अपने जो भी भाव हैं, विचार हैं उस पर पुनर्विचार करते हुए सदन की आगे की कार्यवाही, इसको ड्राप करने की इजाजत प्रदान करें । यही मुझे कहना है। धन्यवाद।

श्री नरपत सिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, अभी विपक्ष के उप नेता ने एक बात कही कि वात्सल्य रखें, बडा ह्रदय रखें। इससे बडा ह्रदय क्या होगा कि 1952 से लेकर आज तक इस हाउस में अध्यक्ष के ऊपर कभी इस प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की गयी। यह बात सही है कि लोकतंत्र में प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष एक रथ की दोनों धुरी हैं लेकिन उसको सीमा में बांधकर रखना यह दायित्व आपको एक कड़वा घूंट पीना पड़ता है, कठिन कार्य है। लोकतंत्र की प्रक्रिया कोई आज की आरम्भ नहीं हुई है, न परम्पराएं आज की आरम्भ हुई हैं, 1215 में मैग्ना कार्टा साइन हुआ था और इसी प्रकार से इंग्लैण्ड के मैग्ना कार्टा साइन होने के बाद आइवर जैनिस ट्राइल हुई थी और ट्रायल में स्पीकर को यह कहना पड़ा राजा के विरुद्ध कि-

(श्री नरपत सिंह राजवी)

"The Speaker has no eyes, he cannot see. The Speaker has no tongue, he cannot speak. The Speaker has no ears, he cannot listen."

अब सारी बातों पर आंख मूंदकर अध्यक्ष की परम्पराओं को तोड़ते हुए अगर सब चीज सहन करनी है तो मेरे ख्याल से यह लोकतन्त्र की परम्परा का हनन होगा।

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। देवी सिंहजी भाटी को जिस समय निकाला था, कोई नयी बात नहीं थी। पहले भी निकाला गया है। लेकिन उस समय सत्ता पक्ष के वरिष्ठ नेता मदेरणा साहब ने जो टिप्पणी की थी कि जब हम लोगों ने, हमारे दल ने जब आरोप लगाया कि यह ब्रूट मैजोरिटी के आधार पर प्रस्ताव पारित किया जा रहा है तो उस समय कहा था, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि अभी प्रतिपक्ष के नेता और आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने हमारे दल के लिये कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया, काटा हुआ है, हम जो बहुमत में हैं, राजस्थान की जनता की विल का रिप्रजेंटशन करते हैं इस हाउस के अन्दर इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना अनपार्लियामेंटरी है इसलिये हम इसको एक्सपंज किया जाना अनुरोध करते हैं। उस समय बहस के अन्दर थोड़ी सी भी हीटेड डिबेट हुई है तो भी एक्सपंज किया है। ताकि एक सेंटीमेंटस हैं हाउस के, उसको रखा जाए और यहां पर तो क्या कहा गया है, आप तक आवाज नहीं पहुंची हैं, जो नजदीक बैठे हैं उनको आवाज अच्छी तरह से पहुंचती है... (व्यवधान) आप तो बहुत बढ़िया बोल लो। इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि सदन की नयी परम्परा ऐसी न डालें और जो आज तक होता आया है हाउस की विल है उसको सर्वोपरि रखना चाहिये, इंस्टीट्यूशन आफ चेयर जो हैं उनको सर्वोपरि रखना चाहिये और उसमें जो भी व्यवधान करते हैं रूल्स के अन्दर प्रावधान है। यह जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसको शीघ्र पारित कराओ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, इस सदन की शालीनता और इस आसन की गरिमा को बनाये रखने का हर सदस्य का कर्तव्य है। बात रूल्स की, कानून की, नियमों की करीब-करीब सभी माननीय सदस्यों ने की है। कई बार नियमों में कोई बात नहीं होती लेकिन परम्परा बन जाती है और परम्परा भी नियमों का रूप धारण कर लेती है। उसी परम्परा के मुताबिक कोई पहली बार नहीं सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक समय-समय पर कई माननीय सदस्यों को सदन से निष्कासित करने का अपना संकल्प और

(श्री अध्यक्ष)

अपना प्रस्ताव यहां देते आए हैं, वह पास होता रहा है। उसी आधार के ऊपर सदस्य बाहर, बहिर्गमन का नहीं हुआ तो निष्कासन हुआ है।

जहां तक सवाल है आपने रूल पढ़कर बताया कि बार-बार कहा गया; प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय ने भी कहा कि नाम से नहीं पुकारा सदस्य को। नाम से पुकारने की नौबत तो जब आती ना, यह तो नियमों में पूरा यद्यपि कवर होता है नियम 292 में। जैसा कि टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने, सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक ने कहा है, बहुत स्पष्ट है-

"(x) Reflect upon the conduct of the Speaker except on a substantive motion for his removal."

बहुत स्पष्ट है लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि जिस परिप्रेक्ष्य में आज दिन तक 53 साल के इस विधान सभा के इतिहास में सरकार के खिलाफ, मंत्रियों के खिलाफ तो कोई न कोई प्रदर्शन, नारेबाजी, कोई न कोई बैनर, कोई न कोई स्टिकर लगाकर कोई आ गया हो लेकिन यह पहली बार हुआ है कि जब इस आसन के खिलाफ किसी प्रकार का कोई बैनर यहां पर प्रस्तुत हुआ हो।

जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सदन की शालीनता और आसन की गरिमा, सुमित्रा सिंह के कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन आसन पर फर्क पड़ता है इस बात का और इसलिये फर्क पड़ता है कि जब सदन की नेता भी महिला हो और इस आसन पर बैठी हुई भी कोई महिला और एक ऐसा काम जो इस आसन के खिलाफ ही हो जाए उस पर किसी प्रकार का कोई निर्णय लिये बिना कोई इस तरह से हो जाए तो मैं समझती हूं कि यह राजस्थान के, इस विधान सभा के, लोकतन्त्र की परम्परा पर जबरदस्त कुठाराघात होगा। निश्चित तौर से आसन की गरिमा को बनाये रखने की जिम्मेदारी केवल मेरी नहीं है बल्कि सदन के सभी, तमाम सदस्यों की है और इसलिये मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं उत्तेजना हुई, कल से उत्तेजना हुई और उस उत्तेजना का अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया, मुझे अफसोस है इस बात का लेकिन मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगी इस बीच में कि अध्यक्ष के खिलाफ, आसन के खिलाफ जो कुछ आपने बैनर लगाया, किस परिप्रेक्ष्य में यह बात हुई थी। जब बी.ए.सी. में यह बात तय हो गयी थी कि सप्लीमेंटरी डिमांड्स मुखबन्द करके गुलेटिन लगा करके पास की जायेंगी और उस

(श्री अध्यक्ष)

समय गुलेटिन लगा कर मुखबन्द का प्रयोग कर मांगें पास करवायी जा रही थीं प्रतिपक्ष लगातार नारे लगा रहा था। नारे भी बेहूदगी के लगा रहा था कि "मुख्य मंत्री की गुंडागर्दी नहीं चलेगी" दादागिरी की नहीं, पोपा बाई भी कहा वहां तक भी कोई बात नहीं। दादागिरी नहीं चलेगी...

अनेक माननीय सदस्य : शेम।

श्री अध्यक्ष : शांत रहें, बोलें नहीं बीच में।

दादीगिरी की बात करें वहां तक भी समझ में आने वाली बात थी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी। तब मुझे कहना पड़ा कि इस समय तो दादागिरी चूंकि मैं पास करवा रही थी और आप नारे लगा रहे थे तो मुझे कहना पड़ा कि दादागिरी तो मेरी चल रही है इस समय। आप उनके खिलाफ नारे क्यों लगा रहे हो और उस पर आपने मेरे खिलाफ ही नारे लगाना शुरू कर दिया। तय आपने ही किया कि मुखबन्द का प्रयोग करके सप्लीमेंटरी डिमांड्स पास करवायी जायेंगी लेकिन खैर कोई बात नहीं। आप इमीजिएटली तुरता फुरती के अन्दर आसन के खिलाफ अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव ले आए। मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है, कोई गम नहीं है। मैं समझती हूं मेरे इस सवा साल के मौके के अन्दर, सवा साल के इस समय के अन्दर प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों से मैंने समान रूप से व्यवहार किया, समान समझा है। हो सकता है आपको नाराजगी हो, मैंने समान समझने की कोशिश की है उसके बाद भी हो सकता है आपको नाराजगी होगी उस बात की। लेकिन मैं कहती हूं कि मैंने बराबर प्रतिपक्ष के साथ-साथ सत्ता पक्ष के भी यदि माननीय सदस्य खड़े हुए हैं तो उन्हें भी इस बात के लिये लताड़ा भी है, फटकार भी बतायी है, रोका भी है, टोका भी है लेकिन अब आप जब ले आए हैं तो मैं आपको कहती हूं कि आपको जो कुछ मैंने समय तय कर दिया है 12 तारीख, आप चाहे वह कुछ कहें। हटाना चाहें, हटाएं। मुझे उस बात का कोई नहीं है। आपको अपनी पूरी बात कहने का, मैंने क्या-क्या पक्षपात किया, कब-कब किया आपके साथ, पूरा आप बोलियेगा। उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

लेकिन यह बात सही है कि जिस तरीके से सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य बैनर लगा करके दादागिरी नहीं चलेगी, अध्यक्ष की दादागिरी, स्पीकर की

(श्री अध्यक्ष)

दादागिरी चलाओ। स्पीकर ने कोई दादागिरी चलाने का प्रयत्न नहीं किया और कोई बात नहीं की। जो कुछ बी.ए.सी. में तय हुआ है वह करवा रही थी मैं, इसलिये यह इस आसन का अपमान है और इस सदन का अपमान है जो 53 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है। अध्यक्ष के खिलाफ आज दिन तक कभी कुछ नहीं हुआ था और बहुत स्पष्ट है मैंने जैसा कि आपको परम्पराओं का भी हवाला दिया कि परम्पराएं हैं इस सदन की। 292 के तहत सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक इस प्रकार के प्रस्ताव लाते रहे हैं और उन प्रस्तावों के आधार पर निष्कासन होता रहा है। इन रूल्स में भी हालांकि कभी सोचा नहीं था यह रूल्स बनाते समय, कभी यह एप्रीहेंसन नहीं हुआ था कि इस राजस्थान की विधान सभा के अन्दर कभी अध्यक्ष के खिलाफ भी इस प्रकार का बैनर लगाकर लोग आ सकते हैं इसलिये कोई स्पष्ट नहीं हुआ था। फिर भी इसके अन्दर बहुत स्पष्ट है 272 के अन्दर

"(x) Reflect upon the conduct of the Speaker except on a substantive motion for his removal."

इसलिये उस आधार के ऊपर मैं जो प्रस्ताव सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक महोदय ने रखा है उसे मतदान के लिये प्रस्तुत करती हूं।

प्रश्न यह है...

श्री रामनारायण मीणा : अध्यक्ष महोदय, मतदान के लिये आप जाएं, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा...

श्री अध्यक्ष : The Chair is on the legs.

डा. दिगम्बर सिंह : मतदान होने दो...

श्री रामनारायण मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ऐसा निर्णय करने जा रहे हो उसके पहले आपको सुनना चाहिये और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरे को एक मिनट का मौका दे दें तो आपकी कृपा होगी...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पांवों पर है..... (व्यवधान) सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य, आसन पांवों पर है। आसन पांवों पर उप नेता महोदय। उप नेता महोदय...

श्री रामनारायण मीणा : आसन से हम तो अनुरोध कर रहे हैं। एक मिनट, एक लाइन का मोका चाहते हैं। उसके बाद आप जो चाहें निर्णय करें। यह सदन है, सदन जो कोई आप निर्णय करें हम आपसे...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब तो आपने प्रस्तुत कर दिया। अब तो आपने अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव सदन में वोट के लिये प्रस्तुत कर दिया...

श्री अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय, आपको जो बात कहनी थी आपने कह दी...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : एक शब्द में अनुरोध करना चाहते हैं। एक शब्द में अर्ज करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : हां ठीक है, आप कहिये। मैं बैठ जाती हूं, आप कहिये...

श्री रामनारायण मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि कल अध्यक्ष महोदय के खिलाफ अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना दी गयी है।

श्री अध्यक्ष : वह तो दो, कोई बात नहीं है।

श्री रामनारायण मीणा : उसका हवाला आपने दिया है ...(व्यवधान) आप कृपा करके सुन लें। हम लम्बा समय नहीं लेना चाहते हैं आप लम्बा समय देना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यद्यपि आपका प्रस्ताव नियमों के विपरीत था, नियमानुसार नहीं था फिर भी मैंने कहा कि 12 तारीख रख लो, जो बोलना हो वह बोलिये।

श्री रामनारायण मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। उस प्रस्ताव का फेट भी सदन जानता है। हमने प्रस्ताव केवल मात्र इसलिए दिया था...

श्री अध्यक्ष : कि मैं डर ज़ाऊं, इसलिए कि आप आसन को प्रभावित कर लें। आसन आपसे प्रभावित हो जायेगा इसलिए दिया था ना।

श्री रामनारायण मीणा : मेरी बात आप सुन लें।

श्री अध्यक्ष : आसन को आप प्रभावित कर सकें।

श्री रामनारायण मीणा : मेरी बात सुन लें। मेरा आपसे अर्ज करना यह है कि जो प्रस्ताव आपके खिलाफ दिया और उसमें मंशा यह थी प्रतिपक्ष की कि हम आपका ध्यानाकर्षित करना चाहते हैं, सम्भव है आपके दिमाग में यह बात नहीं आयी हो कि सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष में से किसको ज्यादा प्रताड़ित कर रहा है आसन। उसी परिप्रेक्ष्य की वजह से ऐसा मान लें। अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सत्ता पक्ष उसी बात को लेकर के कोई बेनिफिट उठाने की बात करे तो माननीय मुख्य सचेतकजी चूंकि मसला ऐसा आ चुका है कि अध्यक्ष महोदय के खिलाफ लिखकर दिया है अविश्वास के बारे में, उसी बात को लेकर के यदि बात को बढ़ायी जाये तो इस सदन में गलत परम्परा पड़ेगी। जैसा मैंने आपसे अर्ज किया, हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मैंने तय कर दिया है। आप मर्जी आये सो बोलना, मैंने तय कर दिया है... (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं। हम तो केवल पुनर्विचार की कह रहे हैं।

डा. दिगम्बर सिंह : आपको कल परम्परा सही लग रही थी और आज परम्परा की बात कह रहे हो... (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : हम भीख नहीं मांग रहे हैं...(व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव ही अलग है...(व्यवधान) प्रस्ताव ही अलग है। अविश्वास का कहां है, इसमें प्रस्ताव ही अलग है... (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस पर पुनर्विचार करें और ऐसी परम्परा नहीं डालें....(व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, इसमें अविश्वास का मामला ही नहीं है। प्रस्ताव ही अलग है। यह अविश्वास के प्रस्ताव पर बोल रहे हैं, यह मामला ही नहीं है। यह तो प्रस्ताव ही अलग है...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : अध्यक्ष महोदय, आप कृपया, टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य, हम आपकी तरह रोजाना नहीं बोलते, अध्यक्ष महोदय, गम्भीर

(श्री रामनारायण मीणा)

मसला है और इसको आप खुद मानेंगे कि यह साधारण मसला नहीं है। जैसा आपने अभी सदन को बताया कि आज बैनर लेकर आये सदस्य, जिस बात को लेकर के उत्तेजना फैली कल से, आज की बात नहीं है और जो उत्तेजना फैली उसका निराकरण आज दिन तक नहीं किया इस आसन से। मुख्य सचेतक महोदय को प्रस्ताव लाने का अधिकार है, सारे प्रतिपक्ष को आप इस विधान सभा से निकाल दीजिये हम तैयार हैं। आप हमें राजस्थान से निकालें, विधान सभा से निकालें, आप जैसा चाहें क्योंकि शासन आपका है।

अध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि आप उस कुर्सी पर विराजमान हैं, जिस कुर्सी से राजस्थान की जनता को न्याय की आशा है। हम सदन में आपसे न्याय चाहते हैं, अन्याय नहीं चाहते हैं और हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि आपका हृदय इतना विशाल है। अध्यक्ष महोदय, आपने हम सबसे ज्यादा इस सदन को देखा है। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य हैं, उन्होंने चाहे कुछ भी कहा हो लेकिन सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य आपका व्यक्तिगत बहुत ज्यादा इज्जत और सम्मान करते हैं और करेंगे...(व्यवधान) व्यक्तिगत तौर पर सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मुझे मेरे मान और सम्मान की चिंता नहीं है ...(व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग : यह आसन का अपमान है, व्यक्ति का नहीं है।

श्री अध्यक्ष : इस आसन के मान और सम्मान की चिंता है... (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग: यह प्रस्ताव व्यक्ति का नहीं, आसन का है...व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मुझे मेरे मान और सम्मान की चिंता नहीं है...(व्यवधान) सदन की गरिमा की चिंता है... (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग : आसन की हमेशा माननीय सदस्य अवहेलना करते हैं... (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : व्यक्तिगत रूप से नाम लेकर नारे... (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग : यह व्यक्ति का प्रश्न नहीं है... (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : व्यक्तिगत रूप से नाम लेकर के लोगों ने नारे लगाये हैं (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : कोटा से आने वाले माननीय सदस्य आप विराजमान होवें। अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपसे यह विनम्र निवेदन करूंगा कि ऐसा कठोर निर्णय आपके समय में हो, सदन का सबसे सीनियर मैम्बर आज अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा हुआ है। उनके हाथ से ऐसा कोई निर्णय हो...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : यह कल क्यों नहीं हो रहा था...(व्यवधान) यह आपको आज क्यों हो रहा है...(व्यवधान) कल क्या हो गया था।

श्री ओम बिरला : कल क्या कर रहे थे माननीय सदस्य, पहली बार राजस्थान की विधान सभा के माननीय अध्यक्ष महोदय के नाम से व्यक्तिगत रूप से नारे लगाये हैं.... (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : अध्यक्ष महोदय, आप बड़प्पन का परिचय दें। हम तो आशा करते हैं कि सदन में अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा आप जैसा सीनियर मेम्बर बड़प्पन का परिचय दे और कठोर व्यवहार को वापस लेगा... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : जिन माननीय सदस्यों के खिलाफ मोशन आया है उनको भी कहने का मौका दिया जाये... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां, कहने का मौका देंगे। बिलकुल मौका देंगे ...(व्यवधान) सदन की वरिष्ठ सदस्य हूं इसलिए मेरी जिम्मेदारी भी है कि इस आसन की गरिमा को बनाकर के रख सकूं। यह मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि मैंने इस आसन की गरिमा को जिस प्रकार से आप इस बार कर रहे हैं ऐसा कभी होते देखा नहीं है। जिस प्रकार इस बार प्रतिपक्ष कर रहा है ऐसा होते हुए देखा नहीं है।

श्री जुबेर खान : माननीय सदस्य को मौका दिया जाये। पहले यह परम्परा रही है। आप वोट कराने से पहले माननीय सदस्य को मौका दें...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं मौका दूंगी... (व्यवधान) मैं मौका देती हूं। मैं उन्हें मौका दे रही हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, मैं विपक्ष के माननीय सदस्य... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जब वह खड़े हैं तो आप क्या ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : एक परम्परा की बात... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह खड़े हैं ना, बोलने दें उन्हें...(व्यवधान) सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य के सर्वोच्च सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि कल हमने सोजत की घटना से व्यथित होकर स्थगन प्रस्ताव प्रक्रिया के नियम 50 में प्रस्तुत किया था और आपसे इस बात की इजाजत मांगी थी कि उन मजलूम लोगों की बात कहने के लिए, उनकी व्यथा बताने के लिए हमे अवसर दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, मैंने अपनी बात कहनी शुरू की और उसी वक्त राज्य सरकार के एक मंत्री ने व्यवधान पैदा किया और उसके बाद प्रतिपक्ष के माननीय नेता बोलने के लिए खड़े हुए, आपने उनको इजाजत दी, वह बोलने लगे, तब फिर सत्ता पक्ष की ओर से व्यवधान पैदा किया गया और उनको बोलने का अवसर नहीं दिया गया।

श्री जोगेश्वर गर्ग : आप कल की बात क्यों कर रहे हैं। आज की बात करें ना।

श्री ओम बिरला : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य आज की बात करें (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : इस तरह से अगर बहुमत के बल पर आप लोकतंत्र का गला घोंटना चाहते हैं.... (व्यवधान) तो पूरे पांच साल के लिए गला घोंट दो... (व्यवधान) लेकिन अध्यक्ष महोदय ने अगर मुझे इजाजत दी है तो मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया जाये... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप व्यवधान नहीं डालें... (व्यवधान) सुनिये आप। आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। मैं कुछ निवेदन कर दूं। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि शायद वह यह परिप्रेक्ष्य बनाकर के इस मुद्दे पर आ जायें। आप बीच में उन्हें व्यवधान नहीं डालें... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आपका बहुमत है। बहुमत से फैसला होगा और आप अपने बहुमत के दम पर जो चाहे करना मैं उस पर भी एतराज नहीं करता। लेकिन मुझे अध्यक्ष महोदय ने जो इजाजत दी है, मैं अपनी बात रखना चाहता हूं.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप व्यवधान नहीं डालें, प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, उसके बाद जब आपने यह आज्ञा दी कि प्रतिपक्ष के नेता महोदय अपनी बात कह सकें, तब कांग्रेस के सारे सदस्य अपनी सीट पर आकर के बैठ गये और फिर प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने अपनी बात कहना शुरू किया। सत्ता पक्ष की ओर से फिर व्यवधान पैदा किया गया और जो परिस्थितियां बाद में बनीं वह आपकी जानकारी में है।

श्री अध्यक्ष : कहने दो।

श्री संयम लोढ़ा : राजस्थान में इस बार आबकारी नीति को लेकर के जितना संशय और जितना भ्रम उठा है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह किस चीज पर...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला : अध्यक्ष महोदय, यह आबकारी नीति का कहां प्रश्न आ गया (व्यवधान) आप अपनी बात कहें (व्यवधान) कि आपने गरिमामय वातावरण किया या नहीं।

श्री संयम लोढ़ा : आपने बहुमत के बल पर एप्रोप्रिएशन बिल को बिना चर्चा के पारित कर दिया।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, यह तो नियमानुकूल है.... (व्यवधान) यह तो नियमानुकूल है... (व्यवधान) सत्ता पक्ष के तमाम सदस्य खड़े हो रहे हैं यह तो नियमानुकूल है .. (व्यवधान) यह तो नियमानुकूल है कि सब खड़े होकर के एक आवाज को दबा दें...(व्यवधान) यह क्या बात हुई।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यगण, अगर यह विषयांतर होंगे तो आसन की जिम्मेदारी है.... (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बीच में नहीं खड़े हों, कृपा कर मैं आपसे निवेदन कर रही हूं कि आप नहीं टोकें। यह आसन का काम है। आसन खुद टोकेगा उन्हें। आसन नहीं जाने देगा। विषयांतर नहीं होने देगा। आप बीच में खड़े होकर के व्यवधान नहीं डालें... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन करना चाह रहा हूं कि कल वित्त विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल पर चर्चा थी, सिर्फ इसलिये कि एक्साइज पालिसी पर चर्चा होगी तो इस सरकार के कारनामें राजस्थान की जनता के सामने नहीं आयें, तब हंगामें की स्थिति में एप्रोप्रिएशन बिल को पारित कर दिया...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला : राजस्थान की जनता ने यह चर्चा... (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : अंडर रूल 276....(व्यवधान) पाइंट आफ आर्डर।

श्री ओम बिरला : इसलिये पूरे राजस्थान की जनता ने ...(व्यवधान)

(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : चर्चा के दौरान मुख्य सचेतक महोदय ने यह कहा...।

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, पाइण्ट आफ आर्डर।

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर) : आप क्यों बीच में व्यवधान डाल रहे हो?

डा. एन.एस. गुर्जर : आप बैठिए, आप बैठेंगे तब बोलूंगा और बताऊंगा।

श्री संयम लोढ़ा : जब सदन में प्रतिपक्ष की ओर से माननीय मुख्य मंत्रीजी के बारे में बता रहे थे... (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : 276.

श्री अध्यक्ष : 276, मैंने पढ़ लिया। क्या कहेंगे आप उसमें? आप उनको बोलने दीजिए।

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, आप विराजो। मैं यह कहना चाहता हूं कि व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने के लिए, जिसके खिलाफ प्रस्ताव आया है, आपने उनको परमीशन दी है, आपको राइट है परमीशन देने का और उनको बोलने का अधिकार है लेकिन व्यक्तिगत स्पष्टीकरण में 276 में, A Member may, with the permission of the Speaker, make a personal explanation although there is no question before the House, but in this case no debatable matter may be brought forward, and no debate shall arise.

और इसके अलावा न तो डिबेट करेगा और न चार्ज लगाएगा।

श्री संयम लोढ़ा : मैं सिर्फ अपनी बात कह रहा हूं।

डा. एन.एस. गुर्जर : यह व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के माध्यम से गवर्नमेंट के ऊपर चार्ज लगा रहे हैं, इसलिए इनको रोका जाए।

श्री संयम लोढ़ा : मैं कोई गवर्नमेंट के ऊपर चार्ज नहीं लगा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप आसन ग्रहण करें, वह घुमा फिराकर अपनी बात पर आ रहे हैं, आप क्यों नहीं आने दे रहे?

श्री संयम लोढ़ा : आप बिना मतलब उत्तेजित हो रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 31 तारीख के बाद वह आबकारी नीति अस्तित्व में आ जाएगी। अब सरकर जाने और उसका काम जाने, मैं इस पर नहीं कहता।

अध्यक्ष महादय, जब यह गतिरोध सदन में चल रहा था, प्रतिपक्ष के सारे सदस्य उत्तेजित थे तब आपने यह फरमाया और हमारी ओर से यह कहा गया कि मुख्य मंत्री की दादीगिरी नहीं चलेगी, व्हाटेवर जो भी कहा गया । आपने यह फरमाया...।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह कार्यवाही है कल की, आप पढ़ लें।

श्री संयम लोढ़ा : यह तो मिटा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : मिटा कैसे सकते हैं? मिटाती तो मैं यह भी मिटा देती?

(व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : यह चार्ज है आपके ऊपर Again this is a charge.

अध्यक्ष महोदय, यह आसन पर चार्ज है, यह आसन पर चार्ज लगाया जा रहा

(डा. एन.एस. गुर्जर)

है, यह कार्यवाही में जा सकता है, यह चार्ज लगाया गया है आसन पर। यह चार्ज है आपके आफिस पर। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : मैं आपके ऊपर चार्ज लगा रहा हूं, कुछ तो करो? (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, आपके आसन के ऊपर चार्ज है, यह सीधा-सीधा चार्ज है आपके ऊपर। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, स्थान ग्रहण करें, स्थान ग्रहण करें।

श्री अध्यक्ष : सुनिए माननीय सदस्य, यदि आपको मुद्दे की बात पर आना है, सदन को यह बताना है कि जो कुछ मैंने कृत्य किया वह उचित नहीं था, मैं उसके लिए क्षमाप्रार्थी हूं...।

श्री संयम लोढ़ा : जी, मैं वही निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : तो आइए अपनी बात पर, अदरवाइज मैं अनुमति नहीं दूंगी।

श्री संयम लोढ़ा : जब यह प्रसंग कल आया, अध्यक्ष महोदय, उस वक्तव्य के बाद भी प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने अविश्वास प्रस्ताव का संकल्प प्रस्तुत किया और उसी गतिरोध के अन्दर सदन स्थगित हो गया और उसी वातावरण के अन्दर हम भी अपने घर गए। सुबह वापस आए और तब हाउस में जो चर्चा शुरू हुई ...।

श्री अध्यक्ष : और बैनर भी तो ले आए। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं उसे सुनिए तो, वह बैनर मैंने लगाया। मैंने एक शब्द आपके बारे में नहीं कहा और एक बार भी आपने मुझे नहीं कहा कि बैनर हटा दो और मार्शल आए और वह बैनर लेकर गए। हाउस का रिकार्ड आप चैक करवा लीजिए। आपके प्रति अपमान का एक शब्द भी मैंने मुंह से उच्चारण किया है तो आप उसकी जानकारी ले लीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यही-यही बात कहने के लिए आपने इनको अलाउ किया है....। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन के अन्दर इस तरह की चीजें लाना मुमानियत है? नियम

(श्री अध्यक्ष)

विरुद्ध है, इस तरह से बैनर लेकर आना नियम विरुद्ध है। मैं क्यों कहती हटाओ, मुझे चाहिए था, मार्शल से कहती हटाओ, इसे लेओ, क्यों कहती मैं यह बात?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप वोट कराओ इसे।

श्री अध्यक्ष : नियम विरुद्ध काम आपने किया, मुझे क्या आवश्यकता थी कहने की कि आप क्यों लेकर आए? अब आपको मुद्दे पर आना है तो आओ वरना मैं प्रस्ताव को मतदान के लिए...(व्यवधान)।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी कहा, हम कल से राजस्थान के गरीब, मजलूम और अल्पसंख्यक लोगों के हित की आवाज उठा रहे हैं और यह सरकार, इस सरकार के मंत्री वहां थाने में बैठकर तीन घण्टे तक...।

(अध्यक्षपीठ द्वारा हाथ के इशारे से अंकित न करने के निर्देश)

श्री संयम लोढ़ा : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री ओम बिरला : XXX

श्री भवानी सिंह राजावत : XXX

श्री संयम लोढ़ा : XXX

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : XXX

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य।

नियम सबके लिए हैं, नाम पुकारने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये।

प्रश्न यह है कि सरकारी मुख्य सचेतक ने श्री संयम लोढ़ा, सदस्य विधान सभा को सत्र की शेष अवधि के लिए सदस्यता से निलम्बित करने का जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए?

हां, पक्ष जीता।

श्री ज़ुबेर खान (रामगढ़) : ना पक्ष जीता अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : डिवीजन करवाना चाहते हैं?

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : ना पक्ष जीता।

श्री अध्यक्ष : डिवीजन करवाना चाहते हैं?

डा. सी.पी. जोशी : ना पक्ष जीता।

श्री अध्यक्ष : डिवीजन करवाना चाहते हैं? अच्छी बात है। डिवीजन के लिए नोज और आइज लाबीज को खाली करवाओ। लाबीज को खाली करवाया जाए, लाबीज को खाली करवाया जाए।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वैल में खड़े होकर नारेबाजी)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, आप वोटिंग करवाइए, आप यह सी.पी. जोशी को निकालो।

श्री अध्यक्ष : यह लोकतंत्र का गला नहीं घोंटना है? आप इस आसन की गरिमा को धूल में मिला रहे हो, आसन की गरिमा को धूल में मिलाने की आज्ञा नहीं दी जा सकती ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आपने जो प्रस्ताव रखा, उस पर वोट करवाइए। अध्यक्ष महोदय, वोट करवाइए उस पर।

श्री अध्यक्ष : आप लाबीज में जाइए, आप लाबीज में जाइए, मैं कहती हूं कि लाबी खाली करवाएं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : बाहर निकालेंगे यदि यही आचरण रहा तो, आपको भी निकालेंगे, आप जाओ अपनी सीटों पर।

श्री अध्यक्ष : दोनों लाबी खाली करवाओ, दोनों लाबी खाली करवाओ।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वैल में खड़े होकर नारेबाजी)

श्री महावीर प्रसाद जैन : हां, पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

श्री ओम बिरला : मार्शल बुलाओ साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ध्वनि मत से कराएं, इतनी बड़ी संख्या एक तरफ बैठी है, ये चंद लोग एक तरफ हैं, ये गिनती के माननीय सदस्य हैं, आप ध्वनि मत से कराएं।

श्री ओम बिरला : यह चन्द लोग सदन की गरिमा को तोड़ें यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह प्रक्रिया और नियमों में कोई विश्वास नहीं रखते इसलिए इनसे अपेक्षा करना बेमतलब है। इनको निकालो बाहर।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वैल में खडे होकर नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष : आसन की गरिमा को धूल में मिला रहे हो और लोकतंत्र की हत्या की बात करते हो?

(सत्ता पक्ष के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, वाइस वोट से कराएं, ध्वनि मत के लिए दुबारा पुकारें, ध्वनि मत से कराएं।

श्री ओम बिरला : वाइस वोट से कराएं, यह नहीं चाहते, वोट नहीं चाहते, वाइस वोट से कराएं आप, दुबारा पुकार लें। अध्यक्ष महोदय, आप दुबारा पुकार लें।

श्री अध्यक्ष : लेकिन ये कह रहे हैं कि डिवीजन कराएं तो क्या करें?

(14.30 बजे)

(मत विभाजन घण्टी)

मैं एक बार पुन: प्रश्न रख रही हूं, क्योंकि डिवीजन की बात की है इसलिए एक बार मैं पुन: यह प्रश्न रख रही हूं।

प्रश्न यह है कि सरकारी मुख्य सचेतक ने श्री संयम लोढ़ा, सदस्य, राजस्थान विधान सभा को सत्र की शेष अवधि के लिए सदस्यता से निलम्बित करने का जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए? (व्यवधान) वैसे तो बोलना चाहें, मैं कैसे कह सकती हूं। If she wants to speak, I can allow her. If she doesn't want to speak, how can I compel her? (व्यवधान) वो बोलना चाहें तो बोलें। I cannot compel her to speak.

मैं पुन: रख रही हूं। प्रश्न यह है कि सरकारी मुख्य सचेतक ने श्री संयम लोढ़ा,

(श्री अध्यक्ष)

सदस्य, राजस्थान विधान सभा को सत्र की शेष अवधि के लिए सदस्यता से निलम्बित करने का जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी व धरना)

I cannot compel the Leader of the House to speak anything. I cannot compel her.

लोकतंत्र के रखवालो, या तो सीटों पर जाओ। लोकतंत्र के रखवालो, या तो सीटों पर चले जाओ। आप लोकतंत्र के रखवाले हो, अपना-अपना स्थान ग्रहण करो।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी व धरना)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजनेस लें। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बिजनेस पुकारें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, जो आपने किया वह मैं हाउस को पढ़कर सुनाता हूं। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पढ़ कर सुनाता हूं।

श्री अध्यक्ष : वह मैंने कह दिया, एक नहीं कइयों का निष्कासन किया गया है। (व्यवधान) कह दिया ना मैंने।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माफी मांगने के बाद भी (व्यवधान) बाहर निकालो। अब आपको भी निकालना पड़ेगा नहीं तो। (व्यवधान) लाएंगे । लाएंगे (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर ये विधान सभा में इस गरिमा के वातावरण को ठीक मानते हैं तो राजस्थान की जनता इनको देखेगी।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में लगातार नारेबाजी)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आप बिजनेस लें।

श्री अध्यक्ष : अधिसूचनाएं। श्री वीरेन्द्र मीणा ।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

वित्त विभाग की 57 अधिसूचनाएं

श्री वीरेन्द्र मीणा (वित्त एवं करारोपण राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की निम्नलिखित 57 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :-

1. अधिसूचना संख्या-एफ.12(20) एफडी/टैक्स/2005-174 दिनांक 24.3.2005 जिसके द्वारा समय-समय पर यथा-संशोधित अधिसूचना संख्या-एफ.4(67)एफडी/टैक्स/2004-22 दिनांक 12.7.2004 को अतिष्ठित कर संदेय कर की दर निर्धारित की गई है।

2. अधिसूचना संख्या-एफ.12(20) एफडी/टैक्स/2005-175 दिनांक 24.3.2005 जिसके द्वारा सम्बन्धित पूर्व अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए अधिसूचना में उल्लिखित माल के विक्रय या क्रय को कर से छूट प्रदान की गई है।

3. अधिसूचना संख्या-एफ.12(20) एफडी/टैक्स/2005-176 दिनांक 24.3.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-एफ.4(14)एफडी/टैक्स डीवी/98-33 दिनांक 9.7.1998 को अतिष्ठत करते हुए सभी प्रकार के स्टोन स्लज या स्टोन स्लरी या फलाई ऐश पर आधारित किसी औद्योगिक इकाई द्वारा राज्य में विनिर्मित उत्पादों के विक्रय को कर से सशर्त छूट प्रदान की गई है।

4. अधिसूचना संख्या-एफ.12(20) एफडी/टैक्स/2005-177 दिनांक 24.3.2005 जिसके द्वारा ग्रामीण कुम्हारों द्वारा विनिर्मित आवा-कजावा ईंटों के विक्रय को कर से छूट प्रदान की गई है।

5. अधिसूचना संख्या-एफ.12(20) एफडी/टैक्स/2005-178 दिनांक 24.3.2005 जिसके द्वारा (समय-समय पर यथासंशोधित) अधिसूचना संख्या-एफ.5(22)एफडीसीटी/70-14 दिनांक 9.3.1970 में संशोधिन किया गया है।

6. अधिसूचना संख्या-एफ.12(20) एफडी/टैक्स/2005-179 दिनांक 24.3.2005 जिसके द्वारा कास्ट आइरन कास्टिंग मैनहोल दिनांक 11.7.2004 तक के क्रय या विक्रय पर

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

कर से उस सीमा तक, जिस तक यह 4 प्रतिशत से अधिक हो, सशर्त कर से छूट प्रदान की गई है।

7. अधिसूचना संख्या-एफ.12(20) एफडी/टैक्स/2005-180 दिनांक 24.3.2005 जिसके द्वारा राज्य में कृत्रिम गर्भाधान और पशु नस्ल सुधार के प्रयोजन के लिए स्पर्म केन्द्र और या हिमथीतन वीर्य बैंक द्वारा प्रयुक्त उपकरणों और उपस्करों के विक्रय या क्रय को उस सीमा तक छूट दी गई है जिस तक कर दर 2 प्रतिशत से अधिक हो।

8. अधिसूचना संख्या-एफ.12(20) एफडी/टैक्स/2005-181 दिनांक 24.3.2005 जिसके द्वारा राज्य में टिशू कल्चर लेबोरेट्री या बायो-टेक्नोलोजी लेबोरेट्री द्वारा प्रयुक्त उपकरणों और उपस्करों के विक्रय या क्रय को उस सीमा तक जिस तक कर की दर 2 प्रतिशत से अधिक है, छूट प्रदान की गई है।

9. अधिसूचना संख्या-एफ.12(20)एफडी/टैक्स/2005-182 दिनांक 24.3.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-एफ.4(67)एफडी/टैक्स/2004-31 दिनांक 12.7.2004 को विखण्डित किया गया है।

10. अधिसूचना संख्या-एफ.12(20)एफडी/टैक्स/2005-183 दिनांक 24.3.2005 जिसके द्वारा (समय-समय पर यथासंशोधित) अधिसूचना संख्या-एफ.4(25)एफडी/ग्रुप-4/92 पार्ट-II-20 दिनांक 28.9.1995 में संशोधन किया गया है।

11. अधिसूचना संख्या-एफ.12(20)एफडी/टैक्स/2005-184 दिनांक 24.3.2005 जिसके द्वारा लघु उद्योग के रूप में रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी को किसी कच्ची सामग्री के किये गये विक्रय या क्रय पर संदेय कर की दर रियायती दर की सशर्त 1 प्रतिशत निर्धारित की गई है।

12. अधिसूचना संख्या-एफ.12(20)एफडी/टैक्स/2005-185 दिनांक 24.3.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-एफ.4(1)एफडी/टैक्स/डीबी/97-111 दिनांक 12.3.1997 में संशोधन किया गया है।

13. अधिसूचना संख्या-एफ.12(20)एफडी/टैक्स/2005-186 दिनांक 24.3.2005 जिसके

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

द्वारा राज्य में माल का विनिर्माण करने वाले किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी को, जो राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने सम्पूर्ण उद्योग को स्थानांतरित करता है, को प्रदत्त फायदों के प्राप्त न किये गये भाग को प्राप्त करने के लिये सशर्त अनुज्ञात किया गया है।

14. अधिसूचना संख्या-एफ.12(20)एफडी/टैक्स/2005-187 दिनांक 24.3.2005 जिसके द्वारा (समय-समय पर यथासंशोधित) अधिसूचना संख्या-एफ.4(67)एफडी/टैक्स/2004-66 दिनांक 24.3.2005 को अतिष्ठित करते हुए कतिपय वस्तुओं के खुदरा मूल्य में प्रतिशत के रूप में कमी अनुज्ञात की गई है।

15. अधिसूचना संख्या-एफ.12(20)एफडी/टैक्स/2005-188 दिनांक 24.3.2005 जिसके द्वारा किसी एयरलाइन्स को राज्य से उनकी अन्तरराष्ट्रीय उडानों के लिए किये गये विमानन स्प्रिट के विक्रय को अधिसूचित कर की दर के 30 प्रतिशत तक दिनांक 31.3.2006 तक छूट प्रदान की गई है।

16. अधिसूचना संख्या-एफ.12(20)एफडी/टैक्स/2005-189 दिनांक 24.3.2005 जिसके द्वारा किसी एयरलाइन्स को, विमानन स्प्रिट के विक्रय को अधिसूचित कर दर में 2 प्रतिशत की सीमा तक दिनांक 31.3.2006 तक शर्त सशर्त छूट प्रदान की गई है।

17. अधिसूचना संख्या-एफ.12(20)एफडी/टैक्स/2005-190 दिनांक 24.3.2005 जिसके द्वारा किसी एयरलाइन्स को, जो राज्य में केन्द्र स्थापित करती है, को विमानन स्प्रिट के विक्रय पर कर की अधिसूचित दर के 30 प्रतिशत की सीमा तक दिनांक 31.3.2006 तक छूट प्रदान की गई है।

18. अधिसूचना संख्या-एफ.12(20)एफडी/टैक्स/2005-191 दिनांक 24.3.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-एफ.4(23) एफडी/टैक्स डीवी/97-48 दिनांक 10.6.2003 को विखण्डित किया गया है।

19. अधिसूचना संख्या-एफ.12(20)एफडी/टैक्स/2005-192 दिनांक 24.3.2005 जिसके द्वारा सभी प्रकार के दुग्ध उत्पादों के किये गये विक्रय पर संदेय कर सशर्त 2 प्रतिशत संगणित किया गया है।

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

20. अधिसूचना संख्या-एफ.12(20)एफडी/टैक्स/2005-193 दिनांक 24.3.2005 जिसके द्वारा (समय-समय पर यथासंशोधित) अधिसूचना संख्या-एफ.4(24)एफडी/टैक्स डीवी/90-140 दिनांक 13.3.2003 में संशोधन किया गया है।

21. अधिसूचना संख्या-एफ.12(20)एफडी/टैक्स/2005-194 दिनांक 24.3.2005 जिसके द्वारा (समय-समय पर यथासंशोधित). अधिसूचना संख्या-एफ.4(24)एफडी/टैक्स डीवी/90-220 दिनांक 30.4.1999 में संशोधन किया गया है।

22. अधिसूचना संख्या-एफ.12(20) एफडी/टैक्स/2005-195 दिनांक 24.3.2005 जिसके द्वारा (समय-समय पर यथासंशोधित) अधिसूचना संख्या-एफ.4(7)एफडी/टैक्स डीवी/98 दिनांक 2.5.2001 में संशोधन किया गया है।

23. अधिसूचना संख्या-एफ.12(20)एफडी/टैक्स/2005-196 दिनांक 24.3.2005 जिसके द्वारा (समय-समय पर यथासंशोधित) अधिसूचना संख्या-एफ.4(1)एफडी/टैक्स डीवी/2000-289 दिनांक 30.3.2000 में संशोधन किया गया है।

24. अधिसूचना संख्या-एफ.12(20)एफडी/टैक्स/2005-197 दिनांक 24.3.2005 जिसके द्वारा (समय-समय पर यथासंशोधित) अधिसूचना संख्या-एफ.4(1)एफडी/टैक्स डीवी/2000-290 दिनांक 30.3.2000 में संशोधन किया गया है।

25. अधिसूचना संख्या-एफ.12(20)एफडी/टैक्स/2005-198 दिनांक 24.3.2005 जिसके द्वारा (समय-समय पर यथासंशोधित) अधिसूचना संख्या-एफ.4(1)एफडी/टैक्स डीवी/2001-289 दिनांक 30.3.2000 में संशोधन किया गया है।

26. अधिसूचना संख्या-एफ.12(20)एफडी/टैक्स/2005-199 दिनांक 24.3.2005 जिसके द्वारा (समय-समय पर यथासंशोधित) अधिसूचना संख्या-एफ.4(12)एफडी/टैक्स डीवी/2001-22 दिनांक 22.3.2001 में संशोधन किया गया है।

27. अधिसूचना संख्या-एफ.12(20)एफडी/टैक्स/2005-200 दिनांक 24.3.2005 जिसके द्वारा (समय-समय पर यथासंशोधित) अधिसूचना संख्या-एफ.4(24)एफडी/टैक्स डीवी/2000-292 दिनांक 30.3.2000 में संशोधन किया गया है।

28. अधिसूचना संख्या-एफ.12(20)एफडी/टैक्स/2005-201 दिनांक 24.3.2005 जिसके

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

द्वारा (समय-समय पर यथासंशोधित) अधिसूचना संख्या-एफ.4(12)एफडी/टैक्स डीवी/2001-27 दिनांक 29.3.2001 में संशोधन किया गया है।

29. अधिसूचना संख्या-एफ.12(20)एफडी/टैक्स/2005-202 दिनांक 24.3.2005 जिसके द्वारा (समय-समय पर यथासंशोधित) अधिसूचना संख्या-एफ.4(58)एफडी/टैक्स डीवी/1998-126 दिनांक 2.1.2002 में संशोधन किया गया है।

30. अधिसूचना संख्या-एफ.12(20)एफडी/टैक्स/2005-203 दिनांक 24.3.2005 जिसके द्वारा (समय-समय पर यथासंशोधित) अधिसूचना संख्या-एफ.4(30)एफडी/टैक्स डीवी/2002-152 दिनांक 22.3.2002 में संशोधन किया गया है।

31. अधिसूचना संख्या-एफ.12(20)एफडी/टैक्स/2005-204 दिनांक 24.3.2005 जिसके द्वारा (समय-समय पर यथासंशोधित) अधिसूचना संख्या-एफ.4(30)एफडी/टैक्स डीवी/2002-177 दिनांक 22.3.2000 में संशोधन किया गया है।

32. अधिसूचना संख्या-एफ.12(20)एफडी/टैक्स/2005-205 दिनांक 24.3.2005 जिसके द्वारा (समय-समय पर यथासंशोधित) अधिसूचना संख्या-एफ.4(12)एफडी/टैक्स डीवी/2001-106 दिनांक 12.11.2001 में संशोधन किया गया है।

33. अधिसूचना संख्या-एफ.12(20)एफडी/टैक्स/2005-206 दिनांक 24.3.2005 जिसके द्वारा (समय-समय पर यथासंशोधित) अधिसूचना संख्या-एफ.4(74)एफडी/टैक्स डीवी/96-224 दिनांक 10.3.2003 में संशोधन किया गया है।

34. अधिसूचना संख्या-एफ.12(20)एफडी/टैक्स/2005-207 दिनांक 24.3.2005 जिसके द्वारा (समय-समय पर यथासंशोधित) अधिसूचना संख्या-एफ.4(24)एफडी/टैक्स डीवी/90-48 दिनांक 13.5.2000 में संशोधन किया गया है।

35. अधिसूचना संख्या-एफ.12(20)एफडी/टैक्स/2005-208 दिनांक 24.3.2005 जिसके द्वारा (समय-समय पर यथासंशोधित) अधिसूचना संख्या-एफ.4(12)एफडी/टैक्स डीवी/2001-28 दिनांक 29.3.2001 में संशोधन किया गया है।

36. अधिसूचना संख्या-एफ.12(20)एफडी/टैक्स/2005-209 दिनांक 24.3.2005 जिसके द्वारा (समय-समय पर यथासंशोधित) अधिसूचना संख्या-एफ.4(4)एफडी/टैक्स डीवी/99-249 दिनांक 13.11.1999 में संशोधन किया गया है।

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

37. अधिसूचना संख्या-एफ.12(20)एफडी/टैक्स/2005-210 दिनांक 24.3.2005 जिसके द्वारा (समय-समय पर यथासंशोधित) अधिसूचना संख्या-एफ.4(67)एफडी/टैक्स/2004-32 दिनांक 12.7.2004 को अतिष्ठित करते हुए सम्बन्धित सूची में उल्लिखित वस्तुओं पर कर की दर निर्धारित की गई है।

38. अधिसूचना संख्या-एफ.12(20)एफडी/टैक्स/2005-211 दिनांक 24.3.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-एफ.4(67)एफडी/टैक्स/2004-33 दिनांक 12.7.2004 को अतिष्ठित करते हुए सम्बन्धित सूची में उल्लिखित वस्तुओं पर सशर्त कर में छूट प्रदान की गई है।

39. अधिसूचना संख्या-एफ.12(20)एफडी/टैक्स/2005-212 दिनांक 24.3.2005 जिसके द्वारा एल.एन.जी. में संदेय प्रवेश कर में सशर्त 3 प्रतिशत छूट प्रदान की गई है।

40. अधिसूचना संख्या-एफ.12(20)एफडी/टैक्स/2005-213 दिनांक 24.3.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-एफ.4(67)एफडी/टैक्स/2004-52 दिनांक 12.7.2004 को अतिष्ठित करते हुए ऐसे केप्टिव जनरेटिंग प्लांट/सैट्स जिनकी क्षमता 125 के.वी.ए. तक है, स्वत: उत्पादित ऊर्जा के उपयोग पर संदेय विद्युत शुल्क का परिहार किया गया है।

41. अधिसूचना संख्या-एफ.12(20)एफडी/टैक्स/2005-214 दिनांक 24.3.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-एफ4.(47)एफडी/टैक्स/2004-88 दिनांक 28.7.2004 को अतिष्ठित करते हुए स्वत: उत्पादित ऊर्जा के उपभोग पर संदेय विद्युत शुल्क की दर निर्धारित की गई है।

42. अधिसूचना संख्या-एफ.12(20)एफडी/टैक्स/2005-215 दिनांक 24.3.2005 जिसके द्वारा पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा घोषित स्कीम के अधीन हैरिटेज होटल के रूप में परिभाषित किसी हैरिटेज सम्पत्ति (सौ वर्ष से अधिक पुरानी) में उपलब्ध कराये गये विलासों के लिए संदेय कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है।

43. अधिसूचना संख्या-एफ.12(20)एफडी/टैक्स/2005-216 दिनांक 24.3.2005 जिसके द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश से कम्पनियों के समामेलन से सम्बन्धित हस्तांतरण-पत्र पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया गया है।

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

44. अधिसूचना संख्या-एफ.12(20)एफडी/टैक्स/2005-217 दिनांक 24.3.2005 जिसके द्वारा पशुपालन विभाग द्वारा घोषित स्कीम के अधीन गौशालाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के सम्बन्ध में दान की लिखित पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान की गई है।

45. अधिसूचना संख्या-एफ.12(20)एफडी/टैक्स/2005-218 दिनांक 24.3.2005 जिसके द्वारा पर्यटन विभाग द्वारा घोषित स्कीम के अधीन राज्य में पर्यटन केन्द्र के विकास के प्रयोजन के लिए भूमि या निर्मित भवन के क्रय की लिखित पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क 50 प्रतिशत कम किया गया है।

46. अधिसूचना संख्या-एफ.12(20)एफडी/टैक्स/2005-219 दिनांक 24.3.2005 जिसके द्वारा पर्यटन विभाग द्वारा घोषित स्कीम के अधीन होटल विकास के प्रयोजन के लिए राज्य में 100 वर्ष से अधिक पुरानी हैरिटेज सम्पत्ति के क्रय विलेख या पट्टे पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क 75 प्रतिशत कम किया गया है।

47. अधिसूचना संख्या-एफ.12(20)एफडी/टैक्स/2005-220 दिनांक 24.3.2005 जिसके द्वारा समाज कल्याण विभाग द्वारा घोषित स्कीम के अधीन राज्य में वृद्ध जन कल्याण गृह विकास के लिए भूमि या भवन के क्रय की लिखित या पट्टे पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क 50 प्रतिशत कम किया गया है।

48. अधिसूचना संख्या-एफ.12(20)एफडी/टैक्स/2005-221 दिनांक 24.3.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-एफ.2(40)वित्त/कर/98-194 दिनांक 14.2.2003 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार सम्पत्ति के बाजार मूल्य के निर्धारण के लिये निर्माण की दरें निर्धारित की गई हैं।

49. अधिसूचना संख्या-एफ.12(20)एफडी/टैक्स/2005-222 दिनांक 24.3.2005 जिसके द्वारा आवासीय भूमि या भवन या दोनों के सम्बन्ध में निर्धारितियों को कर, ब्याज एवं शास्ति से छूट प्रदान की गई है।

50. अधिसूचना संख्या-एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/4 एफ दिनांक 24.3.2005 जिसके द्वारा (समय-समय पर यथासंशोधित) अधिसूचना संख्या-एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/4डी दिनांक 29.11.2004 को अतिष्ठित करते हुए विभिन्न वर्गों के मोटरयानों की कर की दर निर्धारित की गई है।

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

51. अधिसूचना संख्या-एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/10 एफ दिनांक 24.3.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/10 दिनांक 31.3.1997 में संशोधन किया गया है।

52. अधिसूचना संख्या-एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/ दिनांक 24.3.2005 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/16बी दिनांक 16.6.2001 को अतिछित करते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये परमिटों पर चल रहे परिवहन यानों के मामले में कर की दर निर्धारित की गई है।

53. अधिसूचना संख्या-एफ.6(179)परि/कर/मु./2005 दिनांक 24.3.2005 जिसके द्वारा ऐसे सभी डबल डेकर वाहनों जिनका पंजीयन दिनांक 1.4.2005 से दिनांक 31.3.2006 की अवधि में किया गया हो तथा जिनका प्रयोग अनन्यत: राज्य के किसी भी नगर की नगरीय सीमा में संविदा वाहन अनुज्ञापत्र प्राप्त कर पर्यटकों को घुमाने के लिये किया जाता है, को देय मोटर वाहन कर एवं विशेष पथकर से वाहन की पंजीयन तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान की गई है।

54. अधिसूचना संख्या-एफ.6(179)परि/कर/मु./2005 दिनांक 24.3.2005 जिसके द्वारा ऐसी सभी नई वातानुकूलित संयंत्र और हीटर युक्त यात्री वाहनों, जिनकी बैठक क्षमता चालक एवं परिचालक को छोड़कर 30 से अधिक है, को विशेष पथकर की 50 प्रतिशत से अधिक राशि का सशर्त परिहार किया गया है।

55. अधिसूचना संख्या-एफ.6(179)परि/कर/मु./2005 दिनांक 24.3.2005 जिसके द्वारा वाहन निर्माता द्वारा मूल रूप से निर्मित ऐसे वाहनों, जिनमें ईधन के रूप में एलपीजी, सीएनजी अथवा सौर ऊर्जा का प्रयोग होता है, पर देय विशेष पथकर की 50 प्रतिशत से अधिक राशि का परिहार किया गया है।

56. अधिसूचना संख्या-एफ.12(20)एफडी/टैक्स/2005-226 दिनांक 24.3.2005 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में संशोधन किया गया है।

57. अधिसूचना संख्या-एफ.12(20)एफडी/टैक्स/2005-227 दिनांक 24.3.2005 जिसके द्वारा ऐसी लघु औद्योगिक ईकाइयां जो कि राज्य सरकार के उद्योग विभाग में पंजीकृत है को स्वयं के उपयोगार्थ स्वत: उत्पादित ऊर्जा के उपभोग पर संदेय विद्युत शुल्क का परिहार किया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री गजेन्द्र सिंह।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि. का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2003-04

श्री गजेन्द्र सिंह (ऊर्जा राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2003-04 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहन मेघवाल। समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

समिति का प्रतिवेदन

अनुसूचित जाति कल्याण समिति, 2004-05 का प्रथम प्रतिवेदन

श्री मोहन मेघवाल (सूरसागर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग में पृथक-पृथक संवर्गों के चल रहे आरक्षण अवशेष (बैकलाग) से सम्बन्धित अनुसूचित जाति कल्याण समिति, 2004-05 के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य श्री संयम लोढ़ा का सदन से निष्कासन प्रस्ताव के जरिये पास कर दिया। कृपया सदन छोड़कर चले जाएं। मेरा उनसे निवेदन है कि वो सदन छोड़कर चले जाएं। श्री समर्थ लाल, सभापति, अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, 2004-05 का प्रथम प्रतिवदेन

श्री समर्थ लाल (राजगढ) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, 2004-05 के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना व नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष : आप बीच में नहीं बोल सकते मोहम्मद माहिर आजाद। मि. माहिर आजाद, आप बैठिए। मि. माहिर आजाद। (व्यवधान) बड़े अच्छे नियमों का आप यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद, सभापति अपना द्वितीय प्रतिवदेन का उपस्थापन करेंगे। (व्यवधान) ये नहीं कर रहे हैं। आप करें।

प्रश्न एवं संदर्भ समिति, 2004-05 का द्वितीय प्रतिवेदन

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रश्न एवं सदंर्भ समिति के चेयरमैन की संस्तुति से प्रश्न एवं संदर्भ समिति 2004-05 के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नगर से आने वाले माननीय सदस्य माहिर आजाद, आपको बैठना है तो बैठ जाएं शांतिपूर्वक । यदि आप इसी प्रकार से विघ्न बाधा डालते रहे तो मुझे मजबूर मत कीजिए, मुझे मजबूर न करें। आप बैठें शांतिपूर्वक। (व्यवधान) आपको बैठना है तो बैठिए वरना मुझे आपको नाम से पुकारना पड़ेगा। मि. माहिर आजाद, मुझे आपको नाम से पुकारना पड़ेगा। मोहम्मद माहिर आजाद, कृपया सदन छोड़कर चले जाएं। श्री संयम लोढ़ा, आपका निष्कासन हो चुका है, आप कृपया सदन से बाहर चले जाएं। आप कृपया सदन से बाहर चले जाएं, मि. संयम लोढ़ा। यह क्या आप बैठे बात करते हो? I am not going to tolerate it.

श्री महावीर प्रसाद जैन : शिवचरण माथुर साहब, यह आपके रहते हुए और नियमों की धज्जियां उड़ गई हैं।

श्री अध्यक्ष : मि. संयम लोढ़ा, आपका निष्कासन हो गया है, आप मुझे मजबूर न करें। (व्यवधान) आप कृपया सदन से बाहर चले जाएं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपके रहते हुए आपकी उपस्थिति में आपने कुछ परम्पराएं कायम की हैं।

श्री अध्यक्ष : मि. संयम लोढ़ा, आप कृपया सदन से बाहर चले जाएं, आपका निष्कासन हो चुका है सदन से, आप कृपया बाहर जाएं। (व्यवधान)

संख्या तो 20 है कहां से जीत गये हैं आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपको बोलने का अधिकार नहीं है, आपको तो बाहर जाने के लिए कह दिया, आप अपराधी हो, अपराधी।

श्री अध्यक्ष : मि. बाहेती, अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य, मि. बाहेती, इस वैल में बैठने का तो आपको अधिकार है प्रोटेस्ट के रूप में लेकिन इस प्रकार से सदन के अन्दर व्यवधान डालने का आपको कोई अधिकार नहीं है। अब मैं नाम से पुकारूंगी आपको। (व्यवधान) मि. बाहेती, मैं आपको सदन छोड़कर जाने के लिए निवेदन कर रही हूं।

श्री ओम बिरला : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन की पालना करने वाले लोग नहीं हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप बहुत विशाल ह्रदय हैं और इनको निकाल नहीं रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 31 मार्च, 2005 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.42 बजे गुरुवार, दिनांक 31 मार्च, 2005 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

(तारांकित प्रश्न संख्या 189 मा. सदस्य द्वारा वापस लिया गया)

राजाखेड़ा की लम्बित पेयजल योजनाएं

190. श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा (धौलपुर) में पेयजल हेतु कोई योजनाएं बनाई गई हैं? यदि हां, तो कब तथा कितनी-कितनी राशि की व कौन-कौन सी?

(2) उक्त योजनाओं में से कितनी योजनाएं पूर्ण हो गईं तथा कितनी अभी तक लंबित हैं? यदि हां, तो कब से तथा किन कारणों से?

(3) क्या सरकार अब उक्त लम्बित योजनाओं को पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा में पेयजल सम्बन्धी वर्ष 1994-95 से स्वीकृत 805 योजनाओं की विगत प्रपत्र 'अ' पर संलग्न की जा रही हैं।

(2) उक्त 805 योजनाओं में से 791 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। शेष लम्बित 14 योजनाओं के कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं। वांछित विवरण संलग्न प्रपत्र 'ब' पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। शेष 14 योजनाओं को निम्न प्रकार पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है-

11 योजनाएं	अप्रैल, 2005
1 योजना	जुलाई, 2005
1 योजना	सितम्बर, 2005
1 योजना	दिसम्बर, 2005

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

मौजमाबाद तहसील (जयपुर) में अकाल राहत कार्य

191. श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर जिले की तहसील मौजमाबाद के कितने राजस्व गांव ऐसे हैं जिनमें फैमिन कोड की 7 डी की रिपोर्ट के अनुसार खराबा 50% से 100% तक का सम्वत् 2061 (सन् 2004) में है? राजस्व गांवों की सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा 50% से 100% तक के खराबे वाले गांवों में अकाल राहत कार्य चलाने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो तहसील मौजमाबाद में कुल कितने कार्य व कितने श्रमिकों की स्वीकृति के साथ कार्य स्वीकृत किये गये?

(3) विधान सभा क्षेत्र दूदू के तहसील फुलेरा के राजस्व गांवों के खराबा का प्रतिशत का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार इन गांवों में रोजगार के लिए अकाल राहत कार्य चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जयपुर जिले की तहसील मौजमाबाद में 127 राजस्व गांव ऐसे हैं जिनमें फैमिन कोड की 7 डी की रिपोर्ट के अनुसार 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक सम्वत् 2061 (सन् 2004) में खराबा है। राजस्व ग्रामों की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-अ)

(2) जी हां। तहसील मौजमाबाद में दिनांक 23.3.2005 तक 207 कार्य स्वीकृत कर 5116 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने की स्वीकृति जारी की गई है।

(3) विधान सभा क्षेत्र दूदू के तहसील फुलेरा के राजस्व गांवों के खराबे के प्रतिशत का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट- 'ब')

(4) जी नहीं। क्योंकि इन गांवों में खराबे का प्रतिशत 50 प्रतिशत से कम है तथा अकाल राहत कार्य 50 प्रतिशत या इससे अधिक खराबे वाले गांवों में ही चलाये जाते हैं।

परिशिष्ट 'अ'

फेमिन रिपोर्ट 7 डी के अन्तर्गत खरीफ सम्वत् 2061 (2004) में खराबे का प्रतिशत ग्रामवार

सूचना तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर

क्र.सं.	नाम तहसील	नाम ग्राम	राजस्व ग्रामों में फसल खराबे का प्रतिशत %	विविध
1	2	3	4	5
1.	मौजमाबाद	सादरदा	50	
2.	मौजमाबाद	कचनार	50	
3.	मौजमाबाद	पालूकलो	50	
4.	मौजमाबाद	पालूखुर्द	50	
5.	मौजमाबाद	मोखमपुरा	50	
6.	मौजमाबाद	कडवों का बास	50	
7.	मौजमाबाद	जेवल्या का बास	50	
8.	मौजमाबाद	बासडा	50	
9.	मौजमाबाद	खुडियाला	50	
10.	मौजमाबाद	मालेडा	53	
11.	मौजमाबाद	नानण	54	
12.	मौजमाबाद	चकमीरापुरा	55	
13.	मौजमाबाद	धांधोली	55	
14.	मौजमाबाद	बीजोलाव	55	
15.	मौजमाबाद	रामपुराभुर्टिया	59	
16.	मौजमाबाद	श्रीनिवासपुरा	59	
17.	मौजमाबाद	अनन्तपुरा	60	
18.	मौजमाबाद	धमाणां	60	
19.	मौजमाबाद	बिहारीपुरा	60	
20.	मौजमाबाद	सवाई माधोसिंहपुरा	60	

1	2	3	4	5
21.	मौजमाबाद	सवाई मानसिंहपुरा	60	
22.	मौजमाबाद	सावली	60	
23.	मौजमाबाद	डेड्रू	60	
24.	मौजमाबाद	मीरापुरा	61	
25.	मौजमाबाद	ऊदयपुरिया	61	
26.	मौजमाबाद	खटवाड	62	
27.	मौजमाबाद	किशनपुरा	62	
28.	मौजमाबाद	रहलाना	62	
29.	मौजमाबाद	चक दूदू	63	
30.	मौजमाबाद	मांगलवाडा	66	
31.	मौजमाबाद	श्योसिंहपुरा बासडा	67	
32.	मौजमाबाद	भैरार्णो	68	
33.	मौजमाबाद	नाचनीपुरा	68	
34.	मौजमाबाद	बागेत	68	
35.	मौजमाबाद	जैकमपुरा	68	
36.	मौजमाबाद	बिचून	69	
37.	मौजमाबाद	कल्याणपुरा	69	
38.	मौजमाबाद	गणेशपुरा	69	
39.	मौजमाबाद	बींगोलाव	69	
40.	मौजमाबाद	पवालिया	69	
41.	मौजमाबाद	दांतडा	69	
42.	मौजमाबाद	गुढासहायपुरा	69	
43.	मौजमाबाद	नयाबास	70	
44.	मौजमाबाद	सौरठी का बांस	70	
45.	मौजमाबाद	गंगातीकलां	70	
46.	मौजमाबाद	मौजमाबाद	70	

1	2	3	4	5
47.	मौजमाबाद	खेड़ीसूवा	70	
48.	मौजमाबाद	दूदू	70	
49.	मौजमाबाद	नोरंगपुरा	70	
50.	मौजमाबाद	झकोलड	70	
51.	मौजमाबाद	हटुपुरा	70	
52.	मौजमाबाद	गैजी	70	
53.	मौजमाबाद	नौल्या	70	
54.	मौजमाबाद	गिदानी	70	
55.	मौजमाबाद	चांदरमूल	70	
56.	मौजमाबाद	भोजपुर	70	
57.	मौजमाबाद	गोपीपुरा	70	
58.	मौजमाबाद	जसुपुरा	70	
59.	मौजमाबाद	श्योपुरा	70	
60.	मौजमाबाद	मुगीथला	72	
61.	मौजमाबाद	दयालपुरा	72	
62.	मौजमाबाद	सेवा	73	
63.	मौजमाबाद	सिनोदिया	75	
64.	मौजमाबाद	कंकराला	75	
65.	मौजमाबाद	ढयाणी नन्दा	76	
66.	मौजमाबाद	बालापुरा	76	
67.	मौजमाबाद	अखैपुरा	80	
68.	मौजमाबाद	मानपुरा	80	
69.	मौजमाबाद	महेशपुरा	80	
70.	मौजमाबाद	चक महेशपुरा	80	
71.	मौजमाबाद	गंगाती खुर्द	80	
72.	मौजमाबाद	गोठडा	81	
73	मौजमाबाद	ईटाखोई	83	

1	2	3	4	5
74.	मौजमाबाद	नगरी	83	
75.	मौजमाबाद	खेडीचारगान	83	
76.	मौजमाबाद	केरिया बुजुर्ग	88	
77.	मौजमाबाद	केरिया खुर्द	88	
78.	मौजमाबाद	छापरवाडा	88	
79.	मौजमाबाद	लापोडिया	89	
80.	मौजमाबाद	उरसेवा	89	
81.	मौजमाबाद	चरासडा	90	
82.	मौजमाबाद	गागरडू	91	
83.	मौजमाबाद	श्रीरामनगर	92	
84.	मौजमाबाद	गैगा	93	
85.	मौजमाबाद	हरसौली	94	
86.	मौजमाबाद	सुनाडिया	94	
87.	मौजमाबाद	कचनारिया	95	
88.	मौजमाबाद	आदरवा	99	
89.	मौजमाबाद	साली	99	
90.	मौजमाबाद	छिर्र	99	
91.	मौजमाबाद	साखुन	99	
92.	मौजमाबाद	छप्या	99	
93.	मौजमाबाद	मरवा	100	
94.	मौजमाबाद	मोरडा	100	
95.	मौजमाबाद	पानदाकलां	100	
96.	मौजमाबाद	मनाणां	100	
97.	मौजमाबाद	नीमली	100	
98.	मौजमाबाद	जडावता	100	
99.	मौजमाबाद	पिगून	100	
100.	मौजमाबाद	मोरडीरकलां	100	

1	2	3	4	5
101.	मौजमाबाद	बोकडावास	100	
102.	मौजमाबाद	खाजपुरा	100	
103.	मौजमाबाद	गहलोता	100	
104.	मौजमाबाद	सुर्री	100	
105.	मौजमाबाद	सिरोहीकलां	100	
106.	मौजमाबाद	लदेरा	100	
107.	मौजमाबाद	देवपुरा	100	
108.	मौजमाबाद	रसीली	100	
109.	मौजमाबाद	रेटा	100	
110.	मौजमाबाद	रेटी	100	
111.	मौजमाबाद	रोशनपुरा बनेडिया	100	
112.	मौजमाबाद	डोगरा	100	
113.	मौजमाबाद	डोगरी	100	
114.	मौजमाबाद	फरियादपुरा	100	
115.	मौजमाबाद	श्रीरामपुरा	100	
116.	मौजमाबाद	लोरडी	100	
117.	मौजमाबाद	झाग	100	
118.	मौजमाबाद	चक झाग	100	
119.	मौजमाबाद	तन झाग	100	
120.	मौजमाबाद	भगवतसिंहपुरा	100	
121.	मौजमाबाद	पडासौली	100	
122.	मौजमाबाद	नयागांव	100	
123.	मौजमाबाद	दांतरी	100	
124.	मौजमाबाद	नाधोपुरा	100	
125.	मौजमाबाद	किला	100	
126.	मौजमाबाद	पातुडी	100	
127.	मौजमाबाद	महतनाव	100	

परिशिष्ट 'ब'

विधान सभा क्षेत्र दूदू के तहसील फुलेरा के राजस्व ग्रामों में फसल खरीफ सम्वत 2061 में खराबे की स्थिति की ग्रामवार सूची

क्र. सं.	विधास सभा क्षेत्र दूदू के तहसील फुलेरा के अन्तर्गत आने वाले राजस्व ग्राम के नाम	सम्वत् 2061 फसल खरीफ में खराबे का प्रतिशत	विशेष विवरण	क्र. सं.	विधानसभा क्षेत्र दूदू के तहसील फुलेरा के अन्तर्गत आने वाले राजस्व ग्राम के नाम	सम्वत् 2061 फसल खरीफ में खराबे का प्रतिशत	विशेष विवरण
1	कोरसीना	14.78		39.	गोपालपुरा	41.48	
2	सरथला	13.57		40.	मिंडक्या	42.02	
3	नांगल	11.65		41	आकोदा	30.02	
4	डोडवाडा	23.05		42	पालवास	35.53	
5	छापरी	30.22		43	सैनीपुरा	45.18	
6	जावली	25.93		44	खेडीराम	28.80	
7	गोविन्दपुरा	31.38		45	महेशवास	19.63	
8	हवसपुरा	34.94		46	शार्दुलपुरा	31.41	
9	हचुकडा	30.00		47	मातेडा	39.48	
10	भीरावता	25.10		48	श्योसिंहपुरा	34.69	
11	सींगला	30.88		49	हरिपुरा	38.99	
12	दोबडी	17.81		50	बागपुरा	28.76	
13	काल्या	19.43		51	सामलपुरा	29.67	
14	मोरडीखुर्द	32.03		52	पानवा	Nil	
15	सीतारामपुरा	19.22		53	हिरनोदा	Nil	
16	शेखपुरा	19.18		54	रोजडी	Nil	
17	रिणगी	14.51		55	सूरसिंहपुरा	Nil	
18	श्रीरामपुरा	40.99		56	माल्यावास	Nil	
19	मोरूदा	34.00		57	माजीपुरा	Nil	
20	मण्डपी	15.88		58	आसलपुर	Nil	
21	सिरोही खुर्द	35.71		59	बाढ मथुरादास	Nil	
22	सोलावता	35.02		60	ढाणी बोराज	Nil	
23	कोठेडा	34.21		61	ढीढा	Nil	
24	नरायना	21.48		62	भगवतपुरा	Nil	
25	भरतोलाव	27.50		63	भासिंगपुरा	Nil	
26	चैनपुरा	34.72		64	आईदान का बास	Nil	
27	पीथावास	21.63		65	खेडी अलूफा	Nil	
28	नारदपुरा	34.74		66	सरदारपुरा उर्फ ढाकावाला	Nil	
29	मोरसर	17.24		67	बोबास	Nil	
30	कन्देवली	24.30		68	चन्दपुरा	Nil	
31	भावसा	27.66		69	ढाणी चन्दपुरा	Nil	
32	रामनगर	26.72		70	बुद्धजी का बास	Nil	
33	चारणवास	27.27		71	चक बुद्धजी का बास	Nil	
34	श्यामी की ढाणी	44.75		72	डाकनियावास	Nil	
35	नागोरपुरा	शामिल श्यामी की ढाणी		73	बासनियावास	Nil	
36	लालपुरा	—		74	कवंरपूरा	Nil	
37	कोच्या की ढाणी	43.48		75	बस्सी झाझडा	Nil	
38	झपोक	शामिल कोच्या की ढाणी		76	गुढा कुमावतान	Nil	
				77	रामपुरा	Nil	

ब्यावर में औद्योगिक क्षेत्र का विकास

192. श्री देवीशंकर भूतडा (ब्यावर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कार्य योजना बनाई गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में नया रीको क्षेत्र विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। कार्य योजना विधान सभा क्षेत्रवार नहीं बनाई जाती। विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु पृथक से कोई कार्य योजना नहीं बनाई गई है।

(2) जी हां। रीको द्वारा विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में दो नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

छोटी सादड़ी पंचायत समिति में वन भूमि पर काबिज आदिवासियों को मालिकाना हक

193. श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेडा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति छोटी सादड़ी के जनजाति क्षेत्र में स्थित वन भूमि पर कई वर्षों से हजारों आदिवासियों का आवास एवं काश्त कब्जा चला आ रहा है? यदि हां, तो पंचायत समिति क्षेत्र में वन क्षेत्र की कुल कितनी भूमि है?

(2) पंचायत समिति क्षेत्र में कितनी भूमि पर कितने आदिवासियों का कितने समय से कब्जा चला आ रहा है? ग्राम पंचायतवार जानकारी सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार वन भूमि पर आदिवासियों द्वारा कब्जा काश्त एवं आवास भूमि जिस पर वे पूर्णतया आश्रित हैं को खातेदारी में दर्ज करने व नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) पंचायत समिति क्षेत्र छोटी सादड़ी में वन भूमि पर कुछ आदिवासियों के कब्जे हैं। पंचायत समिति छोटी सादड़ी में वन विभाग के अन्तर्गत 15662 हैक्टेयर वन भूमि है।

(2) पंचायत समिति छोटी सादड़ी में 392 आदिवासियों द्वारा 450.87 हैक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। उक्त में से वर्ष 1980 के पूर्व के 26 आदिवासियों के 19.10 हैक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण है। शेष अतिक्रमण वर्ष 1980 के बाद के हैं। अतिक्रमण का ग्राम पंचायतवार विवरण (परिशिष्ट 'क') पर संलग्न है।

(3) आदिवासी क्षेत्रों में वन भूमि पर आदिवासियों के द्वारा 1.7.1980 के पूर्व के किये गये अतिक्रमणों को नियमन करने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गये थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 23.11.2001 से भारत सरकार को अतिक्रमणों के प्रकरणों को नियमन किये जाने पर रोक लगा दी है।

1980 के पश्चात हुए अतिक्रमणों पर भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत न्यायालय सहायक वन संरक्षक में नियमानुसार प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

परिशिष्ट 'क'

क्र.सं.	नाम ग्राम पंचायत	अतिक्रमियों की संख्या	अतिक्रमित भूमि का क्षेत्रफल
1.	ग्राम पंचायत गणेश पुरा	36	38.50 हैक्टेयर
2.	ग्राम पंचायत पीली खेडा	61	78.75 हैक्टेयर
3.	ग्राम पंचायत सियाखेडी	48	51.05 हैक्टेयर
4.	ग्राम पंचायत कालाकोट	239	278.10 हैक्टेयर
5.	ग्राम पंचायत मानपुरा	8	4.47 हैक्टेयर
	कुल	**392**	**450.87 हैक्टेयर**

श्रीविजयनगर (सूरतगढ़) की नई धानमण्डी में खाद, बीज विक्रय हेतु अनुमति

194. श्री अशोक नागपाल (सूरतगढ़) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ की श्रीविजयनगर नई धानमण्डी में केवल फसलों का ही बेचान किया जाता है, जबकि बीज, खाद, पेस्टीसाइड्स हेतु पुरानी धानमण्डी श्रीविजयनगर जाना पडता है? यदि हां, तो क्या सरकार नई धानमण्डी श्रीविजयनगर में भी बीज, खाद पेस्टीसाइड्स इत्यादि को विक्रय करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ की श्रीविजयनगर धानमण्डी में अधिसूचित कृषि जिन्सों का ही व्यापार किया जाता है तथा खाद, बीज व पेस्टीसाइड आदि का विक्रय पुरानी मण्डी श्रीविजयनगर में होता है। वर्तमान में आबंटन नीति राज्य सरकार के पास विचाराधीन है। आबंटन नीति जारी होने पर आबंटन नीति के अनुरूप इस बाबत कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

आरक्षित वर्ग हेतु निजी डेण्टल मेडिकल कालेजों में शुल्क निर्धारण

195. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जस्टिस एस.एन. भार्गव की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने निजी मेडिकल एवं डेन्टल कालेजों में अध्ययन हेतु प्रवेश शुल्क कई गुना बढाकर निर्धारित किये जाने के निर्देश राज्य सरकार को दिये हैं? यदि हां, तो कितनी राशि? पूर्व में निर्धारित फीस तथा दिये गये निर्देश के पश्चात निर्धारित फीस का तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामनारायण मीणा)

(2) क्या यह सही है कि सरकारी कालेजों एवं विभिन्न निजी मेडिकल कालेजों में फीस का अन्तर है? यदि हां, तो तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) पूर्व में सरकारी तथा निजी मेडिकल कालेजों में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से कितनी-कितनी फीस ली जाती थी तथा अब कितनी-कितनी ली जायेगी? तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार शुल्क तथा शुल्क वृद्धि से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को राहत देने के लिए कोई कदम उठाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या एवं कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। पूर्व और वर्तमान शुल्क का तुलनात्मक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-1)

(2) जी हां। तुलनात्मक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-1)

(3) राज्य सरकार के आदेश दिनांक 16.8.2003 के तहत निजी मेडिकल/दन्त कालेजों के आरक्षित वर्गों के छात्रों से राजकीय मेडिकल/ दन्त कालेजों में लिया जाने वाला शुल्क ही निर्धारित था। शुल्क निर्धारण समिति की रिपोर्ट में यह व्यवस्था नहीं है। तुलनात्मक विवरण परिशिष्ट-1 के रूप में सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(4) जी हां। इस सम्बन्ध में अन्य राज्यों से भी सूचना मंगवाई जा रही है। सूचनायें प्राप्त हो जाने के बाद ही यथोचित निर्णय लिया जा सकेगा। आरक्षित वर्ग के पात्र विद्यार्थियों को भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति उपलब्ध है जिस हेतु वे प्रार्थना सक्षम अधिकारी को कर सकते हैं।

परिशिष्ट-1

राजकीय मेडिकल/दन्त कालेज एवं निजी मेडिकल/दन्त कालेजों में लिये जाने वाले शुल्क का तुलनात्मक विवरण

राजकीय मेडिकल/दन्त कालेजो का शुल्क (प.19(14) एमई/ग्रुप-1/94 दिनांक 27.11.2000 (प्रति छात्र प्रति वर्ष)		भारत सरकार का पत्र सं. यू.12011/4/99-एमई (पी) दि.18.12.2000 के अनुसार 1997 से लागू (निजी कालेज) (प्रति छात्र प्रति वर्ष)		राज्य सरकार का पत्र प.6(5) एमई/ग्रुप-1/03 दिनांक 16.8.2003 के तहत निर्धारित शुल्क (प्रति छात्र प्रति वर्ष) सं. 4862/03 विपुल गर्ग बनाम सरकार में पारित निर्णय दि. 26.6.2003 (प्रति छात्र प्रति वर्ष)		उच्च न्यायालय द्वारा अन्तरिम रूप से लिया जाने वाला शुल्क जो समिति की रिपोर्ट तक के लिये था (याचिका संख्या 4862/03 विपुल गर्ग बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 28.8.03 (प्रति छात्र प्रति वर्ष)		शुल्क निर्धारण समिति द्वारा दि. 16.6.2004 को अन्तिम रूप से निर्धारित शुल्क		शुक्ल निर्धारण समिति द्वारा 6.12.2004 को अन्तिम रूप से शुक्ल का निर्धारण (प्रति छात्र प्रति वर्ष)	
मेडिकल कालेज	दन्त कालेज	मेडिकल कालेज	दन्त कालेज	मेडिकल कालेज	दन्त कालेज	मेडिकल कालेज	दन्त कालेज	मेडिकल कालेज	दन्त कालेज	मेडिकल कालेज	दन्त कालेज
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>सामान्य वर्ग</u> 2000/- <u>एससी/एसटी</u> शिक्षण शुक्ल नहीं लिया जाता। शेष समस्त शुल्क देय	<u>सामान्य वर्ग</u> 2000/- <u>एसी/एसटी</u> शिक्षण शुक्ल नहीं लिया जाता। शेष समस्त शुक्ल देय	<u>पैमेन्ट सीट</u> 1.10 लाख <u>फ्री मेरिट</u> 0.13 लाख	<u>पैमेन्ट सीट</u> 0.75 लाख <u>फ्री मेरिट</u> 0.08 लाख	<u>सामान्य वर्ग</u> 2.00 लाख 0.50 लाख विकास शुक्ल एक ही बार <u>आरक्षित वर्ग</u> राजकीय मेडिकल कालेज में	<u>सामान्य वर्ग</u> 1.30 लाख 0.20 लाख विकास शुक्ल एक ही बार <u>आरक्षित वर्ग</u> राजकीय दन्त कालेज में लिया जाना	<u>समस्त वर्ग</u> 50,000/-	<u>समस्त वर्ग</u> 30,000/-	1.30 लाख	0.70 लाख	1. महात्मा गांधी नेशनल इन्टीट्यूट आफ मेडिकल सांइसेंज, सीतापुरा जयपुर 1.85 लाख 2.नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइस, शोभा नगर दिल्ली रोड, जयपुर 1.70 लाख	1.राजस्थान डेन्टल कालेज एण्ड होस्पीटल जयपुर 1.30 लाख 2. जयपुर डेन्टल कालेज, 1.30 लाख 3. कालेज आफ डेन्टस्ट्री, सीतापुरा, जयपुर-1.30 लाख 4. पैसौफिक डेन्टल कालेज, एण्ड होस्पीटल उदयपुर-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					लिया जाना वाला शुक्ल	वाला शुल्क					1.40 लाख 5. दर्शन डेन्टल कालेज, उदयपुर-1.40 लाख 6. जोधपुर डेन्टल कालेज, जोधपुर-1.25 लाख 7. सुरेन्द्र डेन्टल कालेज, श्रीगंगानगर 1.25 लाख
											उक्त कालेजों के प्रबन्धन ने परस्तर सहमति से शैक्षणिक सत्र 2003-04 तथा 2004-05 में प्रवेशित छात्रों से निम्न प्रकार शुल्क वसूल करने के प्रति सहमति व्यक्त की है:- 1. निजी मेडिकल कालेजों हेतु– 1.70 लाख प्रतिछात्र प्रतिवर्ष 2. निजी डेन्टल कालेजों हेतु– 1.10 लाख प्रतिछात्र प्रतिवर्ष

विभिन्न आन्दोलनों/प्रदर्शनों में मृत/घायलों के परिजनों को सहायता

196. श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में विभिन्न आंदोलनों/प्रदर्शनों के फलस्वरूप दिनांक 1 जनवरी, 2004 से 31 जनवरी, 2005 तक पुलिस द्वारा गोलीबारी की कितनी घटनाएं कहां-कहां हुई और उनमें कितने लोग मारे गये या घायल हुए ? मृतक/घायलों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त घटनाओं में कौन-कौन व्यक्ति दोषी पाये गये ? दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त घटनाओं में मारे गये या घायल हुए व्यक्तियों के परिवारजनों को सरकार द्वारा क्या सहायता दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में विभिन्न आन्दोलनों/प्रदर्शनों के फलस्वरूप 1 जनवरी, 2004 से 31 जनवरी, 2005 तक पुलिस द्वारा गोलीबारी की कुल 5 घटनायें घटित हुई जिनमें ग्राम कुहाडवास, मण्डावा जिला झुन्झुनूं ग्राम रावला, घडसाना जिला श्रीगंगानगर तथा ग्राम नायला जिला धौलपुर में हुई। जिनमें 5 लोग मारे गये तथा कुल 146 लोग घायल हुए। मृत एवं घायलों के नामों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त घटनाओं में दोषी पाये गये व्यक्तियों का उल्लेख तथा उनके खिलाफ की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) मृतकों के परिजनों को पांच-पांच लाख रूपये व एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी गई। घायल व्यक्तियों को 3000 से 5000 रुपये तक की राशि व घायल पुलिस कर्मियों को 500-500 रूपये की सहायता दी गई। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

परिशिष्ट 'अ'

1 जनवरी, 2004 से 30 जनवरी, 2005 तक पुलिस द्वारा गोलीबारी घटनाओं का विवरण :-

जिला	क्र.सं.	पुलिस द्वारा गोलीबारी की घटनाओं का स्थान	मृतकों की संख्या	घायलों की संख्या	मृतकों व घायलों के नामों की सूची	कौन व्यक्ति दोषी पाये	दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही	मारे गये व घायल हुए व्यक्तियों को सहायता दी।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
झुन्झुनूं	1.	ग्राम कुहाडवास थाना बुहाना जिला झुन्झुनूं	—	—	—	1. रतनलाल कामरेड, 2. किशनलाल पुत्र मंगलाराम 3. सुलतान पुत्र रामकरण 4. जितेन्द्र पुत्र लालचन्द्र 5. संजय पुत्र शेरसिंह 6. मनोजकुमार पुत्र राजपाल 7. रिशीपाल पुत्र काशीराम 8. किशन नाई पुत्र धर्मपाल 9. सुभाष जाट 10. बिल्लू जाट झारोडा	मु.नं. 249/04, धारा 147,148, 149 332, 353, 336, 307 283, भादस व 43 पीडीपीपी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया जिस पर अनुसंधान जारी है।	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						11. राजेन्द्र राजपूत		
						12. कामराज जाट		
						13. गुरूसिंह जाट		
						14. रामेश्वर		
						15. होशियार जाट		
						16. बिल्लू जाट		
						17. रामकिशन धानक		
						18. पप्पू जाट		
						19. बनवारी लाल नायक		
						20. गणपत जाट		
						21. अमरसिंह		
						22. पोकर फौजी		
						23. बहादुरसिंह फौजी		
						24. महेन्द्रसिंह धानक		
	2.	ग्राम मण्डावा जिला झुन्झुनूं थाना मण्डावा	—	—	—	1. अब्दुल वाहक 2. सदीक 3. इकबाल 4. उदयानगनी 5. हाजी यामिन	मु.नं. 29/0 धारा 147, 148, 149, 332, 353, 307	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						6. अनवर अली 7. मो. हुसैन 8. मो. सरीफ 9. आमीन अली 10. मो. आरीफ 11. मो. हुसैन 12. मुबारिक अली 13. जाफर अली 14. सरफराज 15. मो. यासीन 16. गुलाबनबी 17. अब्दुल्ला 18. मो. साजीद 19. अब्दुल सत्तार निवासीगण-मण्डावा		
मागर	3. 4.	घडसाना रावला	रावला में 3 घडसाना में 2	नागरिक 77 पुलिस कर्मी 69	1. श्री जेठाराम पुत्र सुसाराम उम्र 55 साल मेघवाल, निवासी 3 जीडी 2. राज पुत्र तीर्थदास उम्र 27 साल नि. केशव कालोनी रावला	न्यायिक जांच आयोग (श्री आर.एस. खैजरी-वाल से. नि. न्यायाधीश राज. उच्च न्यायालय) की जांच जारी है जांच	आयोग की जांच जारी है।	मृतकों के परिजनों को पांच लाख रूपये व एक सदस्य को सरकारी नौकरी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					3. मांगीलाल पुत्र बृजलाल विश्नोई उम्र 26 साल निवासी 5 केडी 4. कालूसिंह पुत्र गुरडेयसिंह उम्र 20 साल नि. 23 केडी 5. हरबंशसिंह पुत्र नरेन्द्रसिंह नि. 2 जीएम, नई मंडी घडसाना। घांयल पुलिसकर्मियों की सूची:- 1. बृजलाल कानि. 1044 पु.लाइन, 2. रविशंकर कानि. 447 पु. लाइन 3. बुद्धाराम कानि. 506 पु. लाइन 4. विनोदकुमार कानि.324 पु. लाइन 5. अजयकुमार कानि.410 पु. लाइन 6. अनिरूद्व कानि. 373 पु. लाइन 7. राकेश कानि. 265 पु. लाइन 8. कमलेश कुमार कानि.288 पु. लाइन 9. श्रीरामकुमार कानि. 422 पु. लाइन 10. उम्भीर सिंह हैडका 30 पु. लाइन 11.शिशपाल मुआ. 8-10 बी.आरएसी ए. कम्पनी बीकानेर	होने पर दोषियों का निर्धारण होगा।		दी गई, घायलों को 3000-5000 रूपये तक की राशि व घायल पुलिस कर्मियों को 500-500 रूपये की सहायता दी गई।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					12. रोशनलाल कानि. 288, 10 बी.आरएसी ए.			
					13. हीरालाल, का. 393 10 बी.आरएसी ए.			
					14. नन्दलाल, हैडका. 129 10 बी. आरएसी ए.			
					15. बीरबलराम, सउनि, थानारावला			
					16. राधाकिशन, का. 100 थानारावला			
					17. भवानी सिंह कानि. 678 थानारावला			
					18. भूपसिंह, कानि. 787 थानारावला			
					19. जसविन्द्रसिंह ह्राका. 1196 थानारावला			
					20. रामपताप का. 1227 थानारावला			
					21. चेनदान उनि. थानारावला			
					22. रामपाल का नि.475 थाना गजसिंहपुर			
					23. मनोज माचरा, उनि. थाना गजसिंहपुर			
					24. रामजीलाल चन्द्रेल, सी.ओ. अनूपगढ़			
					25. गणेशनाथ, उनि			
					26. तुलसीराम, सउनि			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					27. रामसिंह, उनि पीएस रायसिंहनगर			
					28. मनोज माचरा, उनि. पीएस गजसिंहपुर			
					29. वेदप्रकाश, सउनि पीएस घड़साना			
					30. छेलदान कानि.10 आरएसी सीकम्प, बीकानेर			
					31. पेपसिंह, मु.आ. 2010 वीआरएसी सीकम्प, बीकानेर			
					32. ओमपालसिंह, का. 731 सीकम्प, बीकानेर			
					33. रामानन्द का. 689 सीकम्प, बीकानेर			
					34. हुकमचन्द कानि. 548 सीकम्प, बीकानेर			
					35. होशियारसिंह कानि. 422 सीकम्प, बीकानेर			
					36. रामजीलाल चन्देल सीओ अनूपगढ़			
					37. रतनलाल सीओ सूरतगढ			
					38. रायसिंह पुनि.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					39. सहीराम कानि. 658 पीएस घडसाना			
					40. श्रीमनमोहन, मुआ, पीएस रावला			
					41. विरेन्द्रसिंह, का.सीओ कार्या. सूरतगढ			
					42. सतपाल, का. पीएस गजसिंहपुर			
					43. बंशीलाल, का. 538, 10 आरएसी सी. क. बीकानेर			
					44. छगनलाल का. ड्रा. पीएमडीए बीकानेर			
					45. मनोहरसिंह, का. 521, 10 आरएसी डीकम्न बीकानेर			
					46 सतीशकुमार का. 656, 10 आरएसी डीकम्न बीकानेर			
					47. महकसिंह का. 344 10 आरएसी डीकम्न बीकानेर			
					48. नूरमोहम्मद का.10 आरएसी डीकम्न बीकानेर			
					49. स्वर्गसिंह का. 654 आरएसी डीकम्न बीकानेर			
					50. महेन्द्रकुमार का. आरएसी डीकम्न बीकानेर			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					51. वेदपाल का. 10 बटा.आरएसी ए.क.बीकानेर			
					52. गणेशनाथ उ.नि.			
					53. सुबेहसिंह उनि गंगानगर			
					54. नूरमोहम्मद कानि. 167, 10वीं कम्प, आरएसी एफ बीकानेर			
					55. सुमेरसिंह का. 412 आरएसी एफ. बीकानेर			
					56. मांगू सिंह का. 600 आरएसी एफ. बीकानेर			
					57. जुगलसिंह ड्रा.211 आरएसी एफ. बीकानेर			
					58. भगवानराम, का. 528 पीएम घडसाना			
					59. बलकरण सिंह का. 1083 पीएस घड़साना			
					60. ताराचन्द्र कानि. 449 पीएस घड़साना			
					61. रिडमालराम, मुआ 38 पीएस रायसिंहनगर			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					62. हरिराम का. 463 पीएस घड़साना 63. बब्बूसिंह का. 296 पीएस घड़साना 64. फूलचन्द् का. 312 पीएस घड़साना 65. भादरराम, का. 1449 पीएस घड़साना 66. सुरेशकुमार. का. 1136 पीएस घड़साना 67. भवानीसिंह, का. 975, 4थी बटा. आरएसी जोधपुर 68. रामदयाल कानि. 700 4थी बटा. आरएसी जोधपुर 69. बंशीराम मुका. 115 4थी बटा. आरएसी जोधपुर **<u>जनता के घायल व्यक्तियों की सूची-</u>** 1. श्री सुभाष पुत्र कृष्णचन्द्र विश्नो . नि. 8 के डी पीएस रावला 2. राजू पुत्र श्योपतराम जाट नि. 5 केडी 3. जितेन्द्र पुत्र मुगलराम , विश्नो. नि. वार्ड न. 15 रावला			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					4. राकेश पुत्र सुन्दरराम. विश्नो. नि. 8 पीएसडी 5. सुखदेवसिंह पुत्र कालूराम, नि. 9 पीएसडी 6. सुनील पुत्र कालूराम नि. 16 के डी 7. श्रवणकुमार पुत्र शंकरलाल नि. 16 केएसडी 8. बृजलाल पुत्र पोकरराम नि. 10 एलएम उम्र 40 साल 9. बद्रीप्रसाद पुत्र गंगाजल जाट उम्र 35 साल नि. 10 एलएम 10. सुखराम पुत्र सहीराम नायक, नि. 32ए 11. सोहनलाल पुत्र भीखाराम नायक, नि. 2 जीडी 12. राजाराम पुत्र माननराम जाट नि. अनूपगढ़ 13. मुकेशकुमार पुत्र आदूराम जाट नि. 9 एलएम 14. देवीलाल पुत्र सुरजाराम जाट नि. 10 एलएम 15. ख्यालीराम पुत्र देवाराम जाट नि. 10 एलएम 16. मूलाराम पुत्र मोटाराम नायक नि. ढाबा 17. ब्रजलाल पुत्र लेखराज मेघवाल नि. 3 एनएम 18. लालचन्द्र पुत्र जेसाराम नायक नि. 7 डीडी 19. भागीरथ पुत्र रामप्रताप विश्नो, नि. सताईया			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					20. दारासिंह पुत्र सागरसिंह कम्बोसिख नि. 28 एनएम			
					21. रामलाल पुत्र सुरजराम बावरी नि. 6 जीडी			
					22. मनीराम पुत्र सांवताराम जाट नि. 17 एमडी			
					23. बनवारीलाल पुत्र फूलराम मेघवाल नि. 6 डीडी			
					24. हरदीप पुत्र पोकरराम नायक, अमर कालोनी घड़साना			
					25. हीरालाल पुत्र भादरराम सुथार नि. नई मण्डी घड़साना			
					26. बलजिन्द्रसिंह पुत्र मीरसिंह जटसिख नि. रावला			
					27. चरणजीतसिंह पुत्र रामसिंह जटसिख नि. 23 एएस			
					28. रामनिवास पुत्र भगडावतराम विश्नोई नि. 17 के डी			
					29. मनफूलराम पुत्र सँखूराम जाट नि. 23 के डी			
					30. दर्शनसिंह पुत्र निन्दरसिंह मजबीसिख नि. 24 घड़साना			
					31. श्रीप्रशनसिंह पुत्र रोशनसिंह जटसिख नि. एसटीआर			
					32. चन्नासिंह पुत्र जगीरसिंह नाई नि. 6 डीडी			
					33. पप्पूसिंह पुत्र हरदेवसिंह जटसिख नि. 19जीडी			
					34. भूपेन्द्रसिंह पुत्र भादरसिंह जटसिख नि. 6 डीडी			
					35. महेन्द्रसिंह पुत्र लाभसिंह मजबी सिख नि. घड़साना			
					36. जीतराम पुत्र भोजाराम रामदासीया नि. 4 एमएलडी			
					37. नरेन्द्रसिंह दयालसिंह मजबीसिख नि. घड़साना			
					38. गोविन्दराम पुत्र हरचन्दराम कुम्हार नि. 6डीडी			
					39. जसवीरसिंह पुत्र अजायब सिंह नि. 2 केएम			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					40. रामकुमार पुत्र धुकलराम विश्नो. नि. 4 केडी			
					41. हनुमान पुत्र बगडावतराम विश्नो. नि. रावला			
					42. खैरातीलाल पुत्र जयमलराम अरोड़ा नि. 1 जेएम			
					43. मुनीराम पुत्र मनफूल राम नि. 5 एमएलडी			
					44. सुरेश चौधरी पुत्र हंसराज आदर्श का. अनूपगढ़			
					45. बुद्वाराम पुत्र ईश्वरराम बावरी नि. 1 एसटीआर			
					46. लक्ष्मणसिंह पुत्र गजसिंह जटसिख नि. 3 जेएम			
					47. बलविन्द्र सिंह पुत्र करतारसिंह नि. जालवाली			
					48. बलवीरसिंह पुत्र सुरजनसिंहराय सिख नि. जावली			
					49. सुखासिंह पुत्र अंगेजसिंह जटसिख नि. 13 एमडी			
					50. रणजीतसिंह पुत्र रिछपालसिंह जटसिख नि. 13 एमडी			
					51. किरणदीप सिंह पुत्र रणजीतसिंह जटसिख नि. 13 एमडी			
					52. तारासिंह पुत्र गुरचरणसिंह नि. 13 एमडी			
					53. करनेल सिंह पुत्र कृपालसिंह जटसिख नि. सतिया			
					54. दलीपकुमार पुत्र रामनारायण विश्नो. नि. 5 केडी			
					55. भादरराम पुत्र सहीराम विश्नोई नि. 5 केएम			
					56. बिहारीलाल पुत्र हेतराम नाई नि. घड़साना			
					57. बलविन्द्र सिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह राय सिख नि. घड़साना			
					58. राधादेवी पत्नी श्री फकीरचन्द नाथ नि. 6 एमडी नाहरावली			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					59. मोहरसिंह पुत्र गजसिंह जटसिख नि. 19 जीडी			
					60. गंगाराम पुत्र मदनलाल सिंधी नि. घड़साना			
					61. शंकरराम पुत्र हरचन्द्र लुहार नि. पुरानी मंडी घड़साना			
					6? श्री राजेश कुमार पुत्र नारायण नि. 1 जेडीए			
					63. छगनलाल पुत्र हुकमचन्द्र सुथार नि. 1 जेडीए			
					64. सुरजादेवी पत्नी रामौतार नि. 28 एएसबी			
					65. प्रदीपकुमार पुत्र राधेश्याम अरोड़ा नि. 1 जीडी			
					66. मुख्तारसिंह पुत्र गौरवसिंह मजबीसिख नि. 2 एमएलडीए			
					67. मेयासिंह पुत्र जगरूपसिंह मजबीसिख नि. 23 घड़साना			
					68. सज्जनसिंह पुत्र कपूरसिंह बावरी नि. 17 एमडी			
					69. गुरदेव सिंह पुत्र भगवानसिंह बावरी नि. 2 एमएलडी			
					70. कालूराम पुत्र हंसराज नि. 13 एमडीए			
					71. रेशमसिंह पुत्र नायबसिंह जटसिख नि. 2 एसटीआर			
					72. विक्रमसिंह पुत्र जसवन्तसिंह नि. घड़साना			
					73. रामसिंह पुत्र सादूसिंह जटसिख नि. 3 एसटीआर			
					74. मुख्तारसिंह पुत्र विचित्रसिंह रायसिख नि. सखीरोड घड़साना			
					75. स्यानोदई पत्नी पृथ्वीसिंह ओडराजपूत नि. घड़साना			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					76. अजयकुमार पुत्र वीमनलाल नि. 1 जीडी घड़साना 77. रोशनलाल पुत्र लालचन्द्र नि. घड़साना			
धौलपुर	5.	ग्राम पंचायत नायला जिला धौलपुर में पंचायत चुनाव, 2005 के दौरान पांच राउण्ड फायर।	-	-	-	-	-	-

गंगनहर क्षेत्र के किनारे लगे पेड़ों की नीलामी

197. श्री ओ.पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गंगनहर (मुख्य) एवं इसकी समस्त वितरिकाओं पर कुल कितने पेड़ कब-कब लगाये गये व इन पेड़ों की कौन-कौन सी किस्में हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) गंगनहर (मुख्य) एवं इसकी समस्त वितरिकाओं पर पेड़ काटने व नीलामी में बेचने की स्वीकृति कब व किसने दी? क्या हरे पेड़ों को काटने की स्वीकृति भी दी गई थी? यदि नहीं, तो हरे पेड़ काटे जाने के क्या कारण रहे?

(3) गंगनहर (मुख्य) व इसकी वितरिकाओं पर पेड़ों की नीलामी से कुल कितनी आय हुई ?

(4) क्या यह सही है कि पेड़ काटने से पर्यावरण प्रभावित हो रहा है? यदि हां, तो इसको रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जावेगी?

(5) क्या यह भी सही है कि पेड़ काटने व इसकी नीलामी में अनियमिततायें हुयी हैं? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई शिकायत भी प्राप्त हुई है? यदि हां, तो इन शिकायतों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) गंगनहर फीडर (मुख्य) पर 33195 एवं इसकी वितरिकाओं पर 126390 कुल 159585 वृक्ष लगाये गये थे। विभाग द्वारा 1928 से लेकर 1990 तक मुख्य नहर एवं इसकी वितरिकाओं पर पेड़ लगाये गये थे जिसका विवरण प्रपत्र 'अ' में संलग्न है।

(2) जिला कलक्टर श्रीगंगानगर ने दिनांक 4.3.2003 को परिपक्व पेड़ों की नीलामी की स्वीकृति जारी की। जी नहीं, नीलामी द्वारा केवल परिपक्व पेड़ों को कटवाया गया ।

(3) गंगनहर प्रणाली (गंगनहर मुख्य एवं वितरिकाओं) पर स्थित परिपक्व पेड़ों की नीलामी में 43285 वृक्ष काटे गये जिससे नीलामी की राशि रूपये 11,42,91,528 प्राप्त हुई।

(सिंचाई मंत्री)

(4) जी नहीं । परिपक्व पेड़ काटे गये थे जिनके कारण नहरों को भी क्षति हो रही थी। इन परिपक्व पेड़ों के स्थान पर वन विभाग के माध्यम से निर्धारित मानदण्डों के अनुसार नये वृक्ष लगाये जाने प्रस्तावित हैं, ताकि पर्यावरण संतुलन बना रहे ।

(5) जी नहीं। जी नहीं।

प्रपत्र 'अ'

गंगनहर प्रणाली में पेड़ लगाने का कार्य वर्ष 1928 में पानी आने के साथ ही प्रारम्भ हुआ। नहर पर पेड़ लगाने का दशाब्दी विवरण निम्नानुसार है।

दशाब्दी वर्ष	मुख्य नहर			वितरिकाएं			कुल पेड़ों की संख्या
	शीशम	कीकर	सफेदा/अन्य	शीशम	कीकर	सफेदा/अन्य	
1928-30	80	70	50	720	630	450	2000
1930-40	240	210	150	2160	1890	1350	6000
1940-50	280	245	175	2520	2205	1575	7000
1950-60	600	525	375	5400	4721	3379	15000
1960-70	6600	1409	675	18400	8825	8144	44053
1970-80	6800	1725	1897	14400	10625	6320	41767
1980-90	7600	2025	1464	15200	10726	6750	43765
योग:-	**22200**	**6209**	**4786**	**58800**	**39622**	**27968**	**159585**

गंगनहर प्रणाली में आरम्भ में पेड़ लगाने का कार्य विभागीय श्रमिकों से ही करवाया जाता रहा। दशाब्दी वर्ष 1970-80 के दौरान वृक्षारोपण को अभियान के रूप में अपनाकर इस हेतु विशेष श्रमिक नियोजित कर 41800/- पेड़ लगाने हेतु रूपये 112000/- व्यय किये गये तथा दशाब्दी वर्ष 1980-90 में रूपये 165660/- व्यय कर 43800 वृक्ष लगाये गये। विभागीय श्रमिकों एवं उपरोक्त विवरणानुसार नियोजित श्रमिकों से ही दशाब्दी वर्ष में क्रमानुसार किया गया वृक्षारोपण ऊपर दर्शाया गया है।

महंगाई सूचकांकानुसार न्यूनतम मजदूरी

198. श्री अमराराम (धोद) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार न्यूनतम मजदूरी को पड़ौसी राज्यों की तरह महंगाई सूचकांक (इन्डैक्स) से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। इसके लिए विधिक परीक्षण किया जा रहा है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत निर्धारित प्रक्रिया अपनाया जाना आवश्यक है। जिसमें समय लगना सम्भव है।

भीम में औद्योगिक क्षेत्र

199. श्री हरी सिंह रावत (भीम) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भीम में फैल्सफार मिनरल का प्रचूर भण्डार है?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र भीम में फैल्सफार व उसके साथ पाये जाने वाले खनिजों के प्रचुर भण्डार हैं।

(2) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र भीम में रीको द्वारा कोई औद्योगिक क्षेत्र स्थापित/विकसित करने का प्रस्ताव सरकार के स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट से आय

200. श्री कान्ती प्रसाद मीणा (थानागाजी) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री कान्ती प्रसाद मीणा)

(1) सरकार द्वारा सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट को सरिस्का नेशनल पार्क कब बनाया गया तथा अब तक इसके विकास के लिए कितनी राशि किन-किन कार्यो पर व्यय की गई?

(2) इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित होने पर पर्यटकों के आने से सरकार को वर्षवार कितनी आमदनी हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बाघ परियोजना सरिस्का के कोर क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किये जाने के लिए प्रारम्भिक अधिसूचना राज्य सरकार के आदेश दि. 27.8.1982 से जारी की गई थी, किन्तु अभी तक नेशनल पार्क घोषित करने के लिए आवश्यक अन्तिम विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। वर्ष 1982-83 से वर्ष 2003-04 तक बाघ परियोजना सरिस्का के विकास हेतु 2322.86 लाख रूपये खर्च किये गये हैं।

(2) अभी तक बाघ परियोजना सरिस्का को राष्ट्रीय उद्यान घोषित नहीं किया गया है।

कुचामन सिटी कृषि उपज मंडी में प्रस्तावित निर्माण

201. श्री हरीश चन्द (नावां) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कुचामन सिटी नागौर क्षेत्र में प्याज व मूंगफली की अत्यधिक उपज होती है? यदि हां, तो क्या सरकार यहां की मंडी को प्याज, मूंगफली मंडी के रूप में विकसित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा फल सब्जी मंडी का स्थानान्तरण कृषि मंडी कुचामन सिटी के क्षेत्र में करने व वहां अलग से परिसर, आन्तरिक सड़कें, ढका हुआ नीलामी चबूतरा के निर्माण के लिये भी बजट उपलब्ध करवाया गया है? क्या इस परिसर में दुकानों के भूखण्ड का आबंटन अथवा निर्माण कार्य भी करवाया जावेगा? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) कुचामन सिटी क्षेत्र में प्याज की उपज अधिक होती है तथा मूंगफली की उपज सामान्य है। वर्तमान में यहां की मंडी को प्याज एवं मूंगफली की मंडी के रूप में विकसित करने का कोई विचार नहीं है, क्योंकि कुचामनसिटी के बजाय राज्य की कुछ अन्य मंडियों में प्याज व मूंगफली की अधिक आवक होती है।

(2) जी हां। दुकानों के भूखण्डों को आबंटन निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात किया जावेगा।

चौमूं राजकीय महिला महाविद्यालय में नवीन विषय

202. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार राजकीय महिला महाविद्यालय चौमूं में संस्कृत, भूगोल व ड्राईंग एण्ड पेंटिंग विषय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या सरकार स्वपोषित योजना के तहत उक्त विषयों को खोलने की स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां।

अजमेर किशनगढ़ उपखण्ड में नवीन पुलिस चौकी/थाने

203. श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में नवीन पुलिस चौकियां एवं पुलिस थाना खोले जाने के क्या मानदण्ड हैं? गत् 2 वर्षों मं राज्य में कहां-कहां व कब-कब नवीन पुलिस चौकियां एवं थानों की स्थापना की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री भागीरथ चौधरी)

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में नवीन पुलिस चौकियां एवं थाना खोले जाने की मांग की जा रही है? यदि हां, तो कब से एवं किस-किस स्थान हेतु?

(3) क्या सरकार किशनगढ़ उपखण्ड की बढ़ती जनसंख्या, विश्वविख्यात मार्बल मंडी एवं बढ़ती आपराधिक प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए पुलिस चौकी गांधीनगर-किशनगढ़ को पुलिस थाना में क्रमोन्नत करने एवं ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत मुख्यालय कुचील, करकेड़ी, नोसल एवं भदूण में नवीन पुलिस चौकी खोले जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में पुलिस थानें/चौकी सृजित किये जाने के कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं है।

गत दो वर्षों में राज्य में खोले गये पुलिस थाने/चौकियों का विवरण इस प्रकार है-

क्र.सं.	जिला	नाम चौकी/थाना	स्वीकृति दिनांक
1.	जयपुर (ग्रामीण)	पुलिस चौकी चकवाडा (विद्यमान नफरी में से स्वीकृत)	20.6.2003
2.	जयपुर (शहर)	नई पुलिस चौकी सीकर हाऊस	28.8.2004
3.	सीकर	नई पुलिस चौकी रोल साहब सर	20.9.2004
4.	धौलपुर	नई पुलिस चौकी नांदनपुर	18.10.2004
		नई पुलिस चौकी बाबू महाराज	18.10.2004
5.	जयपुर (ग्रामीण)	नई पुलिस चौकी पालडी मीणा	2.12.2004

(2) जी हां। यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में नवीन पुलिस चौकियां एवं थाना खोले जाने की मांग रखी गयी है। अजमेर सम्भाग की बैठक दिनांक 16.12.2004 में माननीय विधायक द्वारा पुलिस चौकियां एवं थाना खोले जाने बाबत निम्न मांग रखी गयी थी :-

(गृह मंत्री)

1. गांधीनगर पुलिस चौकी को थाने का स्वरूप दिया जाय।

2. ग्राम कुचील, भदोडी एवं भदूण में पुलिस चौकी खोली जाय।

(3) पुलिस चौकी गांधीनगर-किशनगढ़ को पुलिस थाना में क्रमोन्नत करने एवं ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत मुख्यालय-कुचील, करकेडी, नोसल एवं भदूण में नवीन पुलिस चौकी खोले जाने का विचार नहीं है।

कोटा जिले के किसानों को आबंटित भूमि की किश्तें जमा कराने हेतु समय सीमा में छूट

204. श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला कोटा के सिंचित क्षेत्र में कृषकों द्वारा उन्हें आबंटित भूमि की किश्तें जमा नहीं कराने के कारण 8 हजार से अधिक किसान खातेदारी अधिकार से वंचित हैं?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त बकाया दिनांक 31 दिसम्बर, 2004 तक जमा कराने पर ब्याज में छूट दिये जाने के आदेश माह अगस्त, 2004 में जारी किये गये थे?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त आदेश जिला कोटा में दिसम्बर, 2004 तक नहीं पहुंचने के कारण किसानों द्वारा छूट का लाभ नहीं लिया जा सका? यदि हां, तो क्या सरकार इसमें दोषी अधिकारियों के विरूद्व कार्यवाही करने व वांछित समयावधि में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 3(38)उप/2004 पार्ट दिनांक 27.12.2004 से बकाया किश्तों की राशि जमा कराने पर ब्याज में छूट अवधि 31.12.2004 के स्थान पर 31.3.2005 तक बढ़ा दी गयी है जिसका लाभ किसानों को निरन्तर दिया जा रहा है।

राजस्थान सरकार
राजस्व (उपनिवेशन) विभाग

क्रमांक : एफ.3(38) उप/2000 पार्ट-।। जयपुर, दिनांक : 6.8.2004

आयुक्त,
उपनिवेशन विभाग,
बीकानेर।
समस्त जिला कलक्टर।

विषय : उपनिवेशन क्षेत्र में आबंटियों के ब्याज माफी के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशानुसार लेख है कि राज्य में विगत वर्षों में पड़े अकाल के कारण समस्त उपनिवेशन क्षेत्रों में किसानों की बकाया किश्तों की राशि 31 मार्च, 2004 तक की भूमि आबंटन से सम्बन्धित बकाया राशि 31 दिसम्बर, 2004 तक जमा कराने पर ब्याज में छूट दिये जाने का निर्णय लिया गया है। इससे जहां राज्य सरकार की बकाया राशि वसूल होगी, वहीं किसानों को ब्याज माफी से आर्थिक लाभ होगा।

कृपया तदनुसार कार्यवाही तत्परता से की जाए।

भवदीय,

उप शासन सचिव

अति आवश्यक

राजस्थान सरकार

राजस्व (उपनिवेशन) विभाग

क्रमांक : एफ.3(38) उप/2000 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 27.12.2004

1. आयुक्त,
   उपनिवेशन, बीकानेर।
2. समस्त जिला कलक्टर।

विषय : उपनिवेशन क्षेत्रों में आबंटियों के ब्याज माफी के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 6.8.2004

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के अन्तर्गत राज्य में विगत वर्षो में पड़े अकाल के कारण समस्त उपनिवेशन क्षेत्रों में किसानों की बकाया किश्तों की राशि 31.3.2004 तक के भूमि आबंटन से सम्बन्धित बकाया राशि 31.12.2004 तक जमा कराने पर ब्याज में छूट दिये जाने के निर्देश दिये गये थे ताकि राज्य को बकाया राशि वसूल हो सके एवं किसानों को ब्याज माफी से आर्थिक लाभ हो सके।

राज्य सरकार ने सारी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये यह निर्णय लिया है कि बकाया किश्तों की राशि 31.12.2004 तक के स्थान पर 31.3.2005 तक बढ़ाई जाये।

अतः उपरोक्तानुसार लेख है कि तदनुसार तत्परता से कार्यवाही की जावे।

भवदीय,

आर. बी. परमार
उप शासन सचिव,

खेतड़ी के अकाल राहत कार्यों के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतें

205. श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2004-05 में विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के किन-किन ग्रामों में कितने-कितने अकाल राहत कार्य कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यो में कितने मजदूरों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया व उन्हें कितनी राशि का भुगतान किया गया? मय स्थानों के सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त राहत कार्यों में अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो क्या-क्या व शिकायतें पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2004-05 में विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में दिनांक 28.2.2005 तक 36 गांवों में 120 कार्य उनके सम्मुख परिशिष्ट 'अ' में अंकित राशि के स्वीकृत किये गये हैं।

(2) उक्त कार्यो में कुल 3581 श्रमिक नियोजित किये गये जिनको 20,54,369 रूपये का भुगतान किया गया है। स्थानों की सूची परिशिष्ट 'ब' पर अंकित है।

(3) अकाल राहत कार्यों से सम्बन्धित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

परिशिष्ट 'अ'

कार्यालय जिला कलक्टर (सहा.) झुन्झुनूं

विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में स्वीकृत किये गये कार्यों की सूची

क्र.सं.	नाम ग्राम	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1.	दूधवा नागलिया	1. रा.बा.प्रा.वि. दूधवा नागलिया 3 कमरा निर्माण	4,25,000
		2. रा.गा.प्रा. लीलवा की ढ़ाणी चारदीवारी	1,32,000
		3. रा.बा.उ.प्रा.वि. कमरा	50,000
		4. मेहाडा शिमला सड़क किमी 8/0 से 11/0	3,00,000
		5. उदावाला कुआ से सिंघाना रास्ता	2,00,000
2.	नालपुर	1. रा.उ.प्रा.वि. भवन 3 कमरा निर्माण नालपुर	4,25,000
		2. जोहड वाले कुऐं से राजीव गांधी पाठशाला तक सी सी सड़क	65,000
		3. तालाब मरम्मत नालपुर	70,000
		4. बालोडा जोहड खुदाई	1,00,000
3.	झुझारपुर	1. रा.उ.प्रा.वि. 3 कमरा निर्माण जुझारपुर	4,25,000
		2. कोपर शिमला सडक 4/0 से 8/0	4,00,000
4.	बाडलवास	1. पत्थर दीवार मरम्मत बाडलवास	94,080
		2. सी सी सड़क	58,000
		3. नई ढाणी से बाडलवास रास्ता	3,00,000
5.	नानूवाली बावडी	1. पत्थर दीवार मरम्मत	94,000
		2. ग्रेवल द्वारा पटरी मरम्मत शाहपुरा शाहपुर राजगढ़ किमी 103 से 107	4,00,080

1	2	3	4
		3. सी सी सड़क	2,00,000
		4. जसरापुर सड़क से नयोडा तक रास्ता	2,00,000
		5. खेतड़ी से जसरापुर सड़क	4,00,000
6.	प्रतापपुरा	1. पत्थर दीवार मरम्मत	94,080
7.	सिहोड	1. पत्थर दीवार मरम्मत	94,080
		2. मैन सडक से प्रेमसिंह के घर तक सी सी सड़क	80,000
		3. स्कूल से चौराहे तक सी सी सड़क सिहोड	24,000
		4. घाटीवाला जोहड से कांसाला तक रास्ता	2,00,000
8.	बासियाल	1. रा बा उ प्रा वि निर्माण 3 कमरा बासियाल	4,25,000
9.	ठाठबाडी	1. पेयजल टंकी से खारिया तक सी सी सड़क ढोसी	1,00,000
		2. इन्द्राज के घर से सी सी ठाठवासी	2,00,000
		3. बाबा बालक दास के दक्षिण में जोहड चारदीवारी	2,00,000
		4. मैन सड़क से माडू पंडत तक रास्ता	2,00,000
10.	गोठडा	1. अति. कक्षा कक्ष निर्माण रा बा उ प्रा वि एक कमरा गोठडा	1,50,000
		2. प्रकाश सैनी के घर से रेलवे लाइन तक सी सी वा. नं. 8	2,00,000
		3. रामसिंह मीणा के मकान से बनवारी के मकान तक सी सी वा. नं. 11	2,00,000
		4. राकेश पंवार के मकान से पूरण पीटर के मकान तक सी सी वा. नं. 1	3,00,000

1	2	3	4
		5. नदी में एनीकट के पास तालाब छटाई	4,00,000
		6. एस एच नं. 13 कि.मी. 107/0 से 110/0	3,00,000
11.	मेहाडजाटूवास	1. अति. कक्षा कक्ष रा बा उ प्रा वि मेहाडा	1,50,000
		2. ग्रेवल द्वारा पटरी खेतड़ी निजामपुरा किमी 16/0 से 194/0	3,40,000
		3. पंचायत भवन चारदीवारी	1,80,000
		4. बाउण्ड्रीवाल आरएसईबी मेहाडा	3,50,000
		5. सी सी सड़क	1,70,000
		6. सी सी सड़क	2,00,000
		7. मेहाडा से शिमला सड़क	4,00,000
		8. मेहाडा से शिमला सड़क	40,000
		9. पंचायत भवन भराव कार्य	2,00,000
12.	त्योंदा	1. रा प्रा वि ढाणी नायाला की चारदीवारी	1,50,000
		2. अति. कक्षा कक्ष रा बा उ प्रा वि नायाला एक कमरा निर्माण	1,25,000
		3. निजामपुर रोड से मीना की ढ़ाणी	3,00,000
		4. रा प्रा वि नायाला की चारदीवारी शेष कार्य	30,000
13.	गाडराटा	1. शाहपुरा राजगढ़ सड़क कि.मी. 81/0 से 84/0	3,00,000
		2. राजीव गांधी पाठशाला सुईवाला की चारदीवारी	1,60,000
		3. ढ़ाणी जालवाला से डयोडी रास्ता	2,00,000

1	2	3	4
		4. गाडराटा से मूलचन्द सैठ की मील तक रास्ता	3,00,000
		5. स्टेट हाइवे नं. 13 कि.मी. 78/0 से 100/0	40,000
14.	नागलिया गूजर वास	1. स्योपाल की खोली से राजकुमार कसाना तक रास्ता	1,00,000
		2. भैयावाला एनीकट	9,00,000
15.	पपूरना	1. शाहपुरा राजगढ़ सड़क कि.मी. 89/0 से 92/0	3,00,000
		2. करमाडी मैन सड़क से ढाणी के बीच के घर तक सी सी सड़क	1,35,000
		3. ढाणी बडवाला में स्कूल से प्रभू गूजर के घर तक सी सी सड़क	1,45,000
		4. सी सी सड़क मन्दिर से जाट धर्मशाला	1,20,000
		5. रामकुमार पुरा एनीकट	7,50,000
		6. पंचायत भवन बाबा सुन्दरदास तक रास्ता	2,00,000
		7. पपुरना से ढाणी भूकरी रास्ता	2,00,000
16.	डाडाफतेहपुरा	1. खेतड़ी निजामपुर सड़क कि.मी. 13/0-16/0	3,00,000
		2. मोहरू मुकदम से रामकुवार तक सी सी सड़क डाडा फतेहपुरा	1,25,000
		3. रोतास के मकान से पूरण के घर तक सी सी सड़क डाडा फतेहपुरा	36,000
		4. हरिजन बस्ती से नर्सरी तक रास्ता	3,00,000

1	2	3	4
17.	देवता	1. हरिजन बस्ती सी सी सड़क देवता	1,30,000
		2. तातीजा बाढा की ढाणी सड़क कि.मी. 5/0 से 9/0	4,00,000
		3. तातीजा बाढा की ढ़ाणी सड़क कि.मी. 9/0 से 13/0	4,00,000
18.	शिमला	1. नथजी डाक्टर से महादा के घर तक सी सी सड़क	1,00,000
		2. होली चौक से मातादीन महाजन के बालाजी मन्दिर तक सी सी सड़क	2,00,000
		3. रघुराज मास्टर के मकान से पूरणमल के मकान तक मिट्टी भराव	50,000
19.	बसई	1. सीसी बिच्छु की दुकान से	1,00,000
		2. माला जोगी से सजना गोयल तक सी सी सड़क	50,000
		3. सी सी सड़क	2,00,000
		4. सी सी सड़क	1,20,000
		5. सी सी सड़क	75,000
		6. सी सी सड़क	60,000
20.	चिरानी	1. रा प्रा वि लगरियाला की चारदीवारी	1,20,000
		2. रा प्रा वि लगरियाला की चारदीवारी का शेष कार्य	20,000
		3. खेतड़ी निजामपुर सड़क	40,000
		4. तिहाडा से गोरूवाला रास्ता	3,00,000

1	2	3	4
21.	मानोता कलां	1. शिमला रोड से हंसराज के घर तक सी सी सड़क मानोता	1,30,000
		2. रामकुवार के घर से मैन सड़क तक सी सी	50,000
		3. कांपर शिमला सड़क 0/0 से 4/0	4,00,000
		4. कांपर से शिमला सड़क 0/0 से 17	40,000
22.	खारकडा	1. नोरंग कीर से गणपत के घर तक सी सी सड़क	65,000
		2. रा बा प्रा वि चारदीवारी	35,000
		3. काली डूंगरी जोहड	1,00,000
23.	कुरन्ड	1. बाबा हीरामल के स्थान से कुन्ड तक रास्ता	3,00,000
24.	मांदरी	1. मांदरी स्कूल के पास एनीकट	2,50,000
		2. सी सी सड़क	70,000
		3. रोजडा एनीकट	3,00,000
		4. बडा जोहड रोजडा की खुदाई	1,00,000
25.	रोजडा	1. कापर शिमला सड़क कि.मी. 8/0 से 12/0	4,00,000
26.	जसरापुर	1. रा प्रा वि रामा चारदीवारी	1,00,000
		2. पंचायत भवन की चारदीवारी	40,000
		3. रा प्रा वि रामा चारदीवारी शेष कार्य	71,000
		4. लोयल सड़क कि.मी. 10/20 से 14/0	4,00,000
		5. ढाणा से तिरोडी रास्ता	2,00,000
27.	टीबा	1. बसई स्कूल से हरियाना सीमा सी सी सड़क	1,00,000
		2. जोडली से टीबा रास्ता	1,00,000
28.	कालोडा	1. बबाई माधोगढ सड़क 4/0-8/0	4,00,000

1	2	3	4
29.	बबाई	1. बबाई से काकरिया हरडिया कि.मी. 0/0 से 4/0	4,00,000
30.	गौरीर	1. रा बा वि एवं सी स्कूल खोरा मैदान की चारदीवारी	2,50,000
		2. शमशान घाट की चारदीवारी	1,66,000
		3. मेहाडा से शिमला सड़क	4,00, 000
		4. तिराहा से खोखर खां वाला तक रास्ता	1,00,000
31.	रवां	1. राजीव पाठ खेरलाली की चारदीवारी	2,00,000
		2. जोहड की शेष रही चारदीवारी	2,00,000
		3. कोपर से शिमला सड़क कि.मी. 12/0 से 17/0	5,00,000
		4. बलवीरा जोहड खुदाई	1,00,000
32.	हरडिया	1. हरडिया से सेफराकुवार कि.मी. 4/0 से 8/0	4,00,000
33.	राजोता	1. स्टेट हाइवे 13 कि.मी. 100/0 से 103/0	3,00,000
34.	जमालपुर	1. बसई से आश्रम तक सड़क	3,00,000
35.	बीलवा	1. उप स्वा. केन्द्र से ग्यारसी लाल शर्मा के घर तक सी सी सड़क	1,20,000
		2. बीलवा बागोर सड़क	3,00,000
		3. ढहरवाला कुआ से ढ़ाणी ढहर वाला तक रास्ता	1,50,000
36.	तातीजा	1. मातुराम के घर से गिरधारिया गुवारिया तक सी सी सड़क	35,000
		2. ढ़ाणी जलपारिया से रोडा तक रास्ता	2,00,000

जिला कलक्टर (सहा.)
झुन्झुनूं

परिशिष्ट 'ब'

कार्यालय जिला कलक्टर (सहा.) झुन्झुनूं

अकाल राहत सम्बत 2061 के दौरान विधान सभा क्षेत्र खेतडी में लगाये गये श्रमिक एवं किये गये भुगतान की सूची

क्र. सं.	गांव का नाम	कार्य का नाम	श्रमिक सीमा (प्र.दिन)	नियोजित श्रमिक सृमानव दिवस	भुगतान की गयी राशि (नकद व गेहूं के रूप में)
1	2	3	4	5	6
1.	दूधवा नागलिया	1. रा बा प्रा वि दूधवा नागलिया 3 कमरा निर्माण	10	69	34,593
		2. राजीव गांधी पाठशाला लीलवा की ढाणी चारदीवारी	25	201	65,991
2.	नालपुर	1. रा उ प्रा वि भवन 3 कमरा निर्माण नालपुर	10	64	38,591
		2. जोहडे वाले कुऐं से राजीव गांधी पाठशाला तक सी सी सड़क	10	23	5,981
3.	झुझारपुरा	1. रा उ प्रा वि 3 कमरा झुझारपुरा	10	78	47,409
4.	बाडलवास	1. पत्थर दीवार मरम्मत बाडलवास	30	180	91,343
5.	नानूवाली बावडी	1. पत्थर दीवार मरमम्त	30	92	50.582

1	2	3	4	5	6
		2. ग्रेवल द्वारा पटरी मरम्मत शाहपुरा राजगढ़ कि.मी. 103/ से 107/	50	210	1,07,368
6.	प्रतापपुरा	1. पत्थर दीवार मरम्मत	30	120	67,666
7.	सिहोड	1. पत्थर दीवार मरम्मत	30	180	91,306
		2. मैन सड़क से प्रेमसिंह के घर तक सी सी सड़क	15	45	18,999
8.	बासियाल	1. रा बा उ प्रा वि निर्माण 3 कमरा बासियाल	10	60	31,822
9.	ठाठबाडी	1. पेयजल टंकी से खारिया तक सी सी सड़क ढोसी	15	45	24,941
		2. इन्द्राज के घर से सी सी ठाठबाडी	25	75	50,000
10.	गोठडा	1. अति. कक्षा कक्ष निर्माण रा बा उ प्रा वि एक कमरा गोठडा	10	12	4,378
11.	मेहाडा जाटूवास	1. अति. कक्षा कक्ष रा बा उ प्रा वि मेहाडा	10	10	4,414
		2. ग्रेवल द्वारा पटरी खेतडी निजामपुर किमी 16/0 से 19 /400	45	197	1,09,404
		3. पंचायत भवन चार दीवारी	30	109	61,688

1	2	3	4	5	6
12.	त्योंदा	1. राप्रावि ढ़ाणी नायला की चारदीवारी	25	117	69,481
		2. अति. कक्षा कक्ष रा बा उ प्रा वि नायला एक कमरा निर्माण	10	31	12,012
13.	गाडराटा	1. शाहपुरा राजगढ़ सड़क किमी 81/0 से 84/0	40	164	1,02,555
		2. राजीव गांधी पाठशाला सुईवाला की चारदीवारी	25	90	81,651
14.	नागलिया गूजरबन	1. श्योपाल की खेली से रामकुमार कसाना तक रास्ता	15	37	24,500
15.	पपुरना	1. शाहपुरा राजगढ़ सड़क किमी 89/0 से 92/0	40	172	1,05,511
		2. करमाडी मैन सड़क से ढ़ाणी के बीच के घर तक सी सी सड़क	20	70	34,992
		3. ढ़ाणी बडवाला में स्कूल से प्रभू गूजर के घर तक सी सी सड़क	20	28	34,999
16.	डाडाफतेहपुरा	1. खेतडी निजामपुर सड़क किमी 13/0 से 16/0	40	166	80,713
		2. मोहरू मुंकदम से राम कुमार तक सी सी सड़क डाडा फतेहपुरा	25	33	39,854
17.	देवता	1. हरिजन बस्ती सी सी सड़क देवता	15	45	40,053

1	2	3	4	5	6
18.	शिमला	1. नथजी डाक्टर से महादा के घर तक सी सी सड़क	10	30	9,568
19.	बसई	1. सी सी बिछु की दुकान से	10	30	24,272
		2. माला जोगी से सजना गोयल तक सी सी सड़क	10	30	12,999
20.	चिरानी	1. रा प्रा वि लगरियाला की चारदीवारी	20	86	68,994
21.	मानोताकलां	1. शिमला रोड से हंसराज के घर तक सी सी सड़क मानोता	15	26	30,931
22.	खारकडा	1. नोरंग कीर से गणपत के घर तक सी सी सड़क	10	27	14,894
23.	मांदरी	1. मांदरी स्कूल के पास एनीकट	40	200	94,971
24.	जसरापुर	1. रा प्रा वि रामा चारदीवारी	20	88	49,994
		2. पंचायत भवन की चारदीवारी	25	56	67,501
25.	टीबा	1. बसई स्कूल से हरियाना सीमा तक सी सी सड़क	20	48	22,262
26.	गारीर	1. रा बा वि एवं सी स्कूल खेल मैदान की चारदीवारी	25	102	51,435
27.	रवां	1. राजीव पाठशाला खोरा वाली की चारदीवारी	25	145	73,751
		योग	900	3581	20,54,369

जिला कलक्टर (सहा.)

झुन्झुनूं

चित्तौड़गढ़ मेवाड़ शुगर मिल के कर्मियों का बकाया वेतन

206. श्री बद्रीलाल जाट (कपासन) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र कपासन जिला चित्तौड़गढ़ में वर्तमान में कौन-कौन से उद्योग धन्धे सरकार द्वारा संचालित किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि मेवाड़ शुगर मिल, भोपाल सागर को सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उपरोक्त मिल में कार्यरत कर्मचारियों को पिछले 48 माह से वेतन नहीं मिल रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कर्मचारियों को बकाया वेतन का भुगतान कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कपासन जिला चित्तौड़गढ़ में सरकार द्वारा कोई भी उद्योग संचालित नहीं किया जा रहा है।

(2) मेवाड शुगर मिल लिमिटेड को सरकार द्वारा संचालित नहीं किया जा रहा है। अपितु यह निजी क्षेत्र का प्रतिष्ठान है।

वन्य जीवों के अंगों की तस्करी में लिप्त अपराधी

207. डा. चन्द्र शेखर बैद (तारानगर) : क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले में अक्टूबर, 2004 में वन्य जीवों के अंगों की तस्करी का सनसनीखेज मामला पाया गया था तथा पुलिस ने बाघ के पंजे, अंगुलियां एवं नाखून और खाल बरामद की गई थी? यदि हां, तो इसके पीछे किस गिरोह का हाथ था? उक्त गिरोह के विरुद्ध सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वन्य जीवों के अंगों की तस्करी के मुख्य आरोपी संसारचन्द्र पर 40 हजार वन्य जीवों की हत्या का आरोप पाया गया है? यदि हां, तो उसके विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों?

(डा. चन्द्र शेखर बैद)

(3) क्या यह भी सही है कि सरिस्का अभयारण्य में वन्य जीवों की गणना 2004 के अनुसार यहां बाघों की संख्या सालभर में घटकर आधी रह गई है? यदि हां, तो उक्त संख्या घटने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि वन एवं वन्य जीवों के अपराधों की जांच पडताल के लिये सरकार द्वारा कोई शाखा के गठन की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो अब तक उक्त शाखा के गठन नहीं किये जाने के क्या कारण रहे?

उत्तर

(1) जी, हां। पुलिस ने वन्य जीवों के पंजे, व नाखून आदि बरामद किये थे। अनुसंधान एव उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार इसके पीछे संसार चन्द्र का हाथ होना प्रकट होता है। प्रकरण में ई.पी. सिंह, श्रीमती रानी गिहारा, आकाश गिहारा, रामजस उर्फ जस्सु तथा जान मोहम्मद को गिरफ्तार कर अभियोग संख्या 362/2004 में कार्यवाही कर अभियोग संख्या 362/2004 में कार्यवाही कर अभियुक्तों के विरुद्ध वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की धारा 9, 39, 49 तथा 51 के तहत न्यायालय में दिनांक 13.12.04 को चालान पेश किया जा चुका है तथा अभियुक्त संसार चन्द्र गिहारा की गिरफ्तारी हेतु धारा 173(8) जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत अनुसंधान जारी है।

(2) मुख्य आरोपी संसार चन्द्र पर उपलब्ध साक्ष्य एवं रिकार्ड के आधार पर लगभग 30-35 हजार वन्य जीवों की हत्या कर उनकी खालों एवं अंगों की तस्करी का आरोप पाया गया है। उक्त आरोपी के विरुद्ध उत्तर 1 में उल्लिखित अभियोग के अलावा थाना जी.आर.पी. भीलवाड़ा में वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की धारा 9, 39, 44, 48, 49बी तथा 51 के तहत अभियोग संख्या 2/2003 दर्ज होकर दिनांक 6.1.2003 को चालान पेश किया गया है। इस बाबत अन्य राज्यों में दर्ज प्रकरणों की सूची (परिशिष्ट 'अ') पर संलग्न है।

(3) वन्य जीव गणना 2003 के अनुसार बाघ परियोजना सरिस्का में बाघों की संख्या 25-28 आंकी गयी थी। बाघ परियोजना सरिस्का में वन्य जीव गणना 2004 के अनुसार बाघों की अनुमानित संख्या 16 से 18 आंकी गई हैं। वर्ष 2004 की गणना में बाघों की संख्या में कमी के निम्न कारण हो सकते हैं-

(वन एवं पर्यावरण मंत्री)

1. वर्ष 2001 से 2004 तक कुछ बाघों के शिकार होने के संकेत मिले हैं।

2. वर्ष 2002, 2003 एवं 2004 की गणना रिपोर्टस् में पग मार्क द्वारा गिनती, प्रत्यक्ष दर्शन द्वारा गिनती व अब तक पकड़े गये शिकारियों के बयान से विरोधाभासी स्थिति सामने आने के कारण गत गणनाओं के आंकडों के विश्लेषण में त्रुटि की संभावना भी एक कारण हो सकता है।

इसलिए बाघों की संख्या की वस्तुस्थिति राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक जांच, टास्क फोर्स की रिपोर्ट, सी.बी.आई. की जांच रिपोर्ट तथा इस वर्ष की विशेष गणना रिपोर्ट आने पर ही स्पष्ट हो पायेगी।

(4) जी, नहीं। वन्य जीवों एवं वन उत्पादों के सम्बन्धित अपराधों में पुलिस की मदद प्राप्त करने के लिए पुलिस मुख्यालय पर महानिरीक्षक पुलिस, सी.आई.डी. (क्राइम ब्रान्च) के अधीन एक प्रकोष्ट का गठन अप्रैल, 2000 में हुआ है।

परिशिष्ट 'अ'

SANSAR CHANDRA CASES

S.No.	State/Court	Case No. & Date of Seizure	Memo of Parties	Items seized
1	2	3	4	5
1.	ACCMM Delhi	9/4 (24" March, 1988	State Vs. Sansar Chand, Mohd. Maqbool, Abdul Rashid Mohd.	Jackal Skins-973 Jungle Cat skin-976 Common Fox Skins-4 Red Fox Skins-5, Today Cat Skins Dese Cat Skins 19, Domestic Cat Skins, Leopard Skin-5 Tiger Skin-, Wolf Skin-1, Snake Skin-25,800
2.	ACMM Delhi	122/1 FIR No. 257/93 (30th August, 1993)	Lakwinder Singh Vs. Pema Thinley & Ors	Leopard Skin-43, Otter Skin, Tigger Skin-6, Tiger cub Skin -26 Black Buck Skin-6. Fishing Cat Skin-3 Lepoard Cat Skin-2 Clouded Lepoard Skin-3 Lizard Skin-2, Civet Cat Skin-2 Hill Fox with tail-3, Leopard Claws-3 Jungle Cat Skin-5, Jackal Skin-1 Cheetal Skin-1, Otter Skin-128, Sheep wool half-4681 Tiger Bones-280kg.
3.	ACMM Delhi	82/1 (27" October, 1992)	Stal Vs. Sansar Chand & Ors.	Leopard Skin-28 Leopard Skin with lining-1 Clouded Leopard uncured skin-1 Clouded Lepoard skin with lining-1 Tiger sking uncured -1 Baby Tiger Skin uncured in damaged condition-1 Crocodile uncured skins-5 jackal uncured skins-6

1	2	3	4	5
				Wild Hare uncured skin-1 Mongoose uncured skins-35
4.	ACMM Delhi	10/1 (23 February 1990)	State Vs. Sansar Chand & Ors.	Tiger Skins uncured-1 Leopard skins uncured-17 Otter skins uncurred-74 Tiger bones-3
5.	ACMM Delhi	54/96 (17th July, 1995	State Vs. Sansar Chand & Ors.	Lepoard Skin-1
6.	ACMM Delhi	38/1 (11th May, 1993)	State Vs. Kishanlal & Raj Kumar	Lepoard Skin-6
7.	ACMM Delhi		State Vs. Sansar chand	Tiger skin case
8.	High Court, Jaipur	SB Civil Writ Petition No. 2013/98	State of Rajasthan V/s Sansar Chand	
9.	High Court of Allhabad	(4th May, 1995)	State Vs. Sansar Chand	Contempt Petition emerging Haridwar
10.	Haridwar Court	1642/95 (4th, May, 1995	State Vs. Sansar Chand Ram Kumar	Leopard Skin-1
11.	Haridwar Court	85/95	Sansar Vs. State	Leopard Skin-1
12.	Haridwar Court	86/95	Sansar Vs. State	Leopard Skin-1
13.	Haridwar Court	153/97	Sansar Vs. State	Leopard Skin-1
14.	Haridwar Court	1980/95	State Vs. Sansar Chand	Bail cancelled, Warrant issued
15.	ACMM Delhi	31/1	State Vs. Premial Topi Wala	Leopard skin-1 Leopard (mounted)-1 Tigar skull-1 Leopard skin-3 Tigar skin Cut pieces-2 Leopard skin cut pieces-5
16.	ACJM Jaipur	151/98	State Vs. Mohan lal	Ivory seizure

Case No. 15\81 Delhi, Date-11th September 1974 against Sansar Chand in which he was sentenced to 1.6 years of rigorous imprisonment by the Metropolitan Magistrate but it was reduced by the Supreme Court in appeal that he was 16 years old in 1974.

WILDLIER TRUST OF INDI..
A-220, New Colony
New Delhi– 110085
Telephone : 91-11-26326025-26

पीलीबंगा के भवन रहित पशु चिकित्सा केन्द्र

208. श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में कहां-कहां पशु चिकित्सालय व उप केन्द्र संचालित हैं तथा प्रत्येक में कितने-कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने-कितने पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि कई जगह चिकित्सा केन्द्र गैर सरकारी भवनों में चल रहे हैं? क्या सरकार ऐसे केन्द्रों के लिये राजकीय भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में 4 पशु चिकित्सालय एवं 10 उपकेन्द्र संचालित हैं। स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है1

(2) जब भी पदों की भर्ती की स्वीकृतियां प्राप्त होती हैं, रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जाती है।

(3) जी हां। सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण वर्तमान में भवन बनवाना सम्भव नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में संचालित पशु चिकित्सा संस्थाओं में रिक्त पदों का विवरण

क्र.सं.	पशु चिकित्सा संस्था	पशु चिकित्सा अधिकारी		पशु चिकित्सा सहायक		पशुधन सहायक		सईस		जलधारी		सफाईकर्ता	
		स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त
1.	पशु चिकित्सालय, सरदारगढ	1	1 (7/04)	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—
2.	पशु चिकित्सालय, पीलीबंगा	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1 (5/02)	1	—
3.	पशु चिकित्सालय, लिखमीसर	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
4.	पशु चिकित्सालय, गोलूवाला	1	—	1	1 (7/03)	—	—	—	—	1	—	—	—
	<u>पशु चिकित्सा उपकेन्द्र</u>												
5.	रामसरा	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
6.	ठुकराना	—	—	—	—	1	—	1	1(4/02)	—	—	—	—
7.	रंगमहल	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
8.	34 एस टी जी	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
9.	बडोपल	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
10.	जाखडावाली	—	—	—	—	1	—	1	1(5/02)	—	—	—	—
11.	लखुवाली	—	—	—	—	1	—	1	1 (8/02)	—	—	—	—
12.	भूरावाली	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
13.	दूलमाना	—	—	—	—	1	1 (10/4)	1	—	—	—	—	—
14.	ढाबा झालार	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—

अतारांकित प्रश्नोत्तर

लघु प्रौद्योगिक इकाइयों के विकास हेतु कार्य-योजना

291. **श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार राज्य के लघु उद्योगों को इन्स्पेक्टर राज से मुक्त करने की कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो इन इकाइयों के लिए कानूनी प्रक्रियाएं सरल करना और उन्हें उत्पाद विविधीकरण के पर्याप्त अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तर

जी हां। नई विश्वव्यापी एकीकृत आर्थिक व्यवस्था के परिदृश्य में यह आवश्यक हो गया है कि औद्योगिक व व्यापारिक प्रतिष्ठानों व इकाईयों पर नियमों व अधिनियमों के पालन को विश्वास की नींव पर रखा जाये। इसके अतिरिक्त विभिन्न कानूनों, अधिनियमों व नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों के निरीक्षको द्वारा लगातार निरीक्षण किये जाने से लघु उद्योगों को संचालित करने वाले उद्यमियों का बहुत अधिक समय अनुत्पादक गतिविधियों से बचाया जा सकता है ताकि विश्वव्यापी आर्थिक प्रतिस्पर्धा के युग में उद्यमी अपनी प्रतिस्पर्धात्मक पहल को बनाये रख सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए उद्योग विभाग ने "इन्टीग्रेटेड इन्रेक्शन सिस्टम" का प्रस्ताव तैयार किया है। निरीक्षण कार्य की वर्तमान व्यवस्था में संशोधन बाबत प्रस्तावित "मोडिफिकेशन इन इन्सपेक्टर स्टाफ विजिट सिस्टम" के प्रस्ताव में अलग-अलग निरीक्षकों द्वारा भिन्न-भिन्न समयों पर किये जाने वाले निरीक्षणों के स्थान पर तीन संयुक्त टीम द्वारा निरीक्षण प्रस्तावित है। इस सन्दर्भ में राज्य सरकार द्वारा निम्न तीन निर्णय लिये गये हैं।

1. सम्बन्धित विभागों द्वारा जारी होने वाले लाइसेंस/एप्रूव्लस/स्वीकृतियों के आवेदन पत्रों को एकल खिड़की योजना के दायरे में लाया जाये।
2. सेल्फ सार्टिफिकेशन सिस्टम अपनाया जाये।
3. रेण्डम पद्धति के आधार पर संयुक्त निरीक्षण किया जावे।

कोलाना औद्योगिक क्षेत्र (दौसा) को देय सुविधाएं

292. श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला दौसा में औद्योगिक क्षेत्र कहां-कहां संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) बांदीकुई स्थित कोलाना औद्योगिक क्षेत्र में कुल कितने औद्योगिक भूखण्ड हैं तथा इनमें से कितने औद्योगिक भूखण्ड किस-किस को आबंटित किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त आबंटित औद्योगिक भूखण्डों में कौन-कोनसी औद्योगिक इकाइयां चालू है?

(4) सरकार द्वारा कोलाना औद्योगिक क्षेत्र को क्या-क्या सुविधायें दी जानी थी तथा उनमें से कौन-कौनसी सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं तथा शेष सुविधाएं अब कब तक प्रदान कर दी जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला दौसा में रीको द्वारा दौसा, बापी, बांदीकुई (कोलाना) लालसोट, महुआ एवं जीरोता औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये गये हैं।

(2) बांदीकुई स्थित कोलाना औधोगिक क्षेत्र में 130 औद्योगिक भूखण्ड नियोजित किये गये हैं तथा उनमें से 92 औद्योगिक भूखण्ड आबंटित कर दिये गये हैं। विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(3) उक्त आबंटित औद्योगिक भूखण्डों में से 11 औद्योगिक इकाइयां उत्पादनरत हैं। सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(4) औद्योगिक क्षेत्र रीको द्वारा स्थापित किये जाते हैं । रीको द्वारा कोलाना औद्योगिक क्षेत्र में सड़क, बिजली एवं पानी की सुविधायें दी जा चुकी हैं। अन्य सुविधाएं निगम द्वारा नहीं दी जाती हैं।

परिशिष्ट 'क'

औद्योगिक क्षेत्र कोलाना में आबंटित भूखण्डों की सूची

क्र.सं.	इकाई का नाम	भूखण्ड संख्या
1	2	3
1.	भरथूनियां इण्डस्ट्रीज	जी 1-10
2.	वरथूनियां इण्डस्ट्रीज	जी-11
3.	सुमन इण्डस्ट्रीज	जी-12
4.	भीमवाल कृषि यंत्र उद्योग	जी-13
5.	मित्तल इण्डस्ट्रीज	जी-14
6.	वीर त्यागी किसान इण्डस्ट्रीज	जी 1-16
7.	पूनियां इण्डस्ट्रीज	जी-17
8.	हनुमान पैकेजिंग	जी 1-18
9.	बंधु ब्रदर्स	जी-26
10.	स्वास्तिक इण्डस्ट्रीज	जी-27
11.	अरिहंत इण्डस्ट्रीज	जी-28
12.	खण्डेलवाल इण्डस्ट्रीज	जी-29
13.	गुप्ता डण्डस्ट्रीज	जी-30
14.	संजय इण्डस्ट्रीज	जी 1-31
15.	श्री कृष्णा इण्डस्ट्रीज	जी 1-32
16.	विनायक इण्डस्ट्रीज	जी 1-33
17.	श्रीराम मार्बल	जी 1-34
18.	ओ.पी. एन्टरप्राईजेज	जी 1-35
19.	रेनवाल इण्डस्ट्रीज	जी-36
20.	उमा एन्टरप्राइजेज	जी-37
21.	भागचंद स्टोन	जी-38
22.	गिरीराज इण्डस्ट्रीज	जी-39
23.	गोर इण्डस्ट्रीज	जी-40

1	2	3
24.	जय इण्डस्ट्रीज	जी-41
25.	पूजा इण्डस्ट्रीज	जी-43
26.	जैमन इण्डस्ट्रीज	जी-44
27.	चेतन इण्डस्ट्रीज	जी-45
28.	शिव सीमेन्ट जाली उद्योग	जी 1-47
29.	अमित इण्डस्ट्रीज	जी 1-48
30.	बंसीवाल गारमेन्ट	एच 1-49
31.	इन्दु रेडीमेड गारमेन्ट	एच 1-50
32.	ललिता लघु उद्योग	एच 1-51
33.	सुभाष लघु उद्योग	एच 1-52
34.	उमेश चन्द, मुन्ना लाल गोयल	एच 1-53
35.	बृज उद्योग	एच 1-54
36.	विनोद इण्डस्ट्रीज	एच 1-55
37.	लक्की फाइबर इण्डस्ट्रीज	एच 1-56
38.	श्रीराम इण्डस्ट्रीज	एच 1-57
39.	रवि इण्डस्ट्रीज	एच 1-58
40.	जालानी स्कैब वायर	एच 1-59
41.	मीरा इण्डस्ट्रीज	एच 1-60
42.	राजा शूज	एच 1-61
43.	नन्दिनी इण्डस्ट्रीज	एच 1-62
44.	कल्याणवत एन्टरप्राईजेज	एच 1-63
45.	बंटी प्लास्टिक	एच 1-64
46.	हनी एन्टरप्राईजेज	एच 1-65
47.	महेश्वरी इण्डस्ट्रीज	एच 1-66
48.	गिरीराज इण्डस्ट्रीज	एच 1-67
49.	उपाध्याय इलेक्ट्रोनिक्स	एच 1-68

1	2	3
50.	पूजा इण्डस्ट्रीज	एच 1– 69
51.	तांबी इण्डस्ट्रीज	एच 1-70
52.	जे. के. हायड्रोलिक्स	जी 1-71
53.	शिल्पा लूब्रीकेन्ट्स	जी-72
54.	शर्मा एन्टरप्राइजेज	जी 1-73
55.	श्रीमती शकुन्तला कोली	जी 1-74-75
56.	नाईल रिसर्च प्रा.लि.	जी 1-76-80
57.	श्रीमती उषा रानी जैन	जी 1-81
58.	श्रीमती संतोष शर्मा	जी 1-82
59.	श्रीमती निर्मला देवी	जी 1-83
60.	श्रेयास इन्फोटेक	जी 1-84-85
61.	सैनी इण्डस्ट्रीज	जी 1-86
62.	रेखा ग्लास इण्डस्ट्रीज	जी 1-87
63.	मोटी प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज	जी 1-88
64.	राहुल टायर रिट्रेडिंग	जी 1-89
65.	पूजा स्टील	एच-90
66.	देव प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज	एच-91
67.	श्रेया मार्केटिंग	एच-92
68.	अमित पाइप इण्डस्ट्रीज	एच-94
69.	श्रीराम आयल एण्ड दाल मिल	जी 1-96
70.	पी. के. एन्टरप्राइजेज	एच-97
71.	श्रीमती लक्ष्मी देवी	एच-98
72.	श्रीमती गीता देवी, सावित्री देवी	एच-98
73.	श्रीमती सुरेश देवी	एच-100
74.	मिनेश फ्लोर मिल	एच-101
75.	जालानी सर्विसेज	एच-102

1	2	3
76.	इंगायत आयरन उद्योग	एच-103
77.	सुप्रिया इण्डस्ट्रीज	एच– 104
78.	कृष्णा इण्डस्ट्रीज	एच-105
79.	सौरभ इण्डस्ट्रीज	एच-106
80.	भगवान एन्टरप्राइजेज	एच-107
81.	लाडचाव एन्टरप्राइजेज	जी 1-108
82.	प्रकाश इण्डस्ट्रीज	जी 1-110
83.	पवन सोप इण्डस्ट्रीज	जी 1-125
84.	त्रिवेणी लघु उद्योग	जी-126
85.	आर. के. इण्डस्ट्रीज	जी 1-127
86.	गुप्ता इण्डस्ट्रीज	जी-128

परिशिष्ट 'ख'

औद्योगिक क्षेत्र कोलाना में उत्पादन प्रारम्भ कर चुकी इकाइयां

क्र.सं.	इकाई का नाम	भूखण्ड संख्या
1.	भरथूनियां इण्डस्ट्रीज	जी 1-10
2.	हनुमान पैकेजिंग	जी 1-18
3.	श्रीराम मार्बल	जी 1-34
4.	विनोद इण्डस्ट्रीज	एच 1-55
5.	जालानी स्कैब वायर	एच 1-59
6.	बंटी प्लास्टिक	एच 1-64
7.	शिल्पा लूब्रीकेन्ट्स	जी-72
8.	नाईल रिसर्च प्रा.लि.	जी 1-76-80
9.	पी. के. एन्टरप्राइजेज	एच-97
10.	गिनेश फलोर मिल	एच-101
11.	सौरभ इण्डस्ट्रीज	एच-106

विक्रम आटो रिक्शा हेतु दिये गये बकाया ऋण का निस्तारण

293. श्री अशोक बैरवा "खण्डार" (खण्डार) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1980-81 में राजस्थान वित्त निगम जयपुर द्वारा अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवकों को विक्रम आटो रिक्शा ऋण पर दिलवाये गये थे? यदि हां, तो कितने और कब-कब?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान वित्त निगम द्वारा छोटे उद्यमियों अर्थात 50,000/- रूपये तक के ऋण खातों को निपटाने हेतु कोई योजना बनाई गई है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में प्रचलित योजनानुसार विक्रम आटो रिक्शा के डिफाल्टर ऋण खातों का निपटारा किस योजनान्तर्गत किया जा रहा है तथा पूर्व में किस आधार पर इनका निपटारा किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) हां। यह सही है कि वर्ष 1980-81 में राजस्थान वित्त निगम, जयपुर द्वारा अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवकों को विक्रम आटो रिक्शा के लिए ऋण दिये गये थे तथा वर्ष 1980-81 में 17 अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवकों को धनराशि रूपये 4.18 लाख रूपये का ऋण स्वीकृत किया गया था।

(2) यह सही है कि आर.एफ.सी. को छोटे उद्यमियों जिनको रूपये 50,000/- तक के ऋण राशि प्रदान की गई थी और समय पर भुगतान नहीं कर सके, उनके लिए एक मुश्त योजना द्वारा ऋण खातों के निपटारे हेतु नयी योजना जारी की गयी जिनकी प्रति संलग्न है।

(3) वर्तमान में प्रचलित योजनानुसार रूपये 50,000/- से कम की वितरण राशि वाले डिफाल्टर ऋण खातों का निपटारा स्कीम फोर सैटलमेन्ट आफ स्माल लोन में व अन्य का एन.पी.ए. स्कीम 2004-05 जो 31 मार्च, 2005 तक लागू है के अन्तर्गत सेटलमेन्ट किया जाता है।

पूर्व में समय-समय पर प्रचलित स्कीम के आधार पर खातों का निपटारा किया गया है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बैराठ के खराब/नाकारा हैण्ड पम्प

294. श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बैराठ में वर्तमान में किन-किन स्थानों पर हैण्डपम्प खराब नाकारा हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार उक्त खराब पडे हैण्ड पम्पों को ठीक करवाने और नाकारा हैण्ड पम्पों के स्थान पर नये हैण्ड पम्प लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बैराठ में वर्तमान में स्थापित कुल 1801 हैण्ड पम्पों में से 57 हैण्ड पम्प मरम्मत योग्य खराब एवं 220 हैण्ड पम्प सूखे/नाकारा हैं। इनका स्थानवार विवरण क्रमश: संलग्न परिशिष्ट 'अ' व 'ब' पर उपलब्ध है।

(2) 31वें हैण्ड पम्प विशेष मरम्मत अभियान (1 जनवरी, 2005 से प्रारम्भ) के अन्तर्गत अब तक उक्त विधानसभा क्षेत्र में मरम्मत योग्य खराब पाये गये कुल 380 हैण्ड पम्पों में से 323 हैण्ड पम्प ठीक कर चालू कर दिये गये है एवं शेष 57 हैण्ड पम्पों को अभियान के तहत 31 मार्च, 2005 तक ठीक किया जाना प्रस्तावित है।

जी हां। नाकारा हैण्ड पम्प के स्थान पर नये हैण्ड पम्प प्राथमिकता, प्रभावी मानदण्ड व संसाधान उपलब्धी के अनुसार ही निर्मित करना प्रस्तावित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

फतेहपुर के हैण्ड पम्प

295. श्री भंवरू खान (फतेहपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के तहसील क्षेत्र में गत तीन वर्षो में किस-किस गांव/ढाणी में हैण्ड पम्प पर मोटर लगाई गई? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री भंवरू खान)

(2) क्या सरकार द्वारा हैण्ड पम्पों में मोटर लगाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं? यदि हां, तो एक तहसील में एक वर्ष में कितनी मोटर लगाने का प्रावधान है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर तहसील क्षेत्र में कितने हैण्ड पम्प नाकारा हैं? स्थानवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में कितने हैण्ड पम्प कहां-कहां पर स्थापित हैं? उक्त हैण्ड पम्पों में से कितने व कौन-कौन से हैण्ड पम्प खराब हैं? सरकार खराब हैण्ड पम्पों को कब तक ठीक कराने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वांछित सूची संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) प्रान्त की प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र में वर्ष 2003 की ग्रीष्म के लिए ही 10 हैण्ड पम्प बिन्दुओं पर सिंगल फेज पम्पिंग प्रणाली स्थापित करने बाबत निर्णय लिया गया था। वर्तमान परिपेक्ष्य में इस सन्दर्भ में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है।

(3) विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर तहसील क्षेत्र में कुल 98 हैण्ड पम्प वर्तमान में नाकारा हैं। वांछित विवरण मय हैण्ड पम्प स्थान के संलग्न परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

(4) वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ब' में समाहित है। 31वें हैण्ड पम्प विशेष मरम्मत अभियान के अन्तर्गत अब तक उक्त विधान सभा क्षेत्र में कुल 153 हैण्ड पम्प मरम्मत योग्य खराब पाये गये। अभियान के दौरान जिनमें से 70 हैण्ड पम्प ठीक कर चालू कर दिये गये हैं एवं शेष हैण्ड पम्पों को 15 अप्रैल, 2005 तक ठीक किया जाना प्रस्तावित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

डूंगरपुर जिले का डार्क जोन क्षेत्र

296. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : क्या भूजल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला डूंगरपुर को डार्क जोन घोषित किया हुआ है? यदि हां, तो कब से ? डार्क जोन घोषित करने के क्या मानदण्ड हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि डार्क जोन घोषित होने से किसानों को काफी नुकसान हो रहा है? यदि हां, तो सरकार डार्क जोन कब तक समाप्त करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। जिला डूंगरपुर डार्क जोन घोषित नहीं किया हुआ है। डार्क जोन घोषित करने के मापदण्ड जल संसाधन मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्र स्तरीय ग्राउण्ड वाटर एस्टीमेशन कमेटी (1997) द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों पर आधारित है। डार्क जोन कैटेगरी के स्थान पर उपरोक्त कमेटी द्वारा संवदेनशील क्षेत्र (क्रिटीकल) कैटेगरी परिभाषित की गई है। जिसमें सामान्यत: 100 प्रतिशत से कम भू-जल विकास दर तथा प्री-मानसून व पोस्ट मानसून-दोनों काल में भू-जल स्तर में निरन्तर गिरावट को आधार माना जाता है। इसी प्रकार सामान्यत: 70 प्रतिशत से 90 प्रतिशत भू-जल विकास दर तथा प्री-मानसून व पोस्ट-मानसून दोनों में से किसी एक काल में भू-जल स्तर की निरन्तर गिरावट को आधार मानकर अर्द्ध-संवेदनशील क्षेत्र (सेमी क्रिटीकल) परिभाषित किया गया है, जिसे 1997 से पूर्व ग्रे-जोन के लगभग समकक्ष माना जाता था। इस वर्गीकरण के अनुसार भू-जल आंकलन प्रतिवेदन 2001 में डूंगरपुर जिले में, जिले की कुल 5 पंचायत समितियों में से 4 पंचायत समितियां यथा बिछिवाडा, डूंगरपुर, सागवाड़ा तथा सिमलवाड़ा संवदेनशील (क्रिटीकल) क्षेत्र में वर्गीकृत है, जबकि 1 पंचायत समिति आसपुर को अर्द्ध-संवेदनशील (सेमी-क्रिटीकल) वर्ग में घोषित किया गया है। यह वर्गीकरण 1.1.2001 से प्रभावी है। भारत सरकार के मार्ग निर्देशों की सारांश प्रति (परिशिष्ट-1) पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। भू-जल आंकलन के वर्गीकरण के आधार पर राष्ट्रीय कृषि और

(भू-जल मंत्री)

ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा अधिस्वीकृत वित्तीय संस्थानों के माध्यम से किसानों को विभिन्न कृषि कार्यो हेतु वित्त-पोषण अनुमोदित किया जाता है। नाबार्ड के परिपत्र संख्या ICD/PPS/34/90-91 दिनांक 10.10.1990 के अनुसरण में डार्क जोन में ऐसे कृषि कार्यों पर वित्त-पोषण उपलब्ध है जिनमें अतिरिक्त भू-जल दोहन नहीं किया जा रहा हो तथा स्प्रिंकलर/ड्रिप सिंचाई उपकरण, भूमिगत पाइप लाइन, डीजल पम्पसैट से विद्युत पम्पसैट में परिवर्तन, अतिरिक्त डीजल पम्पसैट (विशिष्ट परिस्थितियों में), वर्तमान कुओं पर पर्सियन व्हील स्थापन आदि । केवल अतिरिक्त भू-जल दोहन बढ़ाने वाले कृषि कार्य, यथा नवीन कूप/नलकूप/बोरिंग आदि पर वित्तीय पोषण अनुपलब्ध है। यह प्रावधान भू-जल संसाधनों के अति-दोहन को रोकने के लिये किया गया है तदुपरान्त नाबार्ड पत्र क्रमांक JAI/1054/Tech(MI)/5/2003-04 दिनांक 25.2.2004 के माध्यम से उपर्युक्त प्रावधान संवेदनशील (क्रिटीकल) तथा अतिदोहित (ओवर एक्सप्लोइटेड) क्षेत्रों के लिये पुन: स्पष्ट किया गया है। वर्तमान भू-जल आंकलन प्रतिवेदन 2001 के अनुसार डूंगरपुर जिले की उपयुक्त वर्णित 4 पंचायत समितियों, यथा बिछीवाडा, डूंगरपुर, सागवाडा व सिमलवाड़ा में लगातार बढती भू-जल विकास दर तथा प्री-मानसून व पोस्ट मानसून दोनों काल में भू-जल स्तर में निरन्तर हो रही गिरावट के कारण उन्हें संवदेनशील क्षेत्र वर्गीकरण से हटाना सम्भव नहीं है। नाबार्ड के परिपत्रों की प्रतियां (परिशिष्ट-2) तथा (परिशिष्ट-3) पर संलग्न है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयीं)

भारतीय/राजस्थान पुलिस सेवा के आरोपित पुलिस अधिकारी

297. श्री प्रमोद जैन "भाया" (बारां) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा दागी पुलिस अधिकारियों को चिह्नित कर उनकी सूची तैयार की गई है? यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार उक्त दागी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री प्रमोद जैन "भाया")

(3) वर्ष 2004 में भारतीय पुलिस सेवा एवं राजस्थान पुलिस सेवा के किन किन अधिकारियों के विरुद्ध विधान सभा सदस्य एवं लोक सभा सदस्यों से शिकायतें/ प्रस्ताव प्राप्त हुए एवं उक्त शिकायतों/ प्रस्तावों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभाग द्वारा दागी पुलिस अधिकारियों को चिन्हित कर सूची तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है।

(2) दागी पुलिस अधिकारियों की सूची पुलिस मुख्यालय से प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा की जावेगी।

(3) वर्ष 2004 में राजस्थान पुलिस सेवा के निम्न अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई :-

1. श्री भूपेन्द्र सिंह चूड़ावत, वृत्ताधिकारी छबड़ा जिला बारां के विरूद्ध माननीय विधायक बारां से शिकायत प्राप्त हुई जिसकी जांच पुलिस अधीक्षक बारां से कराई गई। जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है। परिवाद में अंकित बिन्दु संख्या-1 में अंकित आरोपों के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, (शहर) कोटा से रिपोर्ट चाही गई है।

परिवाद के बिन्दु संख्या-2 में जो आरोप उप अधीक्षक पुलिस, छबड़ा के विरुद्ध लगाया गया है, तथ्य प्रमाणित नहीं पाये गये हैं। परिवाद के बिन्दु संख्या-3 के सम्बन्ध में थाना भीमंगज मण्डी कोटा पर अभियुक्त की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने का घेराव कर रही भीड को हटाने के लिये पुलिस द्वारा किये गये बल प्रयोग के सम्बन्ध में श्री भूपेन्द्र सिंह चूड़ावत तत्कालीन थानाधिकारी भीमंगज मण्डी को 16.12.1995 को निलम्बित किया गया। जिन्हें 20.9.1996 को बहाल किया गया। परिवाद में अंकित आरोप संख्या-4 के सम्बन्ध में थाना छीपा बड़ोद के रिकार्ड के अनुसार गजेन्द्र जैन एक अपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है जिसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज होकर चालान न्यायालय में पेश किये गये हैं।

2. मुकदमा नं. 200/03 थाना पदमपुर के सम्बन्ध में श्री त्रिभुवन सिंह, उप अधीक्षक पुलिस वृत्त श्रीगंगानगर के विरुद्ध माननीय विधायक करणपुर से प्राप्त शिकायत की जांच रिपोर्ट महानिरीक्षक पुलिस, रेंज बीकानेर से प्राप्त की जा रही है।

(गृह मंत्री)

भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध माननीय विधान सभा सदस्य एवं लोकसभा सदस्यों से शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

हज यात्रा पर अनुदान

298. श्री जीतराम (मालपुरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य से इस वर्ष हज के लिए जाने वाले हाजियों की संख्या जिलेवार कितनी है?

(2) हज यात्रियों को राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि प्रदान की गई? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2005 में राज्य से जाने वाले हाजियों की कुल संख्या 3848 है जिसकी जिलेवार संख्या निम्न प्रकार है।

1-अजमेर	117	2-अलवर	90
3-बांसवाड़ा	52	4- बारां	60
5- बाड़मेर	55	6– भरतपुर	149
7- बीकानेर	170	8-भीलवाड़ा	91
9- बूंदी	39	10-चित्तौडगढ़	52
11.चूरू	109	12- दौसा	29
13- धौलपुर	9	14- डूंगरपुर	7
15– हनुमानगढ़	31	16-जयपुर	842
17- जैसलमेर	54	18-जालौर	34
19- झालावाड़	53	20-झुन्झुनू	60
21-जोधपुर	450	22-करौली	30
23-कोटा	194	24-नागौर	449
25-पाली	60	26- राजसमन्द	13
27– सवाईमाधोपुर	71	28-सीकर	244
29-सिरोही	11	30-श्रीगंगानगर	34
31- टोंक	97	32– उदयपुर	92
		कुल योग	3848

(2) राज्य सरकार द्वारा हाजियों की यात्रा में कोई धनराशि प्रदान नहीं की गई है।

बीकानेर जिले के थानों में कार्यरत पुलिस बल

299. श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

जिला बीकानेर में कितने थाने हैं एवं थानों में कितना-कितना स्टाफ नियुक्त है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिला बीकानेर में कुल 21 पुलिस थाने हैं। थानों में नियुक्त स्टाफ का विवरण इस प्रकार हैं-

क्र.सं. नाम थाना	पद					
	पु.नि.	उ. नि.	स.उ.नि.	हैड कानि.	कानि.	योग
1. थाना कोतवाली बीकानेर	-	1	1	2	12	16
2. थाना कोटगेट	1	2	5	4	22	34
3. थाना नया शहर	1	2	6	3	14	26
4. महिला थाना	-	1	1	-	9	11
5. थाना सदर	1	2	5	4	17	29
6. थाना जेएनबीसी	-	1	1	2	18	22
7. थाना गंगाशहर	-	2	4	2	16	24
8. थाना नापासर	-	1	-	1	13	15
9. थाना श्रीडूंगरगढ	1	2	2	4	18	27
10. थाना नोखा	1	2	5	3	16	27
11. थाना पाचू	-	1	-	1	10	12
12. थाना गजमेर	-	1	-	1	11	13
13. थाना देशनोक	-	1	-	1	12	14
14. थाना कोलायत	-	1	-	1	13	15
15. थाना लूणकरणसर	-	2	3	2	13	20
16. थाना जामसर	-	1	-	1	10	12
17. थाना महाजन	-	1	1	1	9	12
18. थाना खाजूवाला	-	1	1	1	15	19
19. थाना पूगल	1	1	1	3	13	19
20. थाना बज्जू	1	1	2	2	17	23
21. थाना छतरगढ	-	1	-	1	10	12

भ्रष्टाचार के प्रकरणों में लिप्त राज्य कर्मियों के विरूद्ध कार्यवाही

300. डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा गत एक वर्ष में कितने राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों को रिश्वत के आरोप में पकड़ा गया? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितनों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई एवं कितनों के चालान न्यायालय में पेश किए गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा गत एक वर्ष में (वर्ष 2002) 213 ट्रेप प्रकरणों में से 38 प्रकरणों में 38 राजपत्रित अधिकारी एवं शेष 175 प्रकरणों में 217 अन्य कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। जिलेवार पंजीबद्ध प्रकरणों की सूची परिशिष्ट 'अ' में सलग्न है।

(2) उक्त 213 प्रकरणों में से किसी भी प्रकरण में चालान न्यायालय में पेश नहीं किया गया। न ही विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित की गई है।

परिशिष्ट 'अ'

वर्ष 2004 में जिलेवार पंजीबद्ध ट्रेप प्रकरणों की सूची :-

क्र.सं.	जिले का नाम	पंजीबद्ध प्रकरण
1	2	3
1.	जयपुर	22
2.	उदयपुर	6
3.	अजमेर	7
4.	कोटा	8
5.	सवाई माधोपुर	2
6.	अलवर	10

1	2	3
7.	भरतपुर	20
8.	बीकानेर	14
9.	हनुमानगढ़	13
10.	गंगानगर	15
11.	जोधपुर	7
12.	सीकर	5
13.	झुन्झुनूं	3
14.	टोंक	9
15.	पाली	10
16.	डूंगरपुर	2
17.	बांसवाड़ा	-
18.	राजसमंद	4
19.	भीलवाड़ा	5
20.	दौसा	4
21.	करौली	1
22.	धौलपुर	5
23.	सिरोही	-
24.	बारां	2
25.	झालावाड़	5
26.	चूरू	8
27.	बूंदी	10
28.	बाड़मेर	2
29.	जालौर	-
30.	जैसलमेर	4
31.	चित्तौड़गढ़	5
32.	नागौर	5

विजयनगर थाना (अजमेर) में दर्ज चोरी प्रकरण

301. श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 2 जनवरी, 2005 को श्री वर्धमान श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ विजयनगर (अजमेर) में ताले तोड़ने की रिपोर्ट थाना विजयनगर में दर्ज की गई? यदि हां, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त दर्ज प्रकरण के सम्बन्ध में मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है? यदि हां, तो किन-किन को व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि श्री वर्धमान श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ विजयनगर (अजमेर) से ताले तोड़ने की रिपोर्ट थाना विजयनगर में दर्ज की गई है। इस सम्बन्ध में एक परिवाद प्राप्त हुआ है जिसकी जांच की जा रही है।

(2) उक्त परिवाद पर प्रकरण दर्ज नही होने से गिरफ्तारी नहीं हुई है। परिवाद की जांच के बाद नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

दूरसंचार पुलिस बल सेवा में वर्ष 1970 के पूर्व नियुक्त कर्मियों को चयनित वेतनमान

302. श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान दूरसंचार पुलिस बल में वर्ष 1970 से पूर्व के जो कांस्टेबल सहायक उप निरीक्षक के पद के विरूद्ध भर्ती किये गये थे (उस समय मुख्य आरक्षी का पद ही सृजित नहीं था) को तृतीय श्रेणी रेडियो आपरेटर/टैक्नीशियन की योग्यता प्राप्त करने पर सीधे ही सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया जाता था? यदि हां, तो ऐसे कितने कर्मी हैं जिन्हें उक्त योग्यता प्राप्त करने के बाद भी उक्त पद का लाभ भी नहीं दिया गया एवं 9, 18 व 27 वर्ष के चयनित वेतनमान का लाभ भी नहीं दिया गया?

(श्री अर्जुन लाल मीणा)

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्थान सशस्त्र बल में सहायक उप निरीक्षक का पद नहीं होने पर 18 वर्ष की सेवा अवधि के पश्चात उन्हें उप निरीक्षक पद का लाभ तथा 27 वर्ष की सेवा अवधि के पश्चात निरीक्षक पद का लाभ दिया जाता है? यदि हां, तो फिर राजस्थान दूर संचार पुलिस बल के जो कर्मी वर्ष 1970 से पूर्व की भर्ती के हैं उन्हें 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात भी निरीक्षक के पद का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है?

(3) क्या सरकार अब दूरसंचार बल के जिन कर्मियों ने 27 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली है, उन्हें राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल के नियमों के अनुसार निरीक्षक पद का लाभ देने का विचार रखती है? हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) यह सही है कि राजस्थान दूरसंचार पुलिस बल में वर्ष 1970 से पूर्व के जो कानिस्टेबल सहायक उप निरीक्षक के पद के विरुद्ध पदोन्नत किये गये थे उस समय मुख्य आरक्षी का पद सृजित नहीं होने के कारण उन्हें तृतीय श्रेणी रेडियो आपरेटर/टेक्नीशियन की योग्यता प्राप्त करने पर सीधे ही सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया जाता था, ऐसे कर्मियों की संख्या 120 थी। जिन्हें उक्त योग्यता प्राप्त करने के बाद सहायक उप निरीक्षक के पदोन्नति का लाभ दिया गया था, परन्तु चयनित वेतनमान स्वीकृत करते समय 9 वर्ष पर कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक के वेतनमान का लाभ न देकर मुख्य आरक्षी के वेतनमान का लाभ दिया है क्योंकि वर्ष 1974 में पुलिस दूरसंचार में मुख्य आरक्षी का पद सृजित हो चुका था। 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर सहायक उपनिरीक्षक तथा 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर उप निरीक्षक के पद का चयनित वेतनमान स्वीकृत किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में 13 कर्मियों को चयनित वेतनमान का लाभ 9 वर्ष की सेवा पर कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक, 18 वर्ष पर उपनिरीक्षक व 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर उच्च उप निरीक्षक (सुपरवाईजर) का वेतनमान स्वीकृत किया गया।

(2) यह सही है कि राज्य सशस्त्र बल में सहायक उप निरीक्षक का पद नहीं होने के कारण 18 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने के पश्चात उन्हें उप निरीक्षक पद का

(गृह मंत्री)

लाभ तथा 27 वर्ष की सेवा अवधि पर निरीक्षक पद का लाभ दिया जाता है। पुलिस दूर-संचार में पुलिस बल कर्मियों को जो 1970 से पूर्व की भर्ती के हैं, उन्हें 27 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर उन्हें निरीक्षक पद का लाभ नहीं दिया जाता है, क्योंकि पुलिस दूर-संचार विभाग में उप निरीक्षक एवं निरीक्षक के मध्य उच्च उप निरीक्षक (सुपरवाईजर) का पद भी सृजित है।

(3) पुलिस दूरसंचार बल के जिन कर्मचारियों को 27 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण हो चुकी है उन्हे निरीक्षक पद का लाभ दिया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि पुलिस दूरसंचार बल में उप निरीक्षक के बाद उच्च उप निरीक्षक (सुपरवाईजर) का पद विद्यमान है।

मुण्डावर के वन क्षेत्र में अवैध खनन

303. श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह भी सही है कि अलवर जिले में लगातार वन क्षेत्रों में कटाई हो रही है?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार को इस सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कितनी?

(3) सरकार द्वारा जांच के पश्चात् कितने लोगों को पकड़ा गया तथा उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के ग्राम बासनी के वन क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा क्या यहां पर संचालित क्रेशर में अवैध खनन का माल आने की भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उक्त पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। अलवर जिले के वन क्षेत्रों में अवैध कटान के यदा-कदा प्रकरण सामने आते हैं, जिस पर विभाग में प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(वन मंत्री)

(2) जी हां। इस वर्ष अलवर जिले में अवैध कटान के सम्बन्ध में 19 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(3) प्राप्त शिकायतों पर जांच कार्यवाही जारी है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2004-05 में अलवर जिले में अवैध कटान के 867 प्रकरण दर्ज किया जाकर रूपये 2,81,582/- का एवजाना वसूल किया गया है।

(4) जी नहीं । इस सम्बन्ध में विभाग को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है तथा ग्राम बासनी में कोई वन क्षेत्र नहीं है।

वन क्षेत्र भादवा (जयपुर) में वृक्षों की अवैध कटाई

304. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार को भादवा के वन क्षेत्र में अवैध कटाई की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उक्त शिकायतों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के वन क्षेत्रों में अवैध कटाई को रोकने में असफल अधिकारियों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है?

उत्तर

(1) भादवा के वन क्षेत्र में मार्च, 2004 में अवैध रूप से विलायती बबूल काटे जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत की जांच के उपरान्त राजस्थान वन अधिनियम, 1953 के प्रावधानों के तहत 9 वन अपराध प्रकरण अवैध कटाई/छंगाई के दर्ज किया जाकर वन अपराधियों से रूपये 19500/- एवजाना वसूल किया गया।

(2) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के वन क्षेत्र में अवैध कार्यो को रोकने के लिए अधिकारियों द्वारा अपराधियों के विरुद्ध उक्तानुसार कार्यवाही की गयी है। अत: अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट के शेरों के भोजन हेतु पाड़ों का क्रय

305. श्री कान्तीप्रसाद मीणा (थानागाजी) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में स्थित सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट के शेरों हेतु पाड़े क्रय किये जाते थे? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा पाड़ों का क्रय बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि पाड़ों के क्रय बन्द करने से शेरों की भोजन व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न हो गया है? यदि हां, तो सरकार उक्त टाइगर प्रोजेक्ट के शेरों की भोजन व्यवस्था किस प्रकार करेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पाड़े क्रय किये जाते थे। जी हां, सरकार द्वारा पाड़ों का क्रय बन्द कर दिया गया है, क्योंकि आधुनिक वन्य जीव प्रबन्धन तकनीक के अनुसार शेरों के भोजन की व्यवस्था प्राकृतिक तरीके से ही होनी चाहिये।

(2) ज़ी हां। टाइगर प्रोजेक्ट सरिस्का या अन्य अभयारण्यों/राष्ट्रीय उद्यानों में शेरों (Tigers) के भोजन की व्यवस्था प्राकृतिक तरीके से होती है। ये अभयारण्य में पाये जाने वन्य जीवों जैसे चीतल, साम्भर तथा अन्य शाकाहारी वन्य जीवों का शिकार कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं।

चूरू-साहवा लिफ्ट सिंचाई योजना क्षेत्र में पक्के निर्माण कार्य

306. श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार चूरू, साहवा लिफ्ट सिंचाई योजना क्षेत्र का सर्वे करवाकर चक बन्दी, मुरब्बे बन्दी एवं किले बन्दी करवाकर शीघ्र ही माइनर खाले एवं मोघे पक्के बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। वर्तमान में चुरु साहवा लिफ्ट कमान क्षेत्र में पक्के खाले निर्माण के कोई प्रस्ताव सीएडी संगठन (इंगानप) के पास विचाराधीन नहीं है। चूरू साहवा लिफ्ट

(सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री)

स्कीम के कुल 2.40 लाख हैक्टेयर सी.सी.ए. में से 44959 हैक्टेयर ही सिंचाई हेतु खोला गया है जो केवल 18 प्रतिशत लगभग है। भारत सरकार उन्हीं परियोजनाओं को केन्द्रीय परावर्तित योजना में सम्मिलित करती है, जहां 60 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में सिंचाई सघनता का सृजन किया जा चुका है। अत: पर्याप्त सिंचाई सघनता के सृजन के पश्चात इनके कमान क्षेत्र में पक्के खालों के निर्माण पर विचार किया जावेगा। सीएडी संगठन उन्हीं परियोजना में पक्के खालों का निर्माण करता है जिसे भारत सरकार की केन्द्रीय परावर्तित योजना में सम्मिलित किया गया है।

प्रदेश में कैरोसीन वितरण के मानदण्ड

307. **श्री देवीशंकर भूतडा** (ब्यावर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में प्रत्येक राशनधारी को कितना कैरोसीन दिया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में विभिन्न जिलों को कितना-कितना कैरोसीन दिया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विभिन्न जिलों में कैरोसीन वितरण के अलग-अलग मानदण्ड हैं? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) डबल सिलेण्डर गैस कनेक्शन वाले राशन कार्डधारियों को छोडकर सिंगल गैस कनेक्शन धारकों को 2 लीटर एवं शेष राशन कार्डधारकों को उपलब्धता अनुसार 3 से 5 लीटर प्रति राशन कार्ड प्रतिमाह कैरोसीन तेल उपलब्ध कराया जाता है।

(2) जिलेवार अक्टूबर, 2004 से फरवरी, 2005 तक प्रतिमाह आबंटित कैरोसीन तेल की सूचना परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। डीबीसी होल्डर्स को शून्य एवं सिंगल गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं को 2 लीटर तथा शेष राशन कार्डधारकों को उपलब्धता अनुसार कैरोसीन तेल वितरण करने हेतु राज्य सरकार द्वारा समस्त जिला कलक्टरों/जिला रसद अधिकारियों को निर्देषित किया गया है। प्रति परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

माह अक्टूबर, 2004 से माह फरवरी, 2005 तक प्राप्त केरोसीन के आबंटन का जिलों को किया गया उपआबंटन का मानचित्र:- (मात्रा के.एल. में)

क्र सं.	नाम जिला	अक्टूबर 2004	नवम्बर 2004	दिसम्बर 2004	जनवरी 2005	फरवरी 2005 का मूल आबंटन	फरवरी 2005 में प्राप्त अति-रिक्त आबंटन	माह फरवरी 2005 का कुल आबंटन
1.	अजमेर	1415	1415	1415	1415	1395	55	1450
2.	अलवर	1895	1845	2045	1969	1953	68	2021
3.	बांसवाड़ा	1225	1225	1225	1225	1197	41	1238
4.	बारां	825	745	745	745	805	29	834
5.	बाड़मेर	1605	1640	1505	1555	1617	58	1675
6.	भरतपुर	1180	1230	1330	1280	1332	47	1379
7.	भीलवाड़ा	1665	1665	1665	1665	1761-96=1665 (समर्पित किया)	-61(समर्पित किया) शून्य	1665
8.	बीकानेर	1470	1570	1570	1490	1550	52	1602
9.	बूंदी	615	615	765	715	699	23	722
10.	चित्तौडगढ़	1590	1640	1540	1640	1632	62	1694
11.	चूरू	1225	1325	1275	1275	1257	42	1299
12.	दौसा	1190	1190	1190	1190	1158	45+61=106	1264
13.	धौलपुर	765	765	765	765	825	31	856
14.	डूंगरपुर	855	855	855	855	915	32	947
15.	श्रीगंगानगर	1740	1640	1640	1790	1656	64	1720
16.	हनुमानगढ	1425	1325	1325	1325	1397	56	1453
17.	जयपुर	2965	3065	2915	2965	2877	92	2969
18.	जैसलमेर	400	445	360	460	432	15	447
19.	जालौर	1025	945	1030	945	1005	34	1039
20.	झालावाड़	1145	1245	1145	1045	1177	40	1217
21.	झुन्झुनूं	1145	1195	1195	1045	1105	47	1152
22.	जोधपुर	2010	2100	2060	2110	2022	77	2099
23.	करौली	915	965	965	965	861	34	895
24.	कोटा	1345	1245	1289	1245	1253	49	1302
25.	नागौर	1975	1775	1775	1775	1847	72	1919
26.	पाली	1650	1724	1724	1650	1694	59	1753
27.	राजसमन्द	770	720	720	820	828	32	860
28.	सीकर	1480	1560	1560	1560	1468	53	1521
29.	सिरोही	754	830	780	780	760	29	789
30.	सवाईमाधोपुर	1020	1020	1020	1020	916+96=1012	33	1045
31.	टोंक	1075	1125	1125	1125	1085	41	1126
32.	उदयपुर	2100	1800	1941	2000	1980	77	2057
	योग	42459	42459	42459	42459	42459	1550	44009

परिशिष्ट-2

राजस्थान सरकार

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग

क्र.एफ. 30(35) खा.वि./केरो./99 जयपुर, दिनांक 14.6.2002

समस्त जिला कलक्टर/
जिला रसद अधिकारी,
राजस्थान।

विषय : कैरोसीन तेल के वितरण के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

जैसा कि आपको विदित है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित किये जा रहे केरोसीन पर केन्द्र सरकार द्वारा भारी मात्रा में सब्सिडी दी जाती है। केन्द्र सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार केरोसीन पर प्रति लीटर 4.62 सब्सिडी दी जा रही है। अत: यह अत्यन्त आवश्यक है कि कैरोसीन का वितरण उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सही प्रकार से किया जावे।

विभाग द्वारा प्रतिमाह आपके जिले को जो कैरोसीन आबंटित किया जा रहा है, उसके बारे में यह सुनिश्चित किया जाये कि आबंटित कैरोसीन निर्धारित समय सीमा में होलसेलर द्वारा उठाया जाकर आप द्वारा तैयार वितरण रोस्टर के मुताबिक उचित मूल्य की दुकानों/रिटेलरों को उपलब्ध कराया जावे एवं इनके द्वारा उपभोक्ताओं को कैरोसीन सही प्रकार से वितरित किया जावे।

1. जिले को प्रतिमाह आबंटित कैरोसीन का उठाव निम्न प्रकार करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे :-

   (क) आबंटन का 60 प्रतिशत माह की 10 तारीख तक (ख) आबंटन का 25 प्रतिशत माह की 20 तारीख तक (ग) आबंटन का 15 प्रतिशत माह की 25 तारीख तक उठाव किया जाये।

इस प्रकार प्रत्येक माह की 25 तारीख तक शत-प्रतिशत कैरोसीन का उठाव सुनिश्चित किया जावे।

2. राज्य में कैरोसीन तेल के वितरण को प्रभावी एवं सुव्यवस्थित करने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि केरोसीन तेल रोस्टर प्रणाली के अनुसार उचित मूल्य की दुकानों/रिटेलरों को उपलब्ध कराया जावे इस हेतु एक साथ 3 माह के लिये उचित मूल्य की दुकानों के लिये उप-आबंटन एक साथ रोस्टर से जारी किया जाये। एक त्रैमास हेतु यह उप आबंटन त्रैमास के प्रारम्भ होने से पूर्व अवश्य जारी किया जाकर एक प्रति इस विभाग को भिजवाई जावे। प्रत्येक तिमाही के आबंटन में होलसेलर एवं उचित मूल्य दुकानदार में परिवर्तित किया जाना आवश्यक है ताकि कैरोसीन का दुरुपयोग ना हो तथा कैरोसीन वितरकों की मनमानी तथा अनियमितताओं पर नियंत्रण किया जा सके। यदि जिला कलक्टर यह आवश्यक समझते हैं कि तिमाही से पूर्व ही रोस्टर में परिवर्तन करना आवश्यक है तो वे स्वयं से पूर्व भी तिमाही से पूर्व भी रोस्टर में परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में परिवर्तन की सूचना खाद्य विभाग (मु.) को अविलम्ब भिजवाये।

3. विभाग द्वारा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 5 लीटर से 10 लीटर तक कैरोसीन दिये जाने के निर्देश पूर्व में जारी किये हुये हैं। इन निर्देशों की पालना कैरोसीन की उपलब्ध मात्रा को मद्देनजर रखते हुए सुनिश्चित की जाये।

4. विभाग द्वारा प्रसारित अधिसूचना दि. 6.5.1993 के क्रम में ऐसे राशन कार्ड धारक जो द्रवित पैटोलियम गैस (एल.पी.जी.) के डी.बीं.सी. कनेक्शनधारक हैं, को कैरोसीन उपलब्ध नहीं कराया जाये। इसके लिये यह आवश्यक होगा कि आपके क्षेत्र की गैस एजेंसियों के माध्यम से डी.बी.सी. धारकों के राशन कार्डस पर स्टैम्पिंग करवाया जाये ताकि ऐसे कार्डधारक कैरोसीन न उठा सके।

5. जिन राशनकार्डधारियों के पास द्रवित पैट्रोलियम गैस के सिंगल बैरल कनेक्शन हैं उन्हें प्रति माह पूर्व निर्देशानुसार 2 लीटर तक कैरोसीन ही उपलब्ध कराया जावे।

6. ग्रामीण क्षेत्रों में कैरोसीन की विशेष मांग रहती है, अत: आबंटित कैरोसीन का

अधिकाधिक ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या को केरोसीन की आपूर्ति सुनिश्चित की जावे।

7. जिन क्षेत्रों में उचित मूल्य दुकानों के द्वारा कैरोसीन का उठाव नहीं कराया जा रहा है उन्हें कैरोसीन उठाव के लिये पाबन्द किया जावे।

8. कैरोसीन उपभोक्ता तक पहुंचे इसे पूर्णतया सुनिश्चित कराया जाये विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही नहीं किये जाने पर खुदरा/थोक विक्रेताओं के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाये।

9. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान हेतु कैरोसीन वितरण की एक समयावधि निश्चित की जाये और यह सुनिश्चित किया जाये कि उचित मूल्य की दुकान पर उस निश्चित की गई समयावधि में कैरोसीन उपभोक्ताओं को उपलब्ध होवे। यह समयावधि माह के निश्चित सप्ताहों के लिये होनी चाहिये जिससे उपभोक्ता को निश्चित रूप से जानकारी रहे कि माह के अंकित सप्ताह में उसे उचित मूल्य की दुकान से कैरोसीन की प्राप्ति होगी क्षेत्र विशेष में इस सूचना का प्रचार प्रसार भी किया जाना आवश्यक होगा समयावधि का निर्धारण जिले में कैरोसीन वितरण के रोस्टर को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है। निश्चित समयावधि की सूचना प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान पर स्पष्ट शब्दों में लिखी हुई पूर्व होनी चाहिये कि कैरोसीन का वितरण प्रत्येक माह अमुक अवधि में होगा।

10. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दिये जाने वाले कैरोसीन का वितरण उपभोक्ताओं के लिये ही कराया जाये तथा इसका अन्य उपयोगों के लिये डाइवर्जन नहीं होना सुनिश्चित करें।

शासन सचिव
खाद्य विभाग

सीकर जिले में आरक्षित वर्गो को आवंटित उचित मूल्य की दुकानें

308. **श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़)** : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सीकर में उचित मूल्य की कितनी दुकानें स्वीकृत हैं? इन दुकानों पर कौन-कौनसी सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उचित मूल्य की दुकानें स्वीकृत करने के क्या नियम हैं एवं विभिन्न वर्गो के लिए कितना-कितना आरक्षण दुकान स्वीकृत करने में दिया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सीकर जिले में आरक्षित वर्ग को स्वीकृत उचित मूल्य की दुकानें कौन-कौनसी एवं कहां-कहां पर हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला सीकर में 761 उचित मूल्य दुकानें स्वीकृत हैं। इन दुकानों से गेहूं चीनी एवं कैरोसीन तेल का वितरण किया जाता है। उचित मूल्य दुकानों की पंचायत समितिवार सूची परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) उचित मूल्य की दुकानें स्वीकृत करने सम्बन्धित विभाग द्वारा दिशा निर्देश दिनांक 20.9.2004 को जारी किये गये । आदेश की प्रति परिशिष्ट "2" पर संलग्न है। बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसील क्षेत्र में 50 प्रतिशत दुकान सहरियाओं के लिये आरक्षित है तथा जनजाति उपयोजना क्षेत्र में 50 प्रतिशत दुकानें अनुसूचित-जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित है शेष क्षेत्रों में किसी भी वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है।

(3) सीकर जिले में उचित मूल्य की दुकानों के आबंटन में किसी भी वर्ग का आरक्षण नहीं है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित-जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के व्यक्तियों का आबंटित उचित मूल्य की दुकानें की सूचना परिशिष्ट "1" के कालम "4" में एवं परिशिष्ट "3" पर संलग्न है।

(सूची आदि विस्तृत होने के कारण, पुस्तकालय में रखी गयी)

नागौर जिले में संचालित उचित मूल्य की दुकानें

309. श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्तमान में गरीबी रेखा के नीचे चयनित परिवार एवं अन्य परिवारों के लिए खाद्य सामग्री वितरण की क्या व्यवस्था है?

(2) जिला नागौर में चयनित परिवारों को वर्ष 2004-05 में क्या-क्या खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है?

(3) जिला नागौर में कुल कितनी अधिकृत राशन की दुकानें हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) नागौर जिले में कितने अधिकृत राशन विक्रेता और बनाये जा रहे हैं तथा इनके लिये क्या कार्यवाही ही जा रही है?

(5) जिला नागौर में ऐसे कितने राशन विक्रेता हैं, जिनके विरुद्ध जांच प्रस्तावित है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) वर्तमान में चयनित परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गेहूं, चावल, लेवी चीनी एवं केरोसीन तेल का वितरण किया जाता है।

(3) जिला नागौर में कुल 990 अधिकृत राशन की दुकानें हैं। सूची परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(4) नागौर जिले में 62 अधिकृत राशन विक्रेता और बनाए जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त कर गठित कमेटी द्वारा पात्र व्यक्तियों का चयन करने के पश्चात नियुक्ति दी जावेगी।

(5) जिला नागौर में 52 राशन विक्रेताओं के विरुद्ध जांच लम्बित/ विचाराधीन है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

खेतड़ी के विद्यालयों में पेयजल व्यवस्था

310. श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र खेतडी में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के कितने विद्यालय स्वीकृत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन सभी विद्यालयों में छात्रों के पीने के पानी की व्यवस्था है? यदि नहीं, तो कितने विद्यालयों में?

(3) क्या सरकार सभी विद्यालयों में पीने के पानी की व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खेतडी में 134 राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 79 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, 20 राजकीय माध्यमिक विद्यालय तथा 15 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। सूची (परिशिष्ट 'क') पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। 38 प्राथमिक तथा 14 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल सुविधा का अभाव है।

(3) राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध वित्तीय प्रावधानातर्गत विद्यालयों में पेयजल व्यवस्था करवाई जा सकेगी।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अधीनस्थ न्यायालयों में निजी सहायक पद पर पदोन्नति हेतु दक्षता परीक्षा

311. श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अधीनस्थ न्यायालयों में शीघ्र लिपिक ग्रेड द्वितीय से

(श्री मंगलाराम गोदारा)

निजी सहायक ग्रेड प्रथम पर पदोन्नति हेतु दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है? यदि हां, तो किस-किस विषय की तथा किन नियमों के तहत?

(2) क्या उक्त पद पर पदोन्नति हेतु राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय मंत्रालयिक संस्थापन नियम, 1986 संशोधित नियम, 1999 में दिया गया सिलेबस (पाठ्यक्रम) मान्य है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त नियमों में वर्णित पाठ्यक्रम (सिलेबस) के अनुसार निजी सहायक ग्रेड प्रथम (हिन्दी) के पद पर पदोन्नति हेतु केवल हिन्दी शीघ्र लिपिक गति परीक्षा उत्तीर्ण करना ही आवश्यक है? यदि हां, तो उसके बावजूद भी टंकण गति परीक्षा क्यों व किन नियमों के तहत पुन: ली जाती है?

(4) क्या सरकार निजी सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु बताये गये पाठ्यक्रम के विपरीत टंकण गति परीक्षा लिये जाने हेतु बाध्य कर सकती है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय मंत्रालयिक संस्थापन नियम, 1986 (संशोधित) के नियम 14 (11) के अनुसार आशुलिपिक ग्रेड II से निजी सहायक ग्रेड I पर पदोन्नति हेतु दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है जिसके लिए उक्त नियम के शिड्यूल I के पार्ट II के अनुसार निजी सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु नियुक्ति अधिकारी द्वारा ली गई दक्षता परीक्षा में 120 शब्द प्रति मिनट हिन्दी आशुलिपि की दक्षता प्राप्त करना आवश्यक है।

(2) जी हां। मान्य है।

(3) जी हां। निजी सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु नियमानुसार आशुलिपि गति परीक्षा ही ली जाती है, टंकण गति परीक्षा नहीं ली जाती है।

(4) निजी सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु टंकण गति परीक्षा लिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है, अत: सरकार द्वारा नियमानुसार निजी सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु टंकण गति परीक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।

गंग नहर की वितरिकाओं के निर्माण कार्यों में व्याप्त अनियमितता

312. श्री गुरजंट सिंह बराड़ (संगरिया) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गंग नहर प्रणाली की मुख्य नहर एवं अन्य वितरिकाओं को पक्की किये जाने के कार्य की देखरेख के लिये गुणवत्ता जांच की क्या व्यवस्था है?

(2) क्या यह सही है कि इन नहरों के निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग के सम्बन्ध में सरकार को कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो इन शिकायतों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाये गये?

उत्तर

(1) गंग नहर आधुनिकीकरण के अन्तर्गत गंग नहर प्रणाली की नहरों की लाइनिंग करवायी जा रही है, जिसकी जांच हेतु गुण नियंत्रण खण्ड का मुख्यालय श्रीगंगानगर में स्थित है जिनके द्वारा कार्यों की गुणवत्ता की जांच का कार्य किया जाता है।

(2) यह सही है कि निर्माण कार्य में घटिया सामग्री के उपयोग की शिकायतें होती हैं, जिनके सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख होता है, उसकी आवश्यक जांच हर स्तर पर की जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है तथा घटिया निर्माण को निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप ठीक करवाया जाता है। निर्माण सामग्री जो उपयोग में ली जाती है, उसका परीक्षण पूर्व में किया जाता है।

मारगिया सिंचाई परियोजना डूंगरपुर के प्रभावित काश्तकारों को मुआवजा

313. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) मारगिया सिंचाई परियोजना डूंगरपुर का निर्माण कब किया गया? उक्त परियोजना से कितने खातेदार और कब्जाधारी कृषकों की भूमि डूब में आयी? काश्तकार वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री नन्दलाल मीणा)

(2) प्रभावित काश्तकारों में से किस-किस ने मुआवजा नहीं लिया? सूची सदन की मेज पर रखें। मुआवजा नहीं लेने के क्या कारण रहे?

उत्तर

(1) मारगिया सिंचाई परियोजना डूंगरपुर का निर्माण वर्ष 1984 में किया गया। परियोजना में 43 खातेदार और कब्जाधारी कृषकों की 177 बीघा 3 बिस्वा भूमि डूब में आयी। जिनकी सूची प्रपत्र 'अ' पर संलग्न है।

(2) समस्त प्रभावित काश्तकारों द्वारा मुआवजा लिया गया है। काश्तकारवार भुगतान राशि की सूची प्रपत्र 'अ' पर संलग्न है।

प्रपत्र 'अ'

क्र.सं.	वर्ष	खातेदार का नाम	रकबा		राशि भुगतान
			बीघा	बिस्वा	
1	2	3	4	5	6
1.	1979-80	रूपजी मरता पिता कमजी 1/2 रामजी हाजिया लक्ष्मण पिता धनजी 1/2 मीणा सा. बदडा लक्ष्मण ना बालिक वली माता पावरी पत्नी धनजी	6	9	8862.50
2.	1979-80	ककुआ भाणजी पिता कानजी मीणा निवासी बदड़ा	6	1	9130.00
3.	1979-80	रूपसी सोम पिता कुरिया काना पिता थावरा मीणा निवासी बदडा	2	5	1687.50
4.	1979-80	वजा सुखा ताजू पिता वेता वदा पिता कालिया मीणा निवासी बदडा	2	4	4145.00
5.	1979-80	होमा पिता अलखा मीणा निवासी बदड़ा	1	7	2320.00
6.	1979-80	दौला नानिया काउडा मथूरा पिता हीरा लक्ष्मी सोमा पिता मावजी मीणा निवासी बदड़ा	1	9	2730.00

1	2	3	4	5	6
7.	1979-80	नारिया पिता हामा मीणा निवासी बदडा	0	17	487.50
8.	1979-80	माना हामजी भूरचन्द पिता थाना मीणा निवासी बदडा	0	12	450.00
9.	1979-80	ककुआ भाणजी पिता कानजी 1/3 रूपला मरता पिता कमजी रामजी हाजिया लक्ष्मण पिता धनजी नि. बदडा	0	18	675.00
10.	1979-80	मुमना पिता जोयता मीणा नि. मारगिया महुडा	15	1	9105.00
11.	1979-80	तेजा पिता जीयता मीणा नि. मारमिया महुडा	12	9	10680.00
12.	1979-80	तेजा गोमना पिता जौयता धनजी पिता बदा 1/2 वक्ता मु. तालग 1/2 नि. मारगिया महुडा	16	4	4012.50
13.	1979-80	धनजी पिता बदा मीणा नि. मारगिया महुडा	8	3	7022.00
14.	1979-80	धनजी पिता बदा वक्ता वालेगा मु. मीणा नि. मारगिया महुडा	7	18	5925.00
15.	1979-80	रूपसी पिता धना मीणा नि. मारगिया महुडा	0	14	525.00
16.	1979-80	वक्ता मु. वातेहेग मीणा नि. मारगिया महुडा	9	10	9042.50
17.	1979-80	शंकर नारायण पिता वदा मीणा निवासी मारगिया महुडा	1	10	1100.00
18.	1979-80	हिता गौतम पिता हलिया निवासी नारगिया महुडा	0	16	1600.00
19.	1979-80	सुखदव गौतम धना पिता कालिया मीणा निवासी मारगिया महुडा	15	9	13712.50

1	2	3	4	5	6
20.	1979-80	गौतम जगनाथ रूपसी मीणा नि. मारगिया महुडा	18	12	20297.00
21.	1979-80	सुखदेव धना गौतम पिता कालिया मीणा नि. मारगिया महुडा	8	5	4987.50
22.	1979-80	सुखदेव गौतम धना पिता कालिया नि. मारगिया महुडा	4	19	4300.00
23.	1979-80	धनजी पिता बदा मीणा मारगिया महुडा	0	10	387.50
24.	1979-80	वक्ता मुतबन्ना बातेहेग मीणा नि. मारगिया महुडा	0	11	475.00
25.	1979-80	तेजा पिता जौयता मीणा नि. मारगिया महुडा	0	3	37.50
26.	1979-80	नाना चुन्नीलाल पिता धुलाजी 1/2 बी फुला गट्टु हरिलाल बाबूलाल वो दिता नाबालिक मरबराकार माता कुंजी बेवा धुला मीणा नि. बदडा	1	8	2050.00
27.	1979-80	नानिया पिता वक्ता वो रूपसी पिता पना मीणा निवासी बदडा	3	5	2212.50
28.	1979-80	रूपसी सोमा पिता कुरिया वो काना पिता थावरा मीणा निवासी बदडा	3	5	3375.00
29.	1979-80	मोमा हाजिया पिता हलू वो शान्तिलाल पिता मनजी मीणा निवासी बदडा	3	7	4012.50
30.	1979-80	लालजी सीमा पिता मावजी वो दोला नानिया काउडा नथुरा पिता हिरा मीणा निवासी बदडा	1	0	1825.00
31.	1979-80	कणजी पिता हरजी निवासी शैलज	0	15	562.50

1	2	3	4	5	6
32.	1979-80	अमरा वो मंगला पिता नानजी मीणा निवासी बदडा	0	10	375.00
33.	1979-80	नांना पिता होमा निवासी बदडा	3	19	4037.50
34.	1979-80	माना हामजी मूलचन्द पिता थाना मीणा निवासी बदडा	1	13	1550.00
35.	1979-80	सोमा नाथु पिता लेम्बा मीणा नि. बदडा	10	0	1325.00
36.	1979-80	खमा रामा पिता हकरा मीणा नि. सैलेज नाबालिक की वली दौली बेवा कमजी मीणा	0	12	450.00
37.	1979-80	होमा पिता अलखा मीणा नि. बदडा	2	4	1575.00
38.	1979-80	अमरा मंगला पिता नानजी मीणा निवासी सैलेज	0	2	100.00
39.	1979-80	खेमा पिता हकरा मीणा नाबालिक वली दौली बेवा कमजी मीणा	0	5	400.00
40.	1979-80	नाना पिता धुला मीणा निवासी सेलज	0	8	100.00
41.	1979-80	वक्ता पिता हरजी मीणा निवासी सेलज	0	13	487.50
42.	1979-80	श्रीमती अमरी बेबा गांगा मीणा सेलज	1	1	787.50
		योग :-	177	03	148922.00

बीसलपुर बांध में सिल्ट की रोकथाम हेतु प्रस्तावित एनीकट्स

314. श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बीसलपुर योजना के तहत सिल्ट रोकने हेतु 11 करोड़ रुपये के एनीकट बनवाने का प्रावधान किया गया है? यदि हां, तो ये एनीकट कहां एवं कब बनवाये जा रहे हैं तथा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की जा चुकी है?

(श्री शिवजीराम मीणा)

(2) क्या यह सही है कि एनीकटों के निर्माण से बांध में सिल्ट आना बन्द हो जाने से बांध की आयु बढेगी? यदि हां, तो अब तक एनीकट नहीं बनवाने के क्या कारण रहे?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) चूंकि एनीकटों के निर्माण किये जाने का प्रावधान नहीं है। अत: एनीकटों के निर्माण करना एवं इससे बांध में सिल्ट आना बन्द होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

नागौर जिले में नवीनतम पशु चिकित्सा केन्द्र

315. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डैगाना) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला नागौर में वर्तमान में कुल कितने पशु औषधालय/पशु उप केन्द्र कार्यरत हैं? सूची तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

(2) वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान उक्त जिले में कितने नये पशु औषधालय और पशु उप केन्द्र खोले गये? विवरण स्थानवार सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पशुधन की संख्या को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान में कार्यरत पशु औषधालयों और पशु उप केन्द्रों की संख्या अपर्याप्त है? यदि हां, तो क्या सरकार जिला नागौर में नये पशु औषधालय और पशु उप केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब और कितने व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला नागौर में 71 पशु चिकित्सालय, 12 पशु औषधालय एवं 67 पशु चिकित्सा उपकेन्द्र स्वीकृत हैं, जिनकी तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(पशुपालन मंत्री)

(2) वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान नागौर जिले में कोई नए पशु औषधालय और पशु चिकित्सा उपकेन्द्र नहीं खोले गये हैं।

(3) जी नहीं। सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण वर्ष 2004-05 में नई संस्थाएं नहीं खोली जा रही हैं।

जिला नागौर के पशु चिकित्सालयों की सूची

तहसील	पशु चिकित्सालयों
नागौर	नागौर, शंखवास, कडलू, अलाय, श्रीबालाजी मुण्डवा, खजवाना, कुचेरा, बासनी
खींवसर	खींवसर, बिरलोका, पांचोडी, गुढ़ा भगवानदास
मेड़ता	मेड़तासिटी, मेडतारोड, गोटन, रेण, गगराना जसनगर, रियाबडी, पादूकलां
डेगाना	डेगाना, पून्दलोता, सांजू, खुडीकला, हरसोर, भैरून्दा, पालडीकला, थावला, आलनियावास, ईडवा
जायल	जायल, कठौती, बडीखाटू, डेह
परबतसर	परबतसर, भादवा, पीलवा, भकरी, जावला, पीह
मकराना	मकराना, गच्छीपुरा, मनाना, बोरावड, भीचावा
डीडवाना	डीडवाना, मोलासर, निमोद, लादडिया खुनखुना, छोटीखाटू, मण्डूकरा
नावां	कुचामनसिटी, नावां, लिचाणा, मिठडी (नावां), मारोठ, मिण्डा, पाचंवा, नालोठ, लोहराना कुकनवाली, जिलिया
लाडनूं	लाडनूं, निम्बीजोधा, रताऊ, रोडू, सिलनवाद मिठडी (लाडनूं) भरनावा

जिला नागौर के पशु औषधालय/उपकेन्द्रों की तहसीलवार सूची

तहसील	पशु औषधालय	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र
नागौर	माणकपुर, गंटीलासर	चेनार, चूंटीसरा, गोगेलाव, वाराणी जोधियासी, भदाणा, इनाणा, फिडोद, खिणोद, वरणगांव, रायधेनू, रोल
खींवसर	कुडछी, करनू	चावण्डिया, माडपुरा, बैराथलकला, भेडा
मेड़ता	छापडी, बग्गड	जारोड, नोखचन्दावता, बासणीसेजा, लिलियां, बड़ायली
डेगाना	जालसुनानक	भादवासी, दुगौर, जाखेडा, चंपाखेडी, बिखरनियांकला
जायल	झाड़ोली	उचाईड़ा, रोटू, गौराऊ, कालवी
परबतसर	—	ढाढोता, गूलर, कुराडा, बाजवास राबड़ियाद, बिठवालिया, नेतियास, हरनावा पट्टी
मकराना	इन्दौका	कालवा, राणौगांव, रामसिया, बूडस, आसरवा, बेसरोली
डीडवाना	तोथीना	दौलतपुरा, बालिया, आकोदा, कोलिया, केरापं, बाठड़ी, डाबड़ा, धनकोली, ललासरी, क्यामसर
नावां	देवलीकलां, घाटवा	ठिकरिया खुर्द, श्यामगढ़, सबलपुरा परेवड़ी, शिव, चितावा, अडकसर लालास, महाराजपुरा, भांवता
लाडनूं	—	रायधन्ना, इन्द्रपुरा, हूड़ास

लूणकरणसर के पशु चिकित्सालय

316. श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में वर्तमान में कहां-कहां पशु चिकित्सालय स्थापित हैं तथा उनमें प्रत्येक में कितने व किस वर्ग के पद सृजित हैं? इनमें से कौन-कौनसे पद रिक्त हैं? सरकार इन्हें कब तक भरने का विचार रखती है?

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में नये पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में 14 पशु चिकित्सालय संचालित हैं, जिनमें संवर्गवार सृजित एवं रिक्त पदों की सूची संलग्न है। जब-जब भी पदों की भर्ती की स्वीकृतियां प्राप्त होती हैं, रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जाती है।

(2) जी नहीं । सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण वर्तमान में नये पशु चिकित्सालय खोलना सम्भव नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र लूणकरसर में संचालित पशु चिकित्सालयों में स्वीकृत/रिक्त पदों की सूची

क्र.सं.	संस्था का नाम	वरिष्ठ पशु चिकि. अधि.		पशु चिकित्सा अधिकारी		पशु चिकित्सा सहायक		पशुधन सहायक		स्कन्ध सहायक		सईस		जलधारी		गडरिया		सफाइकर्ता	
		स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रि.	स्वी.	रि.	स्वी.	रि.	स्वी.	रि.	स्वी.	रि
1	पशु चिकित्सालय, लूणकरणसर	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	-	-	1	-	1	1
2	पशु चिकित्सालय, महाजन	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	1
3	पशु चिकित्सालय, कालू	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
4	पशु चिकित्सालय, जैतपुर	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-
5	पशु चिकित्सालय, केला	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
6	पशु चिकित्सालय, गारबदेसर	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1
7	पशु चिकित्सालय, रामनगर	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	-
8	पशु चिकित्सालय, खारबारा	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1
9	पशु चिकित्सालय, शुभलाई	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
10	पशु चिकित्सालय, उत्तरगढ़	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-
11	पशु चिकित्सालय, पूगल	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	1
12	पशु चिकित्सालय, दंतोर	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-
13	पशु चिकित्सालय, खाजूवाला	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
14	पशु चिकित्सालय, जामसर	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

सिरोही जिले के पशु चिकित्सा केन्द्रों में रिक्त पद

317. **श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) :** क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सिरोही के किन-किन गांवों में पशु चिकित्सा केन्द्र/उप चिकित्सा केन्द्र हैं? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें?

(2) उपरोक्त पशु चिकित्सा केन्दों/उप चिकित्सा केन्दों में कहां-कहां पर किस -किस संवर्ग के कौन-कौन से पद रिक्त हैं। सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उपरोक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सिरोही जिले में 28 पशु चिकित्सालय एवं 41 पशु चिकित्सा उपकेन्द्र संचालित है, जिनकी ग्राम वार सूची 'क' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सिरोही जिले में संचालित पशु चिकित्सालय एवं उपकेन्द्रों में संवर्गवार रिक्त पदों को सूची 'क' में दर्शाया गया है।

(3) जब– जब भी पदों की भर्ती की स्वीकृतियां प्राप्त होती हैं, पदों को भरने की कार्यवाही की जाती है।

परिशिष्ट 'क'

सिरोही जिले में संचालित पशु चिकित्सालय/उपकेन्द्र में रिक्त पदों का विवरण

क्र.सं.	पशु चिकित्सा संस्था	वरिष्ठ पशु चिकि. अधि.	पशु चिकित्सा अधिकारी	पशु चिकित्सा सहायक	पशु धन सहायक	स्कन्ध बन्धक	पट्टी बन्धक	सईस	जलधारी	सफाइकर्ता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	पशु चिकित्सालय आबू पर्वत	रिक्त	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	पशु चिकित्सालय शिवगंज	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	पशु चिकित्सालय रेवदर	रिक्त	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	पशु चिकित्सालय सिरोही	रिक्त	-	-	-	-	रिक्त	-	-	-
5.	पशु चिकित्सालय पालडी-एम	-	-	-	-	-	-	-	रिक्त	-
6.	पशु चिकित्सालय कैलाश नगर	-	-	रिक्त	-	-	-	रिक्त	-	रिक्त
7.	पशु चिकित्सालय जावाल	-	-	-	रिक्त	-	-	-	-	-
8.	पशु चिकित्सालय बराडा	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	पशु चिकित्सालय कालन्द्री	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	पशु चिकित्सालय वलदरा	-	रिक्त	रिक्त	-	-	-	रिक्त	-	-
11.	पशु चिकित्सालय सिलदर	-	-	रिक्त	-	-	-	रिक्त	-	रिक्त
12.	पशु चिकित्सालय दांतराई	-	-	-	-	-	-	रिक्त	-	रिक्त
13.	पशु चिकित्सालय निम्बाज	-	रिक्त	रिक्त	-	-	-	रिक्त	-	रिक्त

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	पशु चिकित्सालय मण्डार	-	रिक्त	रिक्त	-	-	-	-	-	-
15.	पशु चिकित्सालय भटाणा	-	-	-	-	-	-	-	रिक्त	रिक्त
16.	पशु चिकित्सालय अनादरा	-	-	रिक्त	-	-	-	रिक्त	-	-
17.	पशु चिकित्सालय सिरोड़ी	-	-	रिक्त	रिक्त	-	-	-	-	-
18.	पशु चिकित्सालय कृष्णगंज	-	-	रिक्त	-	-	-	-	-	-
19.	पशु चिकित्सालय वैलांगरी	-	रिक्त	रिक्त	-	-	-	-	-	-
20.	पशु चिकित्सालय पिण्डवाड़ा	-	-	-	-	रिक्त	-	-	-	-
21.	पशु चिकित्सालय आमली	-	रिक्त	-	रिक्त	-	-	-	-	-
22.	पशु चिकित्सालय नादिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	पशु चिकित्सालय स्वरूपगंज	-	-	-	रिक्त	-	-	-	रिक्त	-
24.	पशु चिकित्सालय नितोडा	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	पशु चिकित्सालय आबूरोड़	-	-	-	रिक्त	-	-	-	-	-
26.	पशु चिकित्सालय ओर	-	रिक्त	-	-	-	-	-	-	-
27.	पशु चिकित्सालय उपलागढ़	-	रिक्त	-	-	-	-	-	-	-
28.	पशु चिकित्सालय जाम्बूडी	-	रिक्त	-	-	-	-	रिक्त	-	-

क्र. सं.	संस्था का नाम	पशु धन सहायक	सईस
1	2	3	4
1.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र रोवाड़	-	-
2.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र केसरपुरा	-	-
3.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र वोसलिया	-	-
4.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र दीवागांव	-	-
5.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र मनादरा	-	-
6.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र भूतगांव	-	-
7.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र एवडी	-	-
8.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र बरलूट	-	-
9.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र सरतरा	-	-
10.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र मोहब्बत नगर	-	-
11.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र मेरमाण्डवाड़ा	-	-
12.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र आमलारी	रिक्त	-
13.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र वग	-	-
14.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र रायपुर	-	-
15.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र सोरड़ा	-	-
16.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र बांट	-	-
17.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र बडेची	-	-
18.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र जावल	-	-
19.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र पीरावल	-	-
20.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र ड़ाबल	-	-
21.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र पामेरा	-	-

1	2	3	4
22.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र मीरपुर	-	-
23.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र वाल्दा (वैलांगरी)	-	-
24.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र झाड़ोली	-	-
25.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र लोटाना	-	-
26.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र आदर्श डूंगरी	रिक्त	-
27.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र धनारी	-	-
28.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र वासा	-	-
29.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र भूला	रिक्त	-
30.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र मांडवाड़ा बालता	-	-
31.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र केर	-	-
32.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र काछोली	-	-
33.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र भारजा	-	-
34.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र आमथला	-	-
35.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र सातपुर	-	-
36.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र भावल	-	-
37.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र मूंगथला	-	-
38.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र चन्देला	-	सईस
39.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र गिरवर	-	-
40.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र डेरना	रिक्त	-
41.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र कारोली	-	-

झुन्झुनूं जिले में पशु चिकित्सकों के रिक्त पद

318. श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला झुन्झुनूं में पशु चिकित्सकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला झुन्झुनूं के राजकीय पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सकों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कितने कहां-कहां एवं कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) झुन्झुनूं जिले में 59 पशु चिकित्सा अधिकारियों के पद स्वीकृत हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। राजकीय पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सकों के 11 पद रिक्त हैं, जो निम्नानुसार हैं :-

क्र.सं.	संस्था का नाम	कब से रिक्त
1.	पशु चिकित्सालय, बुडाना	10/2004 से
2.	पशु चिकित्सालय, भारू	3/2003 से
3.	पशु चिकित्सालय, दिलोई दक्षिण	1/2003 से
4.	पशु चिकित्सालय, बडवासी	7/2004 से
5.	पशु चिकित्सालय, खिरोड	1/2003 से
6.	पशु चिकित्सालय, शिमला	3/2003 से
7.	पशु चिकित्सालय, बबाई	7/2004 से
8.	पशु चिकित्सालय, कुहाडवास	7/2004 से
9.	पशु चिकित्सालय, बख्तावरपुरा	9/2004 से
10.	पशु चिकित्सालय, सूरजगढ़	7/2004 से
11.	पशु चिकित्सालय, झेरली	1/2004 से

(पशुपालन मंत्री)

(3) जब-जब भी पदों की भर्ती की स्वीकृतियां प्राप्त होती हैं, रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही की जाती है।

झुन्झुनूं जिले में पशु चिकित्सा अधिकारियों के पद

क्र. सं.	संस्था का नाम	पद
1	2	3
प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय (8)		
1.	उदयपुरवाटी	1
2.	झुन्झुनूं	1
3.	खेतड़ी	1
4.	बीसाऊ	1
5.	मलसीसर	1
6.	नवलगढ़	1
7.	चिड़ावा	1
8.	पिलानी	1
पशु चिकित्सालय (48)		
1	बड़ागांव	1
2	पोंख	1
3.	केड	1
4.	छावरी	1
5.	बागोली	1
6.	पचलंगी	1
7.	चिराणा	1
8.	गुढागोड़जी	1
9.	मण्ड्रावरा	1
10.	बगड़	1
11.	बुड़ाना	1
12.	महरपुर	1

1	2	3
13.	पातुसरी	1
14.	भारू	1
15.	राजासर	1
16.	बुहाना	1
17.	सूरजगढ़	1
18.	मण्डेला	1
19.	बबाई	1
20.	मण्डावा	1
21.	काजड़ा	1
22.	सिमला	1
23.	बडाऊ	1
24.	खिरोड़	1
25.	हीरवा	1
26.	बख्तावरपुरा	1
27.	सुलताना	1
28.	मुकन्दगढ़	1
29.	खानवा	1
30.	अलसीसर	1
31.	भड़ूना	1
32.	घमोरा	1
33.	गोरीर	1
34.	ढिगाल	1
35.	आबूसर	1
36.	दिलोई दक्षिण	1
37.	महनसर	1
38.	लीखवा	1
39.	टीबा बसई	1
40.	कुहाडवास	1
41.	झेरली बाबाजी का जोड़ा	1

1	2	3
42.	कुपावास	1
43.	त्योदा	1
44.	मेहाड़ा जाटूवास	1
45.	मेहरावासी	1
46.	बडवासी	1
47.	कलारखरी	1
48.	हमीनपुर	1
कार्यालय में (3)		
1.	उप निदेशक कार्यालय	1
2.	सहायक निदेशक कार्यालय	
3.	जिला रोग निदान केन्द्र	1
योग :		59 पद

उदयपुर जिले की औद्योगिक इकाइयों से प्रदूषण की जांच

319. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के कारण प्रदूषण का खतरा बढ़ता जा रहा है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? औद्योगिक इकाइयों की सूची सहित इकाईवार प्रदूषण नियंत्रण हेतु की जा रही कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त औद्योगिक इकाइयों की जांच निर्धारित अवधि में विभाग द्वारा की जाती है? यदि हां, तो विगत 2 वर्षों में की गई जांच की दिनांक तथा नतीजों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या औद्योगिक प्रदूषण को रोकने के लिये राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदूषक तत्वों के उत्सर्जन के लिये मानक निर्धारित किये हुए हैं? यदि हां, तो निर्धारित मानकों का औद्योगिक इकाईवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामनारायण मीणा)

(4) क्या सरकार औद्योगिक प्रदूषण को रोकने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार से तथा कब तक?

उत्तर

(1) उदयपुर जिले में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के कारण प्रदूषण का खतरा बढ़ने सम्बन्धी कोई प्रमाणिक अध्ययन की जानकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को प्राप्त नहीं हुई है।

औद्योगिक प्रदूषण को रोकने एवं नियन्त्रित करने हेतु जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा लागू किया जाता है।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा उदयपुर जिले में लाल श्रेणी की जल एवं वायु प्रदूषणकारी 37 औद्योगिक इकाइयों को चिह्नित किया गया है जिनकी सूची (परिशिष्ट 'अ') पर संलग्न है।

(2) जी हां । उक्त चिह्नित लाल क्षेणी की 37 औद्योगिक इकाइयों की जांच नियमानुसार राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा निर्धारित जांच अवधि में की जाती है। उक्त 37 औद्योगिक इकाइयों की विगत दो वर्षों में की गई जांच की तारीख एवं नतीजे परिशिष्ट 'अ' पर दर्शाये गये है।

(3) जी हां । राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा औद्योगिक इकाइयों के प्रदूषक तत्वों के उत्सर्जन अथवा विसर्जन के लिये वही मानक अपनाये हुए हैं जो कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत निर्धारित किये हुए हैं। चिन्हित 37 औद्योगिक इकाइयों का इकाईवार निर्धारित मानकों का विवरण संलग्नक 'अ' में दर्शाया गया है।

(4) जी हां। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा औद्योगिक प्रदूषण को रोकने हेतु जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974, वायु (प्रदूषण

(पर्यावरण मंत्री)

निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अन्तर्गत उद्योगों को उनकी स्थापना एवं संचालन की सम्मति दिये जाने के समय उन पर प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक शर्तें अधिरोपित की जाती हैं एवं उन्हें प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्थापित करने और उनके द्वारा उत्सर्जित प्रदूषक तत्वों को निर्धारित मानकों तक लाने के लिये बाध्य किया जाता है। औद्योगिक इकाइयों द्वारा उक्त अधिनियमों की पालना नहीं किये जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

रतनगढ़ के महाविद्यालयों में नवीन विषय

320. श्री राजकुमार रिणवा (रतनगढ़) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के महाविद्यालयों में किस-किस विषय की पढ़ाई करवाई जा रही है? विषयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में श्रीमती केसर देवी लोहिया कन्या महाविद्यालय में वाणिज्य एवं विज्ञान तथा जालान राजकीय महाविद्यालय में विज्ञान एवं कला संकाय कार्यरत नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त महाविद्यालयों में उक्त संकाय चालू करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) श्री एम. एल. जालान राजकीय महाविद्यालय, रतनगढ़ में कला संकाय में अर्थशास्त्र, अंग्रेजी साहित्य, हिन्दी साहित्य, इतिहास, राजनीति विज्ञान, संस्कृत, समाजशास्त्र एवं वाणिज्य संकाय में व्यावसायिक प्रशासन, ई.ए.एफ.एम., ए.बी.एस.टी. विषय संचालित हैं।

श्रीमती केसर देवी लोहिया राजकीय महिला महाविद्यालय, रतनगढ़ में कला संकाय में हिन्दी साहित्य, गृह विज्ञान, संस्कृत, राजनीति विज्ञान, संचालित हैं।

(उच्च शिक्षा मंत्री)

(2) जी हां। विभाग की वार्षिक योजना 2005-06 में वित्तीय बजट प्रावधान नहीं होने के कारण राजकीय क्षेत्र में उक्त अतिरिक्त संकाय प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

स्ववित्तपोषी योजना के अन्तर्गत महाविद्यालय विकास समिति के माध्यम से यदि उक्त प्रस्ताव प्राप्त होते हैं तो सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा।

बनीपार्क में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

321. प्रो. बीरूसिंह राठौड (बनीपार्क) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क में जनसंख्या एवं छात्रों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं । वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण खोला जाना सम्भव नहीं है।

प्रदेश में संचालित खादी संस्थाओं में व्याप्त अनियमितताएं

322. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा खादी संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनाओं हेतु अनुदान व सहायता उपलब्ध कराई जाती है? यदि हां, तो लाभान्वित संस्थाओं की सूची मय अनुदानित राशि के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश में संचालित (अनुदानित) खादी संस्थाओं में वित्तीय अनियमितताओं तथा गबन व भ्रष्टाचार की शिकायतें विचाराधीन हैं? यदि हां, तो किन-किन संस्थाओं के विरुद्ध कब से? सरकार इनका कब तक निस्तारण कर देगी?

(3) क्या प्रदेश में कार्यरत अनुदानित खादी संस्थाओं पर सरकार का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से नियंत्रण होता है? यदि हां, तो संरचना सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, संस्थाओं के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा खादी की बिक्री को प्रोत्साहित करने हेतु रिबेट की सुविधा दी जा रही है। वर्ष 2003-04 में खादी संस्थाओं को उपलब्ध कराई गई रिबेट राशि की सूची (परिशिष्ट-1) पर संलग्न है।

(2) बोर्ड को खादी संस्थाओं की गबन व भ्रष्टाचार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। बोर्ड को वित्तीय अनियमितताओं की निम्न तीन संस्थाओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं :-

1. जन सेवा मण्डल पहुंना चित्तौड़गढः- संस्था के अध्यक्ष के द्वारा विधान नियमावली में अंकित उद्देश्यों के अनुसार कार्य करने में अनियमितता प्रथम दृष्टया पाई गई। संस्था के विरुद्ध जांच रिपोर्ट के आधार पर संस्था के मंत्री/अध्यक्ष से जवाब मांगा जा रहा है।

2. बांसवाड़ा जिला सेवा संघ परतापुर, बांसवाड़ा:- अनियमितताओं की शिकायत के क्रम में संस्था की जांच रिपोर्ट के आधार पर संस्था के मंत्री/अध्यक्ष से जवाब मांगा है।

3. ग्राम सेवा मण्डल आइदान का वास, जयपुर:- संस्था के अध्यक्ष/मंत्री को जांच रिपोर्ट के निष्कर्ष के अनुसार आयोग वित्त राशि का दुरुपयोग अवधि का ब्याज आयोग वित्त ऋण खाते में जमा कराने हेतु निर्देशित किया है।

उक्त तीनों संस्थाओं पर वित्तीय अनियमितताओं पर कार्यवाही बोर्ड स्तर पर विचाराधीन है, जिसका निस्तारण शीघ्र ही कर दिया जायेगा।

(3) जी नहीं। खादी संस्थाएं राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत होती हैं। प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष नियंत्रण उक्त अधिनियम में संस्थाओं के विरुद्ध कार्यवाही के लिए राज्य सरकार को अधिकार नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

नागौर जिले की खादी एवं ग्रामाद्योग संस्थाओं को ऋण स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी का पदस्थापन

323. श्री हरीश चन्द (नावां) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वैयक्तिक (कारीगर उद्यमी) संस्थाएं, सहकारी समितियां एवं चारा तथा स्वयं सहायता समूह उद्यमियों को ऋण एवं अनुदान स्वीकृति हेतु क्या मानदण्ड हैं?

(2) सरकार द्वारा किस-किस उद्योग हेतु कितनी-कितनी राशि ऋण एवं अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाती है?

(3) खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा उपलब्ध ऋण की ब्याज दर क्या है तथा इसकी वसूली किस आधार पर की जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) ब्लाक व जिला स्तर पर कौन-कौन से अधिकारी ऋण व अनुदान उपलब्ध कराने हेतु सक्षम हैं? क्या जिला नागौर तथा पंचायत समिति, कुचामन सिटी में ऐसे कोई अधिकारी कार्यरत हैं? यदि हां, तो कौन-कौन व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संचालित ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) के अन्तर्गत व्यक्ति कारीगर/उद्यमी को ऋण दिये जाने के लिए प्रस्तावित इकाई 20000 तक के आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्र में लगायी जा सकती है तथा निर्धारित स्वयं की सहभागिता राशि जमा कराने में व्यक्ति अथवा उद्यमी को ऋण अनुदान दिया जा सकता है।

1. उन्हीं संस्थाओं/सहकारी समितियों को ऋण/अनुदान देय है, जो राजस्थान सोयायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1958 की धारा 20 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थाएं हैं या राजस्थान सहकारी समिति पंजीयन अधिनियम 1965 के तहत पंजीकृत हो।

2. प्रस्तावित संस्था/सहकारी समिति 20,000 तक की आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित हो तथा निर्धारित स्वयं की सहभागिता राशि जमा कराने पर ऋण/अनुदान दिया जा सकता है।

(खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री)

3. स्वयं सहायता समूह जो 20,000 तक की आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित हो तथा स्वयं की सहभागिता राशि जमा कराने पर ऋण/अनुदान स्वीकृत किया जा सकता है।

(2) राज्य सरकार द्वारा आयोजना मद के अन्तर्गत खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ग्रामीण युवा स्वरोजगार योजना एवं विधवा परित्यक्ता महिला योजना अन्तर्गत राशि उपलब्ध करायी जा रही है। उक्त योजनाओं में 20,000 तक की ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्र में खादी ग्रामोद्योग आयोग की अनुसूची में सम्मिलित किसी भी उद्योग को 2.00 लाख रूपये तक की परियोजना लागत में 20 प्रतिशत ब्याज मुक्त ऋण सहायता के रूप में देय है।

(3) खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की आयोजना मद योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये ऋण की साढे चार प्रतिशत ब्याज दर वसूल की जाती है। प्रदत्त ऋण की वसूली छह वर्षो में पूर्ण रूप से की जाती है। जो छह माही किश्त के रूप में इकाई से अग्रिम चैक प्राप्त किये जाते हैं।

खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संचालित ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत उद्यमी से बैंक द्वारा बैंक की प्रचलित ब्याज दर पर ऋण वसूल किया जाता है, जो तिमाही/ छह माही किश्त के रूप में सम्बन्धित बैंक द्वारा वसूल की जाती है।

(4) ब्लाक व जिला स्तर पर क्रमश: ग्रामोद्योग प्रसार अधिकारी व जिलाधिकारी ऋण अनुदान उपलब्ध कराने की कार्यवाही करते हैं। जिला स्तर पर सहायक निदेशक (खादी) ऋण/अनुदान उपलब्ध कराने की कार्यवाही करते हैं। जिला नागौर में बोर्ड के सहायक निदेशक श्री के.एम. काला 18.6.2004 से कार्यरत हैं तथा पंचायत समिति कुचामन सिटी में बोर्ड के ग्रामोद्योग प्रसार अधिकारी का पद स्वीकृत है तथा वर्तमान में रिक्त है चूंकि राज्य में 237 पंचायत समितियों के विपरीत 209 पद ग्रामोद्योग प्रसार अधिकारियों के स्वीकृत हैं।

जोधपुर सम्भाग के संस्कृत विद्यालयों में रिक्त पद

324. श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर) एवं श्री जोशेश्वर गर्ग : क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री शकरसिंह राजपुरोहित)

(1) जोधपुर सम्भाग में संस्कृत शिक्षा के अन्तर्गत कुल कितने विद्यालयों का संचालन हो रहा है?

(2) उक्त विद्यालयों में कुल कितने छात्र व छात्रायें अध्ययनरत हैं?

(3) उक्त विद्यालयों में शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं के कुल कितने पद स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितने पद रिक्त हैं? जिलेवार एवं विद्यालयवार सूचना सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त रिक्त पदों को सरकार द्वारा कब तक भर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जोधपुर सम्भाग में संस्कृत शिक्षा के अन्तर्गत 105 प्राथमिक, 66 उच्च प्राथमिक, 7 प्रवेशिका (माध्यमिक) एवं 8 वरिष्ठ उपाध्याय (उच्च माध्यमिक), कुल 186 संस्कृत विद्यालयों का संचालन हो रहा है।

(2) उक्त विद्यालयों में कुल 11,874 छात्र व 9,666 छात्राएं अध्ययनरत हैं।

(3) उक्त विद्यालयों में शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं के कुल-वरिष्ठ अध्यापक I ग्रेड-26, व.अ. II ग्रेड-126, तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 529 पद स्वीकृत हैं तथा उनमें से व.अ. I ग्रेड-17, व.अ. II ग्रेड-54, तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 231 पद रिक्त हैं। जिलेवार एवं विद्यालयवार सूचना परिशिष्ट 'क' सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा जिले के संस्कृत विद्यालयों में रिक्त पद

325. श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी) : क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला कोटा के संस्कृत विद्यालयों में अध्यापकों के कितने पद रिक्त हैं? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार उक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जिला कोटा के संस्कृत विद्यालयों में पदों का विवरण परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) वरिष्ठ अध्यापक I-ग्रेड के रिक्त पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन जारी कर दिए गये हैं, चयन प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद चयनित अभ्यर्थियों से रिक्त पदों की पूर्ति कर दी जावेगी। साथ ही वरिष्ठ अध्यापक I-ग्रेड के पदों हेतु वरिष्ठ अध्यापक II-ग्रेड के शिक्षकों की डी.पी.सी. के प्रस्ताव भी तैयार कर लिए गये हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग से बैठक की तिथि प्राप्त होते ही व.अ. I-ग्रेड के रिक्त पदों की डी.पी.सी. कर पूर्ति कर दी जावेगी।

परिशिष्ट "अ"

कोटा जिले में संस्कृत विद्यालयों में रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण

क्र. सं.	संस्था का नाम	प्राचार्य रिक्त पद	व.अ. I-ग्रेड रिक्त पद	व.अ. II-ग्रेड रिक्त पद	व.श्रे.श रिक्त पद
1.	रा. प्रा. सं. वि. मोतीपुरा	-	-	-	1
2.	रा. प्रा. सं. वि. कृष्णि गौशाला प्रतापपुरा, चेचट	-	-	-	1
3.	रा. प्रा. सं. वि. पालकिया कुंदनपुरा	-	-	-	1
4.	रा. प्रा. सं. वि. खेड़त्री खोदान	-	-	-	1
5.	रा. प्रा. सं. वि. मारवाड़ चौकी	-	-	-	1
6.	रा. प्रा. सं. वि. प्रतापपुरा	-	-	1	1
7.	रा. प्रा. सं. वि. रामगंजमण्डी खैराबाद	-	-	-	1
8.	रा. प्रा. सं. वि. आरकेपुरम, कोटा	-	-	-	2
9.	रा. प्रवे. सं. वि. मोतीकुंआ	-	-	1	1
10.	रा. व. उपा. सं. वि. चेचट	1	4	-	-
11.	रा. उपा. सं. वि. डूंगरजा	1	1	1	-
	योग —	2	5	3	10

कृषि उपज मण्डी कोटा द्वारा स्वीकृत निर्माण कार्य

326 श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री भरत सिंह)

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी समिति कोटा द्वारा सुल्तानपुर क्षेत्र में वर्ष 2004-05 में कोई कार्य प्रस्तावित किये गये थे? यदि हां, तो प्रस्तावित कार्यो में से कुल कितने कार्य स्वीकृत किये गये तथा कितने कार्य आरम्भ करके पूर्ण करवाये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कृषि विपणन बोर्ड खण्ड कोटा द्वारा कुछ गांवों में खरंजा निर्माण तथा सीमेन्ट सड़क बनाने के प्रस्ताव लिये गये थे लेकिन उन पर अमल नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों? प्रस्तावित कार्य एवं करवाये गये कार्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि अधिशासी अभियन्ता कृषि विपणन बोर्ड, कोटा द्वारा मिसिंग लिंक 2 के तहत कुछ कार्य प्रस्तावित किये गये थे? यदि हां, तो इनमें से कुल कितने कार्य स्वीकृत किये गये तथा कितने पर कार्य आरम्भ किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी समिति कोटा द्वारा सुल्तानपुर क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य भी स्वीकृत नहीं किये गये हैं जबकि विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में लगभग सभी सड़कों का डामरीकरण कर दिया गया है? यदि हां, तो वर्ष 2004-05 में लाडपुरा क्षेत्र में करवाये गये समस्त कार्य व इन पर किये गये व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, कोटा द्वारा वर्ष 2004-05 में सुल्तानपुर क्षेत्र में कोई नवीन निर्माण कार्य प्रस्तावित नहीं किये गये हैं। शेष प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। मण्डी समिति द्वारा मिसिंग लिंक नयाखेड़ा से गणेशपोल का प्रस्ताव लिया गया था। परन्तु विशेष मरम्मत एवं मिसिंग लिंक सड़कों की देनदारियों के कारण उक्त सड़क स्वीकृत नहीं की गई।

(4) यह सही है कि वर्ष 2004-05 में सुल्तानपुर क्षेत्र में कोई नवीन निर्माण कार्य प्रस्तावित नहीं किये गये। लाडपुरा विधान सभा क्षेत्र में करवाये गये कार्यों एवं उन पर किये गये व्यय का विवरण परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

कृषि उपज मंडी समिति कोटा द्वारा वर्ष 2004-05 में लाडपुरा क्षैत्र में सडकों के कराए गए कार्यो एवं उन पर किए गए व्यय का विवरण :-

सं.	सडक का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों में)	स्वीकृत लम्ब. (किमी में)	कुल व्यय राशि बिना प्रो.	प्रो. सहित	भौतिक स्थिति
1	2	·3	4	5	6	7
1.	सं.स. कैथून से प्रहलादपुरा	16.63	3.50	-	-	डामर कार्य पूर्ण
2.	सं.स. आर.एम.सी. मवासा बडौदिया	14.92	5.00	1.41	1.55	डामर कार्य पूर्ण
3.	सं.स. आर.एम.सी. नगपुरा	3.02	0.90	-	-	डामर कार्य पूर्ण
4.	स.स. आर.एम.सी.लाडपुरा से अभयपुरा	8.44	2.00	2.80	3.08	डामर कार्य पूर्ण
5.	स.स. अरनिया से केनाल	1.39	0.35	1.29	1.42	डामर कार्य पूर्ण
6.	स.स. रानीपुरा से बड़ोदिया	11.61	2.50	-	-	डामर कार्य पूर्ण
7.	स.स. रामनगर से जामपुरा	3.27	1.00	-	-	डामर कार्य पूर्ण
8.	स.स. जामपुरा से केनाल	2.88	0.75	-	-	डामर कार्य पूर्ण
9.	स.स. अभयपुरा से झोपडिया	1.81	0.50	0.35	0.39	डामर कार्य पूर्ण
10.	स.स. सांगोद रोड़ से अभयपुरा	5.55	1.00	2.22	2.44	डामर कार्य पूर्ण
11.	स.स. कैथून से आर.एम.सी	3.70	1.00	-	-	डामर कार्य पूर्ण
12.	स.स. मवासा से ढाणी	11.75	2.00	-	-	डामर कार्य पूर्ण
13.	स.स. कैथून से अरनिया वाया बालाजी	8.70	2.15	7.78	8.56	डामर कार्य पूर्ण
14.	किशनपुरा तकिया से रंगपुर	2.52	0.80	-	-	डामर कार्य पूर्ण
15.	स.स. झोपडिया से अरन्डखेडा	10.02	2.00	5.33	5.86	डामर कार्य पूर्ण
16.	स.स. कोटासांगोद रोड़ से जाखोडा	7.28	2.00	0.56	0.62	डामर कार्य पूर्ण
17.	स.स. अरन्डखेडा से बनियाना	9.20	2.50	7.67	8.44	डामर कार्य पूर्ण
18.	स.स. दीपपुरा	1.82	0.35	1.00	1.11	डामर कार्य पूर्ण
19.	स.स. भगवानपुरा से अर्लिया	10.85	2.00	5.22	5.74	डामर कार्य पूर्ण
20.	स.स. सांगोद रोड़ से गलाना	3.58	0.75	1.02	1.12	डामर कार्य पूर्ण
21.	स.स. बडोदिया पीपीलहेडी से शंकरपुरा	11.49	3.20	2.04	2.24	डामर कार्य पूर्ण
22.	स.स. भगवानपुरा से अर्लिया (एम.एल)	7.84	0.80	3.03	3.33	डामर कार्य पूर्ण
23.	स.स. बडोदिया पीपल्दा हेडी वाया छीपनहेडी	15.72	4.75	1.02	1.12	डामर कार्य पूर्ण
24.	सं.स. सांगोद रोड़ से कीतलहेडा	8.60	2.00	2.54	2.79	डामर कार्य पूर्ण
25.	सं.स. कीतलहेडा से अरन्डखेडा	11.74	2.90	3.65	4.02	डामर कार्य पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7
26.	सं.स. कीतलहेडा से संकीतलहेडा गांव	2.92	0.70	2.18	2.40	डामर कार्य पूर्ण
27.	सं.स. डाढदेवी से उम्मेदगंज	3.99	1.25	2.63	2.89	डामर कार्य पूर्ण
28.	सं.स. धाकडखेडी से उम्मेदगंज	7.00	2.20	5.52	6.07	डामर कार्य पूर्ण
29.	सं.स. कैथून से राजपुरा	12.80	4.00	-	-	डामर कार्य पूर्ण
30.	सं.स. केथून से खेडरसूलपुर वाया जालखेडा	5.40	1.30	3.13	3.44	डामर कार्य पूर्ण
31.	सं.स. कैथून से चैनपुरा	5.89	1.80	4.26	4.69	डामर कार्य पूर्ण
32.	सं.स. कदी जाखोडा से कादीहेडा	6.24	1.80	-	-	डामर कार्य पूर्ण
33.	सं.स. किशनपुरा से जाखोडा	14.29	2.60	5.59	6.15	डामर कार्य पूर्ण
34.	सं.स. खेडा रसूलपुर से चैनपुरा	9.03	1.00	1.52	1.67	डामर कार्य पूर्ण
35.	सं.स. बारां रोड से दसलाना	3.36	1.00	2.03	2.23	डामर कार्य पूर्ण
36.	सं.स. ताथेड से खेडरसूलपुर	15.07	3.00	6.60	7.26	डामर कार्य पूर्ण
37.	सं.स. देबलीअरब नया नोहरा से हनुमतखेडा	5.01	1.60	4.05	4.46	डामर कार्य पूर्ण
38.	सं.स. बारां रोड मण्डानिया	7.06	0.60	0.30	0.33	डामर कार्य पूर्ण
39.	सं.स. बोरखण्डी से हाथी खेडा	3.16	1.00	2.75	3.03	डामर कार्य पूर्ण
40.	सं.स. किशनपुरा से गोदलियाहेड़ी	6.62	2.00	4.79	5.27	डामर कार्य पूर्ण
41.	सं.स. बांरा रोड से राजनगर	4.75	1.00	2.04	2.24	डामर कार्य पूर्ण
42.	सं.स. बूंदी रोड से गिरधरपुरा	4.94	1.25	1.27	1.40	डामर कार्य पूर्ण
43.	सं.स. रंगपुर से जावड़ी	3.40	1.00	3.10	3.41	डामर कार्य पूर्ण
44.	सं.स. भदाना से किशनपुरा तकिया	13.82	2.30	-	-	डामर कार्य पूर्ण
45.	सं.स. काला तलाब से चन्द्रेसल	10.60	3.30	-	-	डामर कार्य पूर्ण
46.	सं.स. कोटा बांरा रोड से अर्जुनपुरा	6.22	2.00	0.24	0.26	डामर कार्य पूर्ण
47.	सं.स. अर्जुनपुरा से चन्द्रेसल	5.66	1.50	3.76	4.14	डामर कार्य पूर्ण
48.	सं.स. कोटा बूंदी रोड से गोरधनपुरा	7.32	2.00	4.05	4.46	डामर कार्य पूर्ण
49.	सं.स. रंगपुर रोड से चौकी खेजड़ा	2.91	0.45	-	-	डामर कार्य पूर्ण
50.	सं.स. चन्द्रेसल से मानस गांवं	21.50	6.00	375	4.13	डामर कार्य पूर्ण
51.	सं.स. रंगपुर रोड से गंगायचा	6.60	0.65	5.93	6.52	डामर कार्य पूर्ण
52.	सं.स. मानस गांव से गगटाना	1.81	0.50	1.52	1.67	डामर कार्य पूर्ण
53.	सं.स. चन्द्रेसलमानस गांव से नोटाना	6.32	1.00	1.62	1.78	डामर कार्य पूर्ण
54.	सं.स. सोगरिया से रोटेडा	10.45	2.00	2.02	2.22	डामर कार्य पूर्ण
55.	सं.स. छोटा सोगरिया से कालातलाब	8.48	0.50	0.81	0.89	डामर कार्य पूर्ण
56.	सं.स. केशोराय पाटन से गिरधरपुरा	4.00	1.10	1.62	1.78	डामर कार्य पूर्ण
	कुल योग :-	**421.05**	**99.10**	**126.01**	**138.62**	

कोटपूतली में विकास कार्य

327. श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश की मण्डियों से प्राप्त आय को व्यय करने के क्या प्रावधान हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली की कृषि उपज मण्डी में गत 10 वर्षो में कितनी आय प्राप्त हुई? क्या उक्त आय में से उक्त विधान सभा क्षेत्र में राशि व्यय की गई? यदि हां, तो किस-किस स्थान पर कितनी राशि किस मद में व्यय की गई व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मण्डी समितियों की विभिन्न श्रोतों से होने वाली आय में से मण्डी संस्थापन, मण्डी सुविधाओं, ऋण अदायगी, चालू निर्माण कार्य नवीन निर्माण कार्यों पर व्यय एवं मण्डी शुल्क से प्राप्त आय का 15 प्रतिशत राशि आरक्षित व्यय करने के पश्चात उपलब्ध बचत में से 40 प्रतिशत मण्डी प्रांगणों में नवीन निर्माण कार्यों पर तथा 60 प्रतिशत सड़कों के लिए व्यय किये जाने का प्रावधान है।

(2) मण्डी समिति, कोटपूतली में विगत 10 वर्षो में विभिन्न मदों से अर्जित आय का विवरण संलग्न परिशिष्ट '1' पर है तथा व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट '2' पर संलग्न है। निर्माण कार्यो पर व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट 'अ-1' 'अ-8' तक संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

कृषि विपणन बोर्ड द्वारा सड़क निर्माण के मानदण्ड

328. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

राज्य में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत करवाये जाने के क्या मानदण्ड हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

मण्डी समिति के अधीन सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत राज्य सरकार द्वारा जारी सड़क नीति दिनांक 11.3.1996 में निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप करवाने का प्रावधान है। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

परिशिष्ट 'अ'

राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक : प.9(11) ग्रुप-2/94/ जयपुर, दिनांक 11 मार्च, 1996

आदेश

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 10.3.1995 के अतिक्रमण में कृषि उपज मण्डी क्षेत्र में सम्पर्क सड़कों, विशेष मरम्मत की सड़कों तथा सी.डी. कार्य आदि की स्वीकृति के लिए मापदण्ड निर्धारित करने के सम्बन्ध में निम्नांकित प्रावधान किये जाते हैं। ये प्रावधान दिनांक 1.4.1996 से प्रभावी होंगे।

सम्पर्क सड़कों के निर्माण हेतु निम्न दो कोषों से राशि व्यय की जाती है :

(1) मण्डी कोष

(2) 'राज्य स्तरीय सड़क विकास कोष'

'मण्डी कोष' से तात्पर्य सड़क निर्माण हेतु मण्डी स्तर पर उपलब्ध उस धनराशि से है जो मण्डी समिति की आय से प्रशासनिक एवं अन्य अपरिहार्य व्यय निकालने के बाद बची राशि का लगभग 40 प्रतिशत मण्डी/गौण मण्डी प्रांगण निर्माण अथवा विस्तार पर व्यय करने के बाद शेष रहती है। यदि मण्डी प्रांगण बना हुआ नहीं है तथा परियोजना भी चालू नहीं है, तो अधिक राशि सड़क पर व्यय की जा सकेगी। इसी प्रकार यदि मण्डी प्रांगण बनाने की परियोजना चालू है तो सम्पर्क सड़कों पर कम व्यय किया जा सकेगा। निदेशक कृषि विपणन यह तय करेंगे कि किसी मण्डी समिति के उपलब्ध संसाधनों में से कितनी राशि 'मण्डी कोष' के अन्तर्गत सम्पर्क सड़कों के लिये व्यय करना उचित रहेगा।

'राज्य स्तरीय सड़क विकास कोष' से तात्पर्य राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के स्तर पर 'सी' एवं 'डी' श्रेणी की छोटी मंडियों के क्षेत्र में सड़क निर्माण हेतु उपलब्ध धनराशि से है।

उपरोक्त दोनों कोषों को पुन: निम्न दो श्रेणियों में विभाजित किया जावेगा :

(1) सामान्य कोष, जो कोष में उपलब्ध धनराशि के 75 प्रतिशत के समतुल्य होगा।

(2) विशेष कोष, जो कोष में उपलब्ध धनराशि के 25 प्रतिशत के समतुल्य होगा।

(1) सामान्य कोष से सड़क स्वीकृति हेतु मानदण्ड

नवीन सड़कों की स्वीकृति हेतु वरीयता निम्न प्रकार निर्धारित की जायेगी :

(क) स्वीकृत मास्टर प्लान की शेष सड़कों (1971 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक आबादी वाले गांवों को जोड़ने हेतु सम्पर्क सड़कें)

(ख) मण्डी समिति द्वारा गोद लिये गये गांव को जोड़ने हेतु सम्पर्क सड़क (यदि यह पूर्व में सड़क से जुड़ा न हो)

(ग) ग्राम पंचायत मुख्यालय को जोडने हेतु सम्पर्क सड़क

(घ) 1991 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक आबादी वाले गांव जो अभी तक सड़क से न जुडे हों।

(ड) 1991 की जनगणना के अनुसार 500 से अधिक आबादी वाले गांव जो सड़क से न जुडे हों।

(च) अन्य सम्पर्क सड़कें (गुणावगुण के आधार पर)

नवीन सम्पर्क सड़कों के प्रस्ताव प्रेषित करते समय यह सुनिश्चित किया जावेगा कि प्रस्तावित सड़क किसी अन्य एर्जेसी यथा सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला अभिकरण, अकाल राहत आदि द्वारा तो स्वीकृत नहीं कर दी गई है। पैरा 1 (क) एवं 1(घ) के अन्तर्गत जनजाति एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में आबादी की सीमा 1000 के स्थान पर 750 होगी।

(2) ऊपर वर्णित वरियता का कठोरता पूर्वक पालन किया जावेगा तथा किसी निम्न वरियता श्रेणी की सड़क स्वीकृति हेतु भिजवाते समय यह प्रमाण पत्र मण्डी समिति एवं अधिशासी अभियन्ता द्वारा किया जावेगा कि इस श्रेणी से उच्च वरियता श्रेणियों की कोई सड़क मण्डी क्षेत्र में निर्माण से शेष नहीं है। उदाहरणार्थ पैरा 1 में अंकित (ग) श्रेणी की सड़क का प्रस्ताव तब ही किया जावेगा ताकि (क) एवं (ख) श्रेणी को कोई भी सड़क निर्माण के शेष न हो।

(3) किसी भी श्रेणी में सड़क निर्माण सम्बन्धी कार्य हेतु अन्तर वरीयता निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है।

(क) किसी अन्य एजेंसी द्वारा निर्मित ग्रेवल रोड़ का डामरीकरण।

(ख) पूर्व में निर्मित सड़क पर आवश्यक सी.डी. (क्रोस डेनेज) कार्य।

(ग) 10 वर्ष से अधिक पहले सड़क की विशेष मरम्मत (एस.आर) ताकि सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तानान्तरित की जा सके।

(घ) नवीन सड़क का निर्माण–अर्थात् किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत नवीन सड़क की स्वीकृति तब ही दी जा सकेगी जबकि उस श्रेणी की किसी भी सड़क का डामरीकरण, सी.डी. कार्य अथवा विशेष मरम्मत बाकी न हो।

(4) विशेष कोष से सड़क स्वीकृति हेतु मानदण्ड

इस कोष से मण्डी समिति के प्रस्ताव पर निम्न श्रेणी की सड़कें स्वीकृत की जा सकेंगी-

(क) किसी भी योजना के अन्तर्गत डब्ल्यू.बी.एम. तक निर्मित 5 कि.मी. तक की सड़क का डामरीकरण कार्य।

(ख) किसी भी अधूरी सम्पर्क सड़क के समुचित उपयोग हेतु आवश्यकतानुसार 3 कि.मी. तक लम्बाई की सड़क का निर्माण।

(ग) किसी भी सम्पर्क सड़क से नहीं जुडे हुए ग्राम जिसकी जनसंख्या 1991 की जनसंख्या के आधार पर 500 से अधिक हों, को जोड़ने हेतु अधिकतम 2 कि.मी. लम्बाई तक की सम्पर्क सड़क का निर्माण।

(5) सम्पर्क सड़क स्वीकृत करते समय प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देश

(ए) मण्डी स्तर पर

(क) मण्डी कोष एवं राज्य स्तरीय सड़क विकास कोष के अन्तर्गत 'सामान्य कोष' से सड़क स्वीकृति हेतु प्रस्ताव सभी मण्डी समितियों वर्ष 1996-97 हेतु 31.4.1996 तक निदेशालय को प्रेषित करेगी। इसके बाद प्राप्त होने वाले प्रस्तावों की स्वीकृति पर विचार नहीं किया जावेगा। अगले वित्तीय वर्ष से ऐसे सभी प्रस्ताव पूर्व वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व ही 31 मार्च तक भेजे जावेंगे।

(ख) मण्डी समिति पैरा 1, 2, 3 एवं 4 में अंकित मानदण्डों के अनुरूप ही प्रस्ताव पारित कर निदेशालय को प्रेषित करेंगी। परन्तु पैरा 1(च) के अन्तर्गत आने वाली सड़क का प्रस्ताव निदेशालय की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ही पारित किया जा सकेगा।

(ग) प्रस्ताव के साथ मण्डी समिति की दो वर्ष की वित्तीय स्थिति (सम्भावित आय, व्यय एवं देनदारियां अंकित करते हुए) के सम्बन्ध मे विस्तृत विवरण निदेशालय को भेजा जावेगा।

(घ) मण्डी समिति से सम्बन्धित राजस्थान राज्य कृषि विपगन बोर्ड के अधिशासी अभियन्ता उपरोक्त मानदण्डों में जाने वाली सड़कों के अलाइंमेंट की जांच करेंगे एवं (फोरकास्ट एस्टीमेट) अनुमानित लागत मण्डी समिति को उपलब्ध करायेंगे जो प्रस्ताव साथ निदेशालय को प्रेषित किया जावेगा।

(ड) सड़क स्वीकृति के प्रत्येक प्रस्ताव के साथ सचिव मण्डी समिति एवं अधिशासी अभियन्ता का संयुक्त प्रमाण पत्र (संलग्न प्रारूप में) भी प्रेषित किया जावेगा।

(बी) निदेशालय स्तर पर प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देश

(क) प्रस्ताव की जांच इस परिप्रेक्ष्य में की जावेगी कि प्रस्तावित सड़क कार्य उपरोक्त मानदण्डों के अनुरूप है।

(ख) राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जावेगा कि मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति के अनुसार प्रस्तावित सड़क का निर्माण पूर्ण कराने हेतु मण्डी समिति के पास पर्याप्त धनराशि उपलब्ध रहेगी। इस प्रकार राज्य स्तरीय सड़क विकास कोष से सड़क स्वीकृति के प्रस्ताव प्रेषित करते समय सुनिश्चित किया जावेगा कि बोर्ड में संधारित इस कोष में पर्याप्त राशि उपलब्ध है।

(ग) प्रशासनिक स्वीकृति जारी होते ही वित्तीय स्वीकृति भी जारी की जावेगी जो 30 सितम्बर से पूर्व स्वीकृत प्रस्तावों के लिए कुल लागत का 60 प्रतिशत एवं 30 सितम्बर के बाद स्वीकृत होने वाले कार्य के लिए कुल लागत का 40 प्रतिशत होगी।

(घ) पैरा 1 (च) के अन्तर्गत प्रस्तावित सड़क की अभिशंसा राज्य सरकार को भेजने से पूर्व भलीभांति जांच की जावेगी एवं गुणावगुण के सम्बन्ध में टिप्पणी अंकित की जावेगी।

(ङ) निर्माण कार्यो हेतु एक वित्तीय वर्ष में रखे गये वित्तीय प्रावधान की डेढ गुणा राशि तक की प्रशासनिक स्वीकृतियां निदेशक द्वारा जारी की जावेगी।

(सी) कृषि विपणन बोर्ड स्तर पर

(क) निर्धारित मानदण्ड के अन्तर्गत आने वाली सड़क का पूर्वानुमान तकमीना (फोरकास्ट एस्टीमेट) निम्न स्तर के अभियन्ता द्वारा अनुमोदन स्वरूप हस्ताक्षर करने पर ही मान्य होगा:

(अ) रुपये 10 लाख तक-अधिशासी अभियन्ता

(ब) रुपये 10 से अधिक एवं रुपये 50 लाख तक-अधीक्षण अभियन्ता

(स) रुपये 50 लाख से अधिक-अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता

(ख) पूर्वानुमान मण्डी समिति को प्रस्तुत करने से पूर्व कम से कम सहायक अभियन्ता स्तर के अधिकारी द्वारा निम्न प्रमाण पत्र दिया जावेगा :

(अ) कि प्रस्तावित सड़क के अलाइंमेंट का निरीक्षण उसके द्वारा कर लिया गया है तथा निर्माण में कोई अड़चन आने की सम्भावना नहीं है।

(ब) सड़क की वास्तविक लम्बाई का आंकलन कर ही पूर्वानुमान तैयार किया गया है।

(स) प्रस्तावित सड़क के लिए आवश्यक सी.डी. कार्य का समावेश तकमीने में कर लिया गया है तथा बाद में किसी सी.डी. कार्य की आवश्यकता नहीं होगी।

(ग) 10 वर्ष से अधिक पुरानी सड़कों की विशेष मरम्मत होने पर एवं नवीन सड़क का निर्माण होते ही सड़कों का हस्तानान्तरण सार्वजनिक निर्माण विभाग को कर दिया जावेगा।

(घ) अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में बोर्ड निदेशालय को सूचित करेगा कि वित्तीय वर्ष में राज्य स्तरीय सड़क विकास कोष के अन्तर्गत कितनी-कितनी राशि नवीन सड़क निर्माण तथा विशेष मरम्मत हेतु उपलब्ध रहेगी।

(6) निर्माण कार्यों के भुगतान सम्बन्धी निर्देश

(क) बोर्ड निर्माण कार्यो के लिए ठेकेदारों से त्रिपक्षीय संविदा निष्पादित करायेगा, जिसके अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता निर्माण कार्य का बिल पारित कर भुगतान हेतु सम्बन्धित मण्डी समिति को प्रेषित करेगा। ठेकेदार को भुगतान मण्डी समिति द्वारा किया जावेगा। सभी कटौतियां अधिशासी अभियन्ता स्तर पर की जावेगी।

(ख) किसी भी निर्माण कार्य पर कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा देय भुगतान राशि स्वीकृति निविदा एवं उस पर 10 प्रतिशत सुपरविजन चार्जेज एवं टेण्डर की प्रक्रिया में बोर्ड द्वारा व्यय की गई वास्तविक राशि तथा अनुबन्ध के अनुसार एसक्लेसन राशि तक सीमित रहेगी। किसी भी परिस्थिति में इससे अधिक राशि का भुगतान बोर्ड को नहीं किया जावेगा, सिवाय न्यायालय के आदेश से कार्य में विलम्ब होने की परिस्थिति में। बोर्ड द्वारा निर्माण कार्य हेतु कंटीनजेंसी चार्जेज की मांग मण्डी समितियों से नहीं की जायेगी। यदि निर्माण कार्य में देरी अथवा अन्य कारण से निर्माण कार्य की लागत बढ़ती है तो बढ़ी हुई लागत बोर्ड स्वयं वहन करेगा।

(ग) बोर्ड किसी कार्य पर वर्कचार्ज कर्मचारी नहीं रखेगा, परन्तु वर्तमान में बोर्ड में चल रहे वर्कचार्ज कर्मचारियों के वेतन आदि पर होने वाला वास्तविक व्यय अनुपातिक रूप से मण्डी समिति द्वारा देय होगा। यथा सम्भव बोर्ड वर्कचार्ज कर्मचारियों के पदों को समाप्त करने की कार्यवाही करेगा।

(घ) मण्डी समितियों द्वारा निर्माण कार्यो के पेटे बोर्ड को प्राप्त होने वाली राशि में आ रही कठिनाइयों के निराकरण हेतु यह निर्णय लिया गया है कि वित्तीय स्वीकृति जारी होते ही कार्य की कुल लागत का 30 प्रतिशत मण्डी समिति द्वारा अग्रिम राशि के रूप में बोर्ड को भुगतान किया जायेगा। तत्पश्चात् तीन महिने के बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र होने के पन्द्रह दिन के अन्दर 30 प्रतिशत एवं अगली तिमाही के पश्चात उपयोगिता प्रमाण-पत्र के आधार पर

30 प्रतिशत तथा शेष राशि का भुगतान कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर-अन्दर आवश्यक रूप से कर दिया जावेगा। यदि मण्डी समिति द्वारा भुगतान में विलम्ब किया जाता है तो 24 प्रतिशत वार्षिक दर से दण्डनीय ब्याज मण्डी समिति द्वारा देय होगा और विलम्ब के लिये व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित कर वसूली की जायेगी।

(ड) उपरोक्तानुसार भुगतान मण्डी समितियों द्वारा इस आधार पर नहीं रोका जायेगा कि निर्माण कार्य में कोई कमी है। यदि कार्य में कोई कमी पाई जाये तो भुगतान करने के पश्चात शिकायत प्रशासक, मार्केटिंग बोर्ड एवं निदेशक, कृषि विपणन को मण्डी समिति द्वारा प्रस्तुत की जायेगी, जो अपने स्तर पर जांच कराकर समुचित कार्यवाही करेंगे।

समस्त अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सड़क स्वीकृति/ निर्माण सम्बन्धी कार्य उपरोक्त नीति के अनुसार ही करेंगे। यदि प्रस्ताव/ प्रमाण-पत्र में अंकित सूचना गलत पाई जाती है तो सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न : मण्डी कोष एवं राज्य स्तरीय सड़क विकास कोष से सड़क हेतु प्रस्ताव के साथ भेजे जाने वाले प्रमाण-पत्रों का प्रारूप।

आज्ञा से

ह.

प्रीतम सिंह

उप शासन सचिव

कृषि उपज मण्डी समिति,..........

सामान्य कोष से सड़क निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव के साथ भेजा जाने वाला

'प्रमाण-पत्र'

प्रस्तावित सड़कों का विवरण

क्र.सं.	कहां से कहां तक	जुड़ने वाले गांव का नाम	ओदश दिनांक अनुच्छेद (ए) के अन्तर्गत वरियता श्रेणी	गांव की आबादी 1971 में 1991 में
1	2	3	4	5

सडक की लम्बाई	अनुमानित लागत	प्रस्तावित सी.डी.कार्य पर सम्भावित व्यय	कुल अनुमानित लागत
6	7	8	9

प्रमाणित किया जाता है कि

1. प्रस्तावित सड़क (नाम सड़क)...राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.9(11) कृषि-2/94 दिनांक 11.3.1996 के पैरा (2) के अनुसार वरियता (श्रेणी का क्रमांक) में आती है।
2. प्रस्तावित सड़क की श्रेणी से उच्च वरियता, श्रेणी वाली कोई सड़क मण्डी क्षेत्र में निर्माण से शेष नहीं है अथवा उच्च वरियता श्रेणी की शेष सड़कों का भी प्रस्ताव में सम्मिलित कर लिया गया है।
3. यदि प्रस्तावित सड़क वरियता श्रेणी 3 की है, तो ग्राम पंचायत मुख्यालय का नाम जिसे जोड़ेगी।
4. आदेश दिनांक... के पैरा... (ब) के अन्तर्गत प्रस्तावित सड़क बनाये जाने के बारे में निदेशालय से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली गई है एवं गुणावगुण सम्बन्धी टिप्पणी संलग्न है।
5. आदेश दिनांक...के पैरा 3(क) 3(ख) एवं 3(ग) के अन्तर्गत कोई कार्य मण्डी क्षेत्र में शेष नहीं है अथवा प्रस्ताव में सम्मिलित कर लिया गया है।
6. प्रस्तावित सड़कों का अलाइंमेंट...अभियन्ता द्वारा देख लिया है तथा निर्माण में अड़चन आने की सम्भावना नहीं है। निरीक्षण के आधार पर ही वास्तविक लम्बाई का आंकलन कर पूर्वानुमान तैयार किया गया है, जिसका अनुमोदन सक्षम अधिकारी से कर लिया गया है।

7. प्रस्तावित सड़क के लिए पूर्वानुमान में सम्मिलित सी.डी. कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी सी.डी. कार्य की आवश्यकता नहीं होगी।
8. प्रस्तावित सड़क किसी अन्य एजेंसी से स्वीकृति/स्वीकृत नहीं हुई है।
9. सम्पर्क सड़क के निर्माण हेतु 'मण्डी कोष' में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है।
10. नवीन सम्पर्क सड़क से जो पंचायत मुख्यालय अथवा गांव जोड़ा जाना प्रस्तावित है, वह पूर्व के किसी भी अन्य सम्पर्क सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है।

अधिशाषी अभियन्ता
राज. राज्य कृषि विपणन बोर्ड

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति

कृषि उपज मण्डी समिति,..........

'विशेष कोष' से सम्पर्क सड़क निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव के साथ भेजा जाने वाला

'प्रमाण-पत्र'

क्र.सं.	कहां से कहां तक	जुड़ने वाले गांव का नाम	अनुच्छेद 4 के अन्तर्गत सड़कों की श्रेणी	गांव की जनसंख्या (1991 में)
1	2	3	4	5

सड़क की लम्बाई	अनुमानित लागत	प्रस्तावित सी.डी. कार्य पर सम्भावित व्यय	कुल अनुमानित लागत
6	7	8	9

प्रमाणित किया जाता है कि-

1. प्रस्तावित सड़क आदेश क्रमांक ...दिनांक...के अनुच्छेद 4 के अन्तर्गत ( ) श्रेणी में आती है।
2. प्रस्तावित सड़क का अलाइंमेंट... अभियन्ता द्वारा देख लिया है तथा निर्माण में अड़चन आने की सम्भावना नहीं है। निरीक्षण के आधार पर ही वास्तविक लम्बाई का आंकलन पर पूर्वानुमान तैयार किया गया है, जिसका अनुमोदन सक्षम अधिकारी से करा लिया गया है।

3. प्रस्तावित सड़क के लिये पूर्वानुमान में सम्मिलित सी.डी. कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी सी.डी. कार्य की आवश्यकता नहीं होगी।
4. प्रस्तावित सड़क किसी अन्य एजेंसी से स्वीकृत नहीं हुई है।
5. मण्डी समिति 'सी'/'डी' श्रेणी की है तथा सड़क निर्माण हेतु मण्डी कोष में राशि उपलब्ध न होने के कारण राज्य स्तरीय सड़क विकास कोष से सड़क निर्माण का प्रस्ताव भेजा जा रहा है।

राजस्थान सरकार

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक : प.9(11) कृषि/ग्रुप-2/94 जयपुर, 11 अप्रैल, 1996

<u>संशोधन</u>

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 11 मार्च, 1996 जिसके द्वारा कृषि उपज मण्डी समितियों में सम्पर्क सड़कों, विशेष मरम्मत की सड़कें तथा सी.डी. कार्य आदि की स्वीकृति के मापदण्ड निर्धारित किये गये थे, में निम्न संशोधन किये जाते हैं-

1. जारी आदेश दिनांक 11 मार्च, 1996 की प्रथम पंक्ति में दिनांक 18.3.1995 के स्थान पर दिनांक 10.3.1995 पढ़ा जावे।
2. जारी आदेश दिनांक 11 मार्च, 1996 के साथ संलग्न प्रमाण पत्र में प्रमाणित किया जाता है कि अनुच्छेद 2 के विरुद्ध (1) की द्वितीय पंक्ति में आदेश क्रमांक 13 (23) कृषि/ग्रुप-2/93 दिनांक 10.3.1995 के स्थान पर आदेश क्रमांक प.9(11) कृषि/ग्रुप-2/94 दिनांक 11.3.1996 पढ़ा जावे।

इसके अतिरिक्त संलग्न प्रमाण-पत्र में निम्न प्रमाण पत्र और जोड़ा जाता है-

'नवीन सम्पर्क सड़क से जो पंचायत मुख्यालय अथवा गांव जोड़ा जाना प्रस्तावित है वह पूर्व में किसी भी अन्य सम्पर्क सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है'

आज्ञा से

प्रीतम सिंह
उप शासन सचिव

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या 188 का विवरण)

विधानसभा क्षेत्र चौरासी में रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	विद्यालय का नाम/ प.समिति	अध्यापक- III के रिक्त पद	क्र. सं.	विद्यालय का नाम/ प. समिति	अध्यापक- III के रिक्त पद
1	2	3	1	2	3
1	राउप्रावि, आडीवाद (बिछीवाड़ा)	2	1	राप्रवि कुडिया	1
2	राउप्रावि, बरमेटी (बिछीवाड़ा)	1	2	राप्रवि डामोरफला	1
3	राउप्रावि, (बा.) चुण्डावाड़ा (बिछीवाड़ा)	1	3	राप्रवि मालाखोलडा	1
4	राउप्रावि, गेड़ (बिछीवाड़ा)	1	4	राप्रवि डामोरफला सरथूना	1
5	राउप्रावि, गलन्दर (बिछीवाड़ा)	3	5	राप्रवि उभामाणा सरथूना	2
6	राउप्रावि, करावाड़ा (बिछीवाड़ा)	1	6	राप्रवि फादरडीफलावाडा	1
7	राउप्राधि, खजूरी (बिछीयाड़ा)	2	7	राप्रवि घंटीवाला	1
8	राउप्रावि, मोदर (बिछीवाड़ा)	2	8	राप्रवि डामोरफल डंडूरीया	2
9	राउप्रावि, मालभाथा (बिछीवाड़ा)	2	9	राप्रवि गढमतरीया फलापूना	1
10	राउप्रावि, महूडी-। (बिछीवाड़ा)	2	10	राप्रवि बथेडीपूर्व	2
11	राउप्रावि, रामपुर मेवाड़ा (बिछीवाड़ा)	2	11	राप्रवि नवाधर चाड़ोली	2
12	राउप्रावि, पांचया (बिछीवाड़ा)	33	12	राप्रवि कालाघाटी मेडसा	2
13	राउप्रावि. वीरपुरमेवाड़ा (बिछीवाड़ा)	32	13	राप्रवि लीफला घूमेड़ा	2
14	राउप्रावि, वेड (बिछीवाड़ा)	2	14	राप्रवि लक्ष्मणपुरा	1
15	राउप्रावि, नवाधरा (बिछीवाड़ा)	2	15	राप्रवि पाछीयाकला	2
16	राउप्रावि, बा. गैजी (बिछीवाड़ा)	2	16	राप्रवि कुण्डालीफला	2
17	राउप्रावि, पाटड़ी (बिछीवाड़ा)	2	17	राप्रवि गनधला	1
18	राउप्रावि, पुनरवाड़ा (बिछीवाड़ा)	2	18	राप्रवि रंगोलफला वा.12	2
19	राउप्रावि, बोरी (बिछीवाड़ा)	2	19	राप्रवि बाड़ाला मानारोध	2

1	2	3	1	2	3
20	राउप्रावि, रंगेला (बिछीवाड़ा)	2	20	राप्रवि चारवाड़ा	2
21	राउप्रावि, माड़ा (बिछीवाड़ा)	2	21	राप्रवि पालीपादरा	1
22	राउप्रावि, पंर्थला (बिछीवाड़ा)	2	22	राप्रवि बज रीफलां	2
23	राउप्रावि, विलपन (बिछीवाड़ा)	2	23	राप्रवि महुदरा	2
24	राउप्रावि, वाणियातालाब (बिछीवाड़ा)	2	24	राप्रवि ननोमाफलां	1
25	राउप्रावि, मेवड़ा (सीमलवाड़ा)	1	25	राप्रवि नालकानला	1
26	राउप्रावि, सांकरसी (सीमलवाड़ा)	1	26	राप्रवि करमैयाफलां	1
27	राउप्रावि, सीमलवाड़ा (सीमलवाड़ा)	2	27	राप्रवि बाकागीरी	1
28	राउप्रावि, जाम्बूडी (सीमलवाड़ा)	2	28	राप्रवि कम्बाफलां	1
29	राउप्रावि, मेवड़ा (सीमलवाड़ा)	1	29	राप्रवि नलाव अजमेरा	1
30	राउप्रावि, न.ब.पीठ. (सीमलवाड़ा)	1	30	राप्रवि नलफिला	1
31	राउप्रावि, भचडिया करियाणा	1	31	राप्रवि उपलाफिलां रेटा	2
32	राउप्रावि, पुनवाड़ा (सीमलवाड़ा)	1	32	राप्रवि वाणियाबड़ा रेटा	2
33	राउप्रावि, कोदरिया (सीमलवाड़ा)	2	33	राप्रवि नालफला वासुआ	2
34	राउप्रावि, खार (सीमलवाड़ा)	2	34	राप्रवि पादरी मेवाड़ा	1
35	राउप्रावि, टंकारी (सीमलवाड़ा)	2	35	राप्रवि वार्ड नं. 6 मेवाड़ा	2
36	राउप्रावि, रामसोरबड़ा (सीमलवाड़ा)	21	36	राप्रवि धपाओदी	1
37	राउप्रावि, भण्डारा बोडामली (सीम.)	1	37	राप्रवि मालापाणा	1
38	राउप्रावि, बथडी (सीमलवाड़ा)	10	38	राप्रवि मांगवेडा	1
39	राउप्रावि, डेरियाफलां (सीमलवाड़ा)	2	39	राप्रवि नईबस्ती संचीया	2
			40	राप्रवि नईबस्ती तीजामालम	2
			41.	राप्रवि भोजातफलां	2
		66			62

परिशिष्ट 'क'

क्र.सं.	नाम विद्यालय	रिक्त पदों की संख्या							
		प्रधानाध्यापक	व्याख्याता	व. अध्यापक	अध्यापक	पु. अध्यक्ष 3 ग्रेड	प्रशासे.3 ग्रेड	क. लिपिक	चतुर्थ श्रेणी कर्म.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>राउमाविद्यालय</u>								
1.	झोंथरीवाल	-	2	-	-	-	-	-	-
2.	सुरसापाला	-	2	1	-	-	-	-	-
3.	बिछीवाड़ा	-	2	-	1	-	-	1	-
4.	विकासनगर	-	5	1	1	-	-	-	-
5.	गामडी अहाड़ा	-	3	-	-	-	-	-	-
6.	चुण्डावाड़ा	-	2	-	-	-	-	1	-
7.	सीमलवाड़ा	-	7	1	-	-	2	-	-
8.	पीठ	-	1	-	1	-	-	1	-
9.	थम्बोला	-	-	-	-	-	-	1	-
10.	रास्तापाल	-	3	3	-	-	-	-	-
11.	करावाड़ा	-	-	1	1	-	-	-	-
12.	बालिका सीमलवाड़ा	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	कनावा	-	2	-	-	-	-	-	-
	<u>रा. मा. विद्यालय</u>								
14.	सांसरपुर	-	-	1	2	-	-	-	-
15.	दाडोली	1	-	2	2	-	-	-	-
16.	झलाप	1	-	-	-	1	-	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	बोड़ामली	1	-	1	-	-	-	1	-
18.	माण्डली	-	-	-	-	-	-	-	-
	<u>रा.मा. विद्यालय</u>								
19.	बांसिया	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	डूंका	1	-	1	-	-	-	-	-
21.	बाकड़ा	1	-	-	-	-	-	-	-
22.	ढुढरिया	1	-	1	-	-	-	1	-
23.	सरथूना	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	रामसौर (पीठ)	-	-	1	1	-	-	-	1
25.	चारवाड़ा	-	-	2	1	-	-	-	-
26.	तलैया	1	-	-	1	-	-	-	-
27.	मेवाड़ा	-	-	-	2	-	-	-	1
28.	बन्धवापाल	1	-	-	1	-	-	1	-
29.	कैंजी	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	माड़ा	-	-	-	1	-	-	-	-
31.	बालिका बिछीवाड़ा	-	-	-	-	-	-	1	-
32.	बालिका महुड़ी	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	बालिका झरनी	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	बालिका केड़सा	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग	8	29	16	16	1	2	9	2

सदस्य सूची

मंगलवार, 29 मार्च, 2005

नाम	पृष्ठ संख्या

नाम	पृष्ठ संख्या